लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 18-9-9
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1977/27 कार्तिक, 1899 (शक)

No. 5, Friday, November 18, 1977/Kartika 27, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 84	Starred Questions Nos. 81 to 84 .	1—10
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	Short Notice Question No. 1 . .	10—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 97, 99 और 100	Starred Questions Nos. 85 to 97, 99 and 100	16—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 801 से 803, 805, 806, 808, 809, 811 से 824, 626 से 828, 830 से 832, 834, 838 से 844, 847 से 859, 861 से 885, 887 से 900, 902 से 907, 909 से 935, 937, 938, 941 से 988, 991 से 996 और 998 से 1000	Unstarred Questions Nos. 801 to 803, 805, 806, 808, 809, 811 to 824, 826 to 828, 830 to 832, 834, 838 to 844, 847 to 859, 861 to 885, 887 to 900, 902 to 907, 909 to 935, 937, 938, 941 to 988, 991 to 996 and 998 to 1000	23—117
जम्मू विमान क्षेत्र के विस्तार के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to USQ 492 regarding extension of Jammu Airport	117
श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shrimati Indira Gandhi and others . .	118—119
सभा पटल पर रखे गए पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE .	120—127
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . .	128
स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में	Requisitioning and Acquisitioning of Immovable Property (Amendment Bill), as passed by Rajya Sabha. .	128
लोक लेखा समिति बारहवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Twelfth Report . .	128
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति दूसरा प्रतिवेदन	Committee on subordinate legislation Second Report	128

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा की कार्यवाही	Business of House	128—129
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Advocates (Amendment) Bill—Introduced	129—130
अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1977 के बारे में वक्तव्य	Statement re. Advocates (Amendment) Ordinance, 1977	130
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan . . .	130
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित	Banking Service Commission (Repeal) Bill—Introduced	130
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 के बारे में वक्तव्य	Statement re. Banking Service Commission (Repeal) Ordinance, 1977 .	130
श्री एच०एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	
शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Enemy Property (Amendment) Bill, Introduced	130
शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1977 के बारे में वक्तव्य	Statement re. Enemy Property (Amendment) Ordinance, 1977 . . .	131
श्री कृष्ण कुमार गोयल	Shri K. K. Goyal . . .	131
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377 . . .	131
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के बारे में लोक सभा की कार्यवाही का आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा समाचार प्रसारण, आदि	News Coverage by AIR and TV of Lok Sabha Proceeding re. Lady Harding Medical College, etc. .	131
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
और	and	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षित किये गये पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा	Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services Against Reserved Quota . .	131—133
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Viswanathan .	131
श्री आर० एन० राकेश	Shri R. N. Rakesh	132
श्री सोमजीभाई दामोर	Shri Somjibhai Damer . . .	133
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri Gyaneshwar Prasad Yadav .	133
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari . .	135
समुद्री तूफान के कारण दक्षिण रेलवे पर रेलपथ को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Damage to Railway Track on Southern Railway due to Cyclone	134—135
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	136
छठां प्रतिवेदन	Sixth Report	136
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced .	136—145
(एक) नारियल विधेयक 1977— श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(i) The Coconut Bill, 1977— by Shri C. K. Chandrappan	
(दो) शिशु, छात्र और युवजन (अधिकार और कल्याण) विधेयक, 1977— श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(ii) The Children, Students and Youth (Rights and Welfare) Bill, 1977 . . . . . by Shri C. K. Chandrappan	136
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक 1977 (नये अनुच्छेद 342क का अन्तस्थापन)— श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(iii) The Constitution (Amendment) Bill 1977 (Insertion of new article 342A) by Shri C. K. Chandrappan	137
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977(नये अनुच्छेद 326क का अन्तस्थापन— श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(iv) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Insertion of new article 326A) . . by Shri C. K. Chandrappan	137
(पांच) आयकर (संशोधन) विधेयक 1977 (धारा 10 का संशोधन)— श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा	(v) The Income-tax (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of Section 10) . . . by Shri Kanwar Lal Gupta	138
(छः) अण्डमान और निकोबार द्वीप (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1977— प्रो० समर गुह द्वारा	(vi) The Andaman and Nicobar Islands (Alteration of Name) Bill, 1977 by Prof. Samar Guha	138
(सात) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक, 1977— श्री पी० के० देव द्वारा	(vii) The Salaries and Allowances of Ministers Bill, 1977 . . by Shri P. K. Deo	138
(आठ) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1977 (नई धारा 23ङ० का अन्तस्थापन)— श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	(viii) The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1977 (Insertion of new section 23E) . by Shri Om Prakash Tyagi .	139
(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1977 (धारा 2 संशोधन)— श्री पी० राजगोपाल नायडू द्वारा	(ix) The National Highways (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of section 2) . . . by Shri P. Rajagopal Naidu	139
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अष्टम् अनुसूची का संशोधन)— श्री चित्त बसु द्वारा	(x) The Constitution (Amendment) Bill 1977 (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Chitta Basu.	139

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(ग्यारह) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1977 (धारा 12 का संशोधन)—	(xi) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of section 12)—	
श्री पी० राजगोपाल नायडू द्वारा	by Shri P. Rajagopal Naidu.	140
(बारह) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1977 (धारा 2 का संशोधन)—	(xii) The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of section 2)— . .	
श्री पी० राजगोपाल नायड द्वारा	by Shri Rajgopal Naidu.	140
(तेरह) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977 (प्रथम अनुसूची का संशोधन) —	(xiii) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of first Schedule)—	
श्री के० टी० कौसलराम द्वारा	by Shri K. T. Kosalram .	140
(चौदह) तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977 (धारा 4 का संशोधन)—	(xiv) The Tobacco Board (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of section 4)—	
श्री पी० राजगोपाल नायडू द्वारा	by Shri P. Rajagopal Naidu.	141
(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन)—	(xv) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Substitution of article 335)—. . . .	
श्री के० राममूर्ति द्वारा	by Shri K. Ramamurthy .	141
(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)—	(xvi) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of Seventh Schedule)— . . .	
श्री के० टी० कौसलराम द्वारा	by Shri K. T. Kosalram .	141
(सत्तरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन)—	(xvii) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of articles 341 and 342)—. . .	
श्री पूर्ण सिन्हा द्वारा	by Shri Purna Sinha . .	142
(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (भाग 17 के अध्याय का प्रतिस्थापन आदि)—	(xviii) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Substitution of Chapter I of Part XVII) etc.,—	
श्री के० राममूर्ति द्वारा	by Shri K. Ramamurthy .	142
(उन्नीस) मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों की आस्तियों की घोषणा तथा लोक संवीक्षा विधेयक, 1977—	(xix) The Declaration and Public Security of Assets of Ministers and Members of Parliament Bill, 1977. .	
श्री पी० के० देव द्वारा	by Shri P. K. Deo . .	142
(बीस) राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण तथा उनके वार्षिक लेखाओं का प्रकाशन विधेयक, 1977—	(xx) The Registration of Political Parties and Publication of their Annual Accounts Bills, 1977—	
श्री पी० के० देव द्वारा	by Shri P.K. Deo .	143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(इक्कीस) संविधान (सशोधन) विधेयक, 1977 (ग्रनुच्छेद 18 का संशोधन, ग्रनुच्छेद 32क का लोप ग्रादि)—	(xxi) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of Article 18, Omission of article 32A, etc).—	
श्री मृत्युंजय प्रसाद द्वारा	by Shri Mrithunjay Prasad.	143
(बाइस) फसल बीमा निगम विधेयक, 1977—	(xxii) The Crop Insurance Corporation Bill, 1977— . . .	
श्री के० राममूर्ति द्वारा	by Shri K. Ramamurthy	143
(तेइस) संविधान (ग्रनुसूचित जातियां) ग्रादेश (संशोधन) विधेयक, 1977—	(xxiii) The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill 1977—	
श्री जी० एस० रेड्डी द्वारा	by Shri G. S. Reddi	144
(चौबीस) ग्रान्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक, 1977—	(xxiv) The Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill, 1977—	
श्री चित्त बसु द्वारा	by Shri Chitta Basu . .	144
(पच्चीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (ग्रनुच्छेद 311 का संशोधन)—	(xxv) The Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of Article 311) —	
श्री चित्त बसु द्वारा	by Shri Chitta Basu .	143
(छब्बीस) ग्रापात विधियां (निरसन) विधेयक 1977—	(xxvi) The Emergency Laws (Repeal) Bill, 1977—	
श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा	by Shri Somnath Chatterjee .	145
संविधान (संशोधन) विधेयक (ग्रनुच्छेद 352 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill . (Amendment of article 352)— .	
श्री हरि विष्णु कामथ द्वारा	by Shri Hari Vishnu Kamath	145
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	145
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	145
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	146
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . . .	146
चौधरी बलबीर सिंह	Chaudhary Balbir Singh .	147
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . .	148
श्री पबित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan .	148
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	149
श्री राम सेवक हज़ारी	Shri Ram Sewak Hazari .	149
श्री सी० एन० विश्वानथन	Shri C.N. Viswanathan . .	150
श्री दर्गा चन्द	Shri Durga Chand . .	150
संविधान (संशोधन) विधेयक (ग्रनुच्छेद 124 का संशोधन)—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 124) — .	
श्री पी० के० देव द्वारा	by Shri P. K. Deo .	151
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo .	151

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 18 नवम्बर 1977/27 कार्तिक 1899 (शक)
Friday, November 18, 1977/Kartika 27, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिक्री कर समाप्त करने का प्रस्ताव

*81. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के लिए चुनाव के समय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि बिक्री कर समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर कोई और कर व्यवस्था लागू की जायेगी;

(ख) क्या वित्त मंत्री ने इस बीच इस मामले पर राज्यों के मंत्रियों से कोई बातचीत की है; और

(ग) इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला और बिक्री कर समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि जनता पार्टी यह वांछनीय समझती है कि बिक्री-कर के स्थान पर उपयुक्त उत्पादन शुल्क लागू किया जाय तथा साथ ही एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जाय जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों को, कुल वसूली में से राजस्व का निरंतर वर्धमान अंश मिलता रहे और इस प्रकार वह लचीलापन भी कायम रहे जो इस समय बिक्री-कर के जरिए बना हुआ है । संविधान के अनुसार बिक्री-कर मुख्यतः राज्य सरकारों के कराधान का विषय है और इसलिये यह आवश्यक है कि राज्यों को, बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये कहा जाय । यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है और वित्त मंत्री, पहले ही 14 राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों के साथ, प्रारम्भिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान कर चुके हैं । सभी मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों के कुल कर-रास्जव में बिक्री कर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और यह आय का एक वर्धमान तथा लचीला साधन है इसलिये यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों को इस समय तथा भविष्य में भी किसी प्रकार की वित्तीय हानि न उठानी पड़े । मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों ने बताया कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वे अपनी विस्तृत तथा औपचारिक प्रतिक्रिया कुछ समय बाद भेज देंगे । उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Shri Shankarsinghji Vaghela : The Janata Party had promised in its manifesto to abolish Sales Tax but it is a matter of regret that we have not been able to do it so far. The Finance Minister has stated that a meeting of Chief Ministers and Finance Ministers of State was held in July. Whether Government have fixed any date by which Sales Tax will be abolished and the promise made to public by the Janata Party will be fulfilld ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसाकि मैंने पहले बताया है कि बिक्री-कर राज्य का विषय है । मैं केवल राज्य सरकारों को बिक्री कर को उचित ढंग से उत्पाद-शुल्क द्वारा बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये कह सकता हूं और मैं इस सम्बन्ध में अपने प्रयास जारी रखूंगा । इस सम्बन्ध में कोई तारीख निर्धारित करना कठिन है ।

Shri Shankarsinghji Vaghela : A team went to Western Countries and made a study in this respect and suggested that value aided tax can be levied in its place. Whether Government have given this suggestion to States and whether Government have received reactions of State Governments in regard thereto ?

श्री एच० एम० पटेल: हमारे द्वारा यह बताना और राज्य सरकारों द्वारा यह स्वीकार करना आसान है कि किस तरीके से उन्हें आज बिक्री-कर प्राप्त होने वाली आय के बारे में आश्वासन दिया जाये, परन्तु वे जानना चाहती हैं कि क्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न वृद्धि दर भविष्य में बनाई रखी जा सकेगी और क्या वे केन्द्रीय सरकार पर ऐसा करने के लिये विश्वास कर सकती हैं ? ये दो बातें हैं । इसमें कुछ समय लगेगा । हम उन्हें इस बात को स्वीकार करने के लिये कह सकते हैं । दुर्भाग्यवश पिछले अनुभव से केन्द्रीय सरकार पर उनका विश्वास उठ गया था क्योंकि चार वस्तुओं पर बिक्री-कर को उत्पाद-शुल्क द्वारा बदला गया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था, परन्तु उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इससे उतनी आय नहीं हुई जितनी उन्हें आशा थी ।

Shri Kacharulal Hemraj Jain : I would like to draw the attention of the hon.Finance Minister to the election manifesto of 1977 of the Janata Party in respect of their Taxation policy. It was said that people have to bear the double burden of taxes as a result of several types of excise duty and sales tax. After Independence this burden constantly rose. A good deal of malpractices and corruption is seen in the recovery of sales tax. The Janata Party will replace sales tax with appropriate excise duty and the States will derive steadily increasing shares from the total collections, thus maintaining the element of elasticity that is today being provided by sales tax. The Janata Party will introduce such a taxation policy by which the income is distributed and savings are encouraged.

Today also after 30 years of Independence sales tax is levied on essential commodities like foodgrains, salt, oil, etc. Whether the hon. Minister propose to take some concrete steps to abolish sales tax ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में दिये गये आश्वासन को सरकार पूरा करने का भरसक प्रयास करेगी । इसमें कई कठिनाइयां हैं । यह एक राज्य विषय है । हम उन्हें कह-सुनकर इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं । इस दिशा में प्रयास जारी हैं ।

Shri Om Prakash Tyagi : Whether the hon. Minister is aware that on account of heavy increase in black money in the country by sales tax the Government of India are not only suffering loss but the economic structure of the country can also be jeopardised ? Whether keeping in view this fact it will be treated as a Central subject and the State Governments will be given an assurance that they will not suffer any loss on this account and they will receive as much income as they are getting now ? Are you prepared to give such an assurance ?

श्री एच० एम० पटेल : : निश्चय ही चर्चा का हमारा आधार यह होगा । मैं उन्हें आश्वासन दूंगा कि उनको लगभग उतनी आय होती रहेगी । परन्तु यह एक राज्य विषय है मैं उन्हें कह-सुन कर ही ऐसा कर सकता हूँ अन्यथा नहीं ।

Shri Om Prakash Tyagi : Are you prepared to make it a Central Subject or not ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये संविधान में संशोधन की आवश्यकता है ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि इसके विकल्प में वह सभी राज्यों में बिक्री-कर की एक समान दर निर्धारित करने की बात सोच रहे हैं क्योंकि बिक्री कर को भिन्न-भिन्न दरों से ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिये कठिनाइयां पैदा होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता है ।

Shri L. L. Kapoor : Will the Minister be pleased to state the percentage of sales tax recovered and the percentage of sales tax evaded ? Will the Centre also give an assurance to State Governments that if sales tax is replaced by excise duty they will receive the same income as they are getting now and they will also make good loss of revenue on account of evasion of sales tax ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं राज्य सरकारों को आश्वासन दूं कि यदि वे यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो केन्द्र सरकार उन्हें वह राशि भी देंगे जो लोग बिक्री कर की चोरी कर के बचाते हैं । मैं ऐसा आश्वासन कैसे दे सकता हूँ ?

श्री कृष्ण कान्त : इस प्रश्न के दो पहलू हैं । पहला यह कि बिक्री-कर को उत्पाद-शुल्क में बदलने के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाये और दूसरा यह कि इसे किस प्रकार समाप्त किया जाये । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह राज्य सरकारों से मामले पर कब चर्चा करेंगे, और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, वहां की सरकारों का रवैया क्या है और क्या उन्होंने बिक्री-कर को समाप्त करना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या वह अगले बजट सत्र तक कोई निर्णय ले पायेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक बिक्री-कर को उत्पाद-शुल्क द्वारा बदलने के प्रस्ताव के बारे में प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस मामले में जिन राज्यों सरकारों के साथ मैंने परामर्श किया है उनमें से जनता पार्टी की सरकारें इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो रही हैं जबकि अन्य सरकारों का इस सम्बन्ध में नरम रुख है । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की समय-सीमा की मांग न करें ।

श्री द्वारिकादास पटेल : माननीय मंत्री ने कहा है कि बिक्री-कर एक राज्य विषय है । अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर एक केन्द्रीय विषय है । क्या वित्त मंत्री उसे समाप्त करेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : केन्द्रीय बिक्री-कर तब तक रहेगा जब तक बिक्री-कर का ढांचा रहेगा । परन्तु केन्द्रीय बिक्री-कर से वसूल की गई राशि भी राज्यों को जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I welcome the proposal of levy of excise duty. What revenue the Central Government will earn thereby? Whether similar exemption will be given to industries under the Control of State Governments so as to enable them to levy their excise duty of their own ? By what time this proposal is likely to be implemented ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने बिक्री-कर और उत्पादन-कर का उल्लेख किया है । जब तक यह राज्य का विषय रहता है और जब तक वे इससे सहमत नहीं होती तब तक मैं किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं दे सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What revenue the Central Government will earn by levy of production tax?

श्री एच० एम० पटेल : इस प्रकार का ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

श्री आर० वेंकटारमन : वित्त मंत्री को पता है कि राज्य व्यय की मदें बढ़ाते जा रहे हैं और राजस्व की मदें कम करते जा रहे हैं और उनके पास राजस्व का केवल एक ही लचीला साधन अर्थात् बिक्री कर है । वे इसे राज्यों की स्थानीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी एक स्थान पर या अधिक स्थानों पर लगाते हैं । यदि सरकार बिक्री-कर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या किसी अन्य कर द्वारा बदलती है, तो राज्यों को बिक्री कर से मिलने वाला राजस्व कम हो जायेगा और वे अपने बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने में असमर्थ हो जायेंगे । क्योंकि झा समिति ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध सिफारिश की है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार राज्यों के संसाधनों पर और अपनी कर पद्धति के हेर-फेर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी समर्थता पर गम्भीरता से विचार करेगी ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रस्ताव के प्रति वचनबद्ध है ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि माननीय सदस्य ने जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखा है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिक्री-कर को बदला जायेगा। हम उन्हें कह रहे हैं कि वे बिक्री कर को उत्पाद-शुल्क द्वारा बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करें । परन्तु यह इस ढंग से किया जायेगा कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व की कोई हानि न हो । यदि हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें राजस्व की कोई हानि नहीं होगी और लचीलापन बना रहेगा तो उन्हें इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये । उन्हें हम पर पूरा भरोसा रखना होगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि कार्यों के लिये वित्त पर ली जाने वाली ब्याज की दर

*82. **श्री दारुर पुलय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि-कार्यों के लिए वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक किस दर से ब्याज वसूल करता है और उसके लिये सहकारी बक ब्याज की क्या दर लेते हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : अल्पावधिक कृषिक ऋणों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों द्वारा लिए गये ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित बैंक दर से 2 प्रतिशत दर (वर्तमान दर 9 प्रतिशत) से ब्याज लेता है । मध्यावधिक कृषिक ऋणों के लिए निर्धारित बैंक दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर से ब्याज लिया जाता है।

अल्पकालिक कृषिक प्रयोजनों के वास्ते अंतिम ऋणकर्ता से सहकारी समितियों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर वार्षिक 11 और $14\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच है जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह अधिकतम सीमा क्रमशः 14.75 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 16.25 प्रतिशत वार्षिक तक है ।

श्री दारुर पुलय्या : ब्याज की दर कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है क्योंकि रिजर्व बैंक और सहकारी बैंक द्वारा जो ब्याज की दर रखी जाती है वह किसान तक पहुंचने तक बहुत बढ़ जाती है ।

श्री एच० एम० पटेल : यह अन्तर बहुत अधिक नहीं है क्योंकि सहकारी बैंक निधि न केवल रिजर्व बैंक से पैसा लेकर एकत्र होती है बल्कि जमा पूंजी तथा अन्य तरीकों से भी वे निधि बनाते हैं और उन्हें अधिक व्याज देना पड़ता है। 45 प्रतिशत राशि तो रिजर्व बैंक से 7% दर पर मिलती है और 55% संसाधन जुटाने पर उन्हें 8% या कभी 9% तक ब्याज भी देना पड़ता है। इसलिए किसान को वह अधिक व्याज की दर पर ही ऋण देंगे। तीन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अल्पकालिक कृषि कार्यों के लिए 11 से 14½% तक ब्याज लिया जाता है। गुजरात में यह 14.75%, महाराष्ट्र में 15% तथा मध्य प्रदेश में जरा ज्यादा अर्थात् 16.25% तक होता है।

श्री दारुर पुलय्या : चूंकि अनेक समितियां मृत हो चुकी हैं और गांवों में ऋण सुविधा नहीं रही। राष्ट्रीयकृत बैंक 10 कि० मी० की दूरी से अधिक के लोगों को ऋण नहीं देते और इतनी दूरी के भीतर भी सीमांतक तथा छोटे किसानों को ऋण नहीं दिया जाता। इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में छोटे तथा सीमांतक किसानों को ऋण दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ताकि कृषि में सुधार हो और देश की पैदावार बढ़े।

श्री एच० एम० पटेल : सरकार इस बात को गम्भीरता से लेती है पर आपका प्रश्न तो सहकारी बैंकों के बारे में था। इन बैंकों के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक अब बड़ी मात्रा में कृषकों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं।

अब इस समस्या को हल करने में थोड़ा समय तो लगेगा। 1953 या 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सहकारी समितियां कृषि सम्बन्धी केवल 3% जरूरतें पूरी करती थीं। लेकिन अब इतने वर्ष हो चुके हैं और यह बढ़ कर 25 प्रतिशत हो गया है जो काफी वृद्धि है **(व्यवधान)**

राष्ट्रीयकृत बैंक कृषिक प्रयोजनों की 10% जरूरतें पूरी कर रहे हैं। उनसे कहा गया है कि वह ऋण सम्बन्धी कुल जरूरतों का 33% भाग का उत्तरदायित्व लें। ऐसा होने पर काफी जरूरतें पूरी हो सकेंगी पर उसमें कुछ समय लगेगा।

प्रो० आर० के० अमीन : मंत्री जी ने कहा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ राज्यों में व्याज की दर अधिक ली जाती है। इसका कारण क्या है ?

दूसरे किसान को ऋण लेने के लिए कानूनी अथवा गैर कानूनी रूप से क्या लागत अदा करनी पड़ती है और क्या इतनी लागत अदा करने के बाद ऋण लेना किसान के लिए लाभप्रद है ? यदि नहीं, तो ब्याज की दर कम क्यों नहीं की जाती ?

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय ने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। संस्थाओं द्वारा किसान की केवल 35% ऋण सम्बन्धी जरूरतें पूरी की जाती हैं। शेष जरूरतों के लिए उसे साहूकार आदि पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सहकारी बैंकों की अपेक्षा साहूकार द्वारा जो अधिक ब्याज लिया जाता है उसकी चिंता किसान को है।

माननीय सदस्य ने कानूनी और गैर कानूनी लागत के बारे में पूछा है। इसके लिए मुझे वह जानकारी दें कि कितना देना पड़ता है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसानों की ऋण सम्बन्धी अधिकांश जरूरतें वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा पूरी की जायें।

प्रो० आर० के० अमीन : आपने तीन राज्यों द्वारा अधिक ब्याज दर लेने का कारण नहीं बताया।

श्री एच० एम० पटेल : जैसा मैंने कहा है सहकारी बैंक उपलब्ध राशि का 55% भाग वितरित करते हैं और शेष को राज्यों के पास जमा करा दिया जाता है और राज्यों के पास जो पैसा जमा कराते

हैं उन्हें अधिक ब्याज दिया जाता है । इसी कारण ब्याज की दरों में अंतर है । लेकिन सहकारी बैंकों के लेन-देन पर रिजर्व बैंक नियंत्रण नहीं रखता ।

Shri Yuvraj : May I know the reasons why 14½% interest is charged from small farmers whereas only 14% is charged from big industrialists against credits?

श्री एच० एम० पटेल : यदि सदस्य महोदय चाहते हैं कि व्यापारियों की अपेक्षा किसानों से कम ब्याज लिया जाये तो यह कार्यवाही के लिए सुझाव है जिस पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है। हमारा प्रयास यही है कि किसान पर ब्याज का बोझ कम पड़े । इसीलिए उसकी उत्पादन लागत को ध्यान में रख कर ही उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निश्चित किये जाने की बात किसान कह रहे हैं ।

श्री अण्णासाहिब गोरखिन्डे : इस तथ्य को देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार को कृषि विकास प्रयोजनों के लिए 1 प्रतिशत से भी कम ब्याज पर सहायता मिलती है और उस ऋण को 30 से 40 वर्ष की लम्बी अवधि में वापस करना होता है, सरकार कृषि पुर्नवित्त विकास निगम को किस दर पर यह सहायता उपलब्ध कराती है ? इसके बाद यह निगम किस दर पर भूमि विकास बैंकों को पैसा देती है ? यदि सरकार कृषि पुर्नवित्त निगम को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराये तभी किसान को लाभ हो सकता है । सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रियां है ?

श्री एच० एम० पटेल : कृषि कार्यों के लिए भारत सरकार को विश्व बैंक द्वारा मिलने वाली सहायता सम्बन्धी कुछ गलतफहमी है । यह सहायता कृषि के सामान्य विकास के लिए है न कि कृषि पुर्नवित्त निगम को देने के लिए । राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वे छोटे तथा सीमान्तक किसानों को दिये जाने वाले ऋणों पर 4% की दर से ब्याज ले ।

श्री अण्णासाहिब गोरखिडे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : उसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री यशवंत बोरोले : अब रिजर्व बैंक ने ब्याज लेने का तरीका बदल दिया है । पहले यह छः मास के आधार पर लिया जाता था और अब मासिक आधार पर लिया जाता है। क्या सरकार को इसका पता है और क्या उन्हें छोटे किसानों की ओर से कोई ज्ञापन मिला है ?

श्री एच० एम० पटेल : सरकार को इसका पता है और निर्देश दे दिये गये हैं । सरकार को ज्ञापन मिले हैं जिन पर विचार हो रहा है ।

Smuggling Activities in Kasargod (Kerala)

*83. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the smugglers have again started indulging in smuggling activities and Kasargod, a small port in the north part of Kerala, has now become the centre of such activities and if so, the arrangements being made by Government to check the smuggling activities;

(b) whether they are smuggling goods, particularly consumer goods, worth 300 or 400 crores of rupees from foreign countries and all these goods are sold mainly in Karnataka and Maharashtra; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) & (b). No. Sir, Reports received by the Government do not indicate that the smugglers have started indulging in smuggling activities in a big way. These reports further do not show that Kasargod (in the northern part of Kerala) has become the centre of such activities. On the

other hand the reports indicate that there is no increase in the smuggling activities as evidenced by such indicators as the decreasing quantum of seizures of contraband goods by the Customs authorities and the increase in inward remittances (non-trade) from abroad. Regarding the sale of smuggled goods in Karnataka and Maharashtra, reports indicate that these goods are not freely available in these places. On verification, it was found that some of the items which were exhibited for sale were in fact spurious.

(c) Although smuggling continues to be effectively contained, Government have launched a three-pronged attack to check smuggling by strengthening the preventive and enforcement machinery, resorting to selective use of the provisions of COFEPOSA Act, 1974 and by taking appropriate economic measures to increase the availability of sensitive items at a reasonable prices.

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री जी ने कहा है कि तस्करी छोटे पैमाने पर चल रही है । क्या यह तथ्य है कि तथ्य कि छोटी लेकिन बहुत कीमती चीजों को तस्करी करके उन्हें कासरगोड लाया जाता है और बाद में उन्हें बम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य नगरों में बेचा जाता है ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसा मैंने कहा है कि तस्करी होती है लेकिन हम इसे प्रभावी ढंग से रोकने में सफ़ल हुए हैं । पिछले 48 घंटे में हीं एक विदेशी से 50 लाख रुपये के हीरे पकड़े गये हैं । सरकार को पता है और उसे रोकने के लिए यथा सम्भव प्रयास तथा कड़े उपाय किये जा रहे हैं हालांकि हमारी जानकारी है कि तस्करी को काफ़ी हद तक रोक दिया गया है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : 50 लाख रु० कोई कम चीज नहीं । क्या मैं जान सकता हूं कि इन हीरों के पकड़े जाने से पहले कितने रुपये मूल्य के हीरे तस्करी द्वारा देश में आये । अभी तो आपने इस भारी समस्या को छुआ भर है और कासरगोड़ छोटी किन्तु बहुमूल्य वस्तुओं की तस्करी का केन्द्र बन गया है ।

श्री एच० एम० पटेल : आपको पता है कि हीरे-सोने या चांदी की तरह नहीं हैं । उन्हें तो काट कर पुनः निर्यात करने के लिए भारत लाया जाता है । इस से देश को आय होती है । इस तस्करी को रोकना सम्भव है ।

श्री एस० आर० दामानी : तस्करी जारी है चाहे बड़े पैमाने पर हो या छोटे पर और सोना ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी अधिकतर तस्करी होती है । क्या मंत्री जी सोने की तस्करी रोकने के लिए सोने के आयात पर विचार करेंगे कम से कम उतनी चांदी के मूल्य के बराबर तो आयात किया जाये जो सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करती है और जो सोने के आभूषण निर्यात किये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय ने सुझाव दिया है जिस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Phirangi Prasad : May I know the names of the people of our Country who patronise these smugglers in view of the fact that diamonds worth Rs. 50 lakhs have been seized during the last 48 hours.

श्री एच० एम० पटेल : तस्करों का सम्बन्ध तो भारत तथा अन्य बहुत से देशों से है ।

श्री हरिकेश बहादुर : सरकारी प्रयासों के बावजूद नेपाल सीमा पर विशेष कर पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले क्षेत्रों में तस्करी चालू है । इस बारे में सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री एच० एम० पटेल : इतनी लम्बी भू-सीमा और इतने बड़े समुद्री तट को देखते हुए इस बारे में अनेक कठिनाइयां हैं । इन क्षेत्रों की पूरी गश्त की जाती है । जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में

बताया है कि तस्करी निवारक तंत्र को प्रभावी बनाया जा रहा है। यदि सदस्य महोदय के पास कोई जानकारी हो तो वह मुझे दे दें ताकि हम कार्यवाही कर सकें।

श्री एल० के० डोले : जनता शासन काल में अब तक कितने तस्कर पकड़े गये हैं और उन्होंने किस प्रकार के अपराध किये थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसके लिए सूचना चाहिये।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*840. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जिसके कारण देश में अनेक आंतरिक विमान सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) बम्बई में 29-9-77 से 5-10-77 तक एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज यूनियन तथा इंडियन एयरक्राफ़्ट टैकनीशियन्स ऐसोसिएशन द्वारा एकदम अकस्मात् "काम रोक कर बैठे रहो" हड़ताल (Lightning sit-in strike) शुरू कर दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 30-9-77 को 8 उड़ानें तथा 1-10-77 से 6-10-77 तक प्रतिदिन 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

(ख) मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि इन उड़ानों के रद्द किये जाने के कारण इन्डियन एयरलाइन्स को 28 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(ग) एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज यूनियन तथा इंडियन एयरक्राफ़्ट टैक्नीशियन्स ऐसोसिएशन ने सीनियर सिक्योरिटी ऑफ़िसर को जिसने एक चपरासी को कारपोरेशन की कुछ खान-पान की चीजें बाहर ले जाते हुए पकड़ा था, यह आरोप लगाते हुए मुअत्तल करने की मांग की थी कि उस अफ़सर ने चपरासी को मारा था। इंडियन एयरलाइन्स ने फ़ौरन ही इस घटना की जांच के आदेश दे दिये थे।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : इन्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्य करने की रीति अपनायी। यह हड़ताल से भी खराब है इसके कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इसका कारण यह था कि एयर इन्डिया 20 प्रतिशत बोनस देती रही है जबकि इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा अधिक लाभ अर्जित किये गये हैं। नियमानुसार करने का एक कारण यह था। परिणामस्वरूप इन्डियन एयरलाइन्स को अक्टूबर में 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

Shri Purshottam Kaushik : The question asked by the hon. member is not very clear. He asked for the reasons for the strike. He has not asked whether any peon was suspended or not. But this information has been furnished. I may inform the hon. Member that on this issue 'work to rule' is going on. I may clarify the position that the ex-gratia is 8.33%. They cannot pay more than that. In spite of that these people are adopting 'go slow tactics.' Talks were held with them on 3rd November. They are holding talks with the management on the issue of linking bonus with productivity. They have withdrawn the notice for working to the rule. Whatever the decision may be arrived at as a result of these talks, the management under the law has to abide by it.

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या हड़ताल कुछ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं । एक मामला बोनस का है दूसरा पदोन्नति का है । प्रबन्धक मंडल कर्मचारी संगठनों में भेदभाव पैदा कर रहा है । कई वर्षों से पदोन्नति के मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया । क्या मंत्री महोदय इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के 10 वर्ष की नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के मामलों की जांच करायेंगे ?

Shri Purshottam Kaushik : I can only assure that I would look into the irregularities if any. He has not clarified as to which strike his question relate to. So it is not possible to reply to all the matters. The matter is not clear from the questions. I wonder how this question was admitted. They want information without being specific. I can place the information regarding this strike but how can I answer as to what happened during the last 10 years.

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : इन्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की किन मांगों के कारण हड़ताल हुई।

Shri Purshottam Kaushik : Please look into the question. In part (A) he has asked whether there has been a strike by Indian Air Lines employees which resulted in the disruption of many internal flights in the country.

In part (B) he has asked, if so, the loss the Government has to suffer; and

Part (C) contains "the reasons therefor and the reaction of the Government thereto. It relates to one strike only.

अध्यक्ष महोदय : भाग (ग) में पूछा गया है इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । इसमें पदोन्नतियां तथा अन्य बातें आ सकती हैं ।

Shri Purshottam Kaushik : The strike I have mentioned took place due to an incident of theft by a peon and action to take him to task. The losses suffered and the action taken by the Government have already been stated by me. It is not possible for me at this moment to reply to any question raised by the member.

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मंत्री महोदय द्वारा उल्लेख की गई अवधि में, 5 अक्तूबर, तक न केवल बंबई में अपितु देश के अन्य स्थानों पर भी हड़तालें हुई हैं । मुझे समझ में नहीं आया कि मंत्री महोदय ने बंबई के अलावा अन्य का उल्लेख क्यों नहीं किया ।

4 अक्तूबर, 1977 को दिल्ली एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पहचान-पत्र तथा बैज दिये जाने के मामले में तंग किये जाने के विरोध में 4 घंटे के लिए काम रोके रखा । कलकत्ता में भी पूर्वी क्षेत्र की विमान सेवाएं ठप्प रहीं । और 9 अक्तूबर को इन्डियन एयरलाइन्स ने पूर्वी क्षेत्र में 'फोक्कर' विमान सेवाएं रद्द किये जाने की घोषणा की ।

मंत्री महोदय ने यह जानकारी सभा को क्यों नहीं दी । प्रश्न हड़ताल के बारे में है जबकि मंत्री महोदय उत्तर बंबई की हड़ताल के बारे में दे रहे हैं । देश भर में भारतीय एयरलाइन्स में असंतोष के क्या कारण हैं ? उत्तर को बंबई तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न व्यापक है । उत्तर को बंबई तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए अपितु दिल्ली कलकत्ता भी इसके अंतर्गत आने चाहिएं ।

Shri Purshottam Kaushik : I had stated in reply to the question that they were not at all working, it was a sit down strike which followed a complete strike. Controversies arise over minor matters. There has been an agreement with the management so I did not reply to it.

24 LSS/77—2.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरक प्रश्न के उत्तर में जानकारी देनी चाहिए थी ।

Shri Purshottam Kaushik : There is no question of concealing the information from the House. Had it been specifically asked as to what happened in Calcutta, Madras, Hyderabad and Bombay. I would have given the information. But the question....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न व्यापक है। श्री चन्द्रगौडा ने अपने पूरक प्रश्न में अन्य स्थानों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। प्रश्न पूरे देश में हड़तालों के बारे में है केवल बम्बई के बारे में नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि प्रश्न में स्थानों का उल्लेख नहीं था। अतः उन्होंने यह समझ लिया कि प्रश्न केवल बम्बई के बारे में है। परन्तु जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि प्रश्न व्यापक है जिसके अन्तर्गत सभी हड़तालें आ सकती हैं। मेरा पूरक प्रश्न है कि पिछले कुछ महीनों से इंडियन एयरलाइंस में थोड़े समय के लिये हड़ताल किए जाने की, कुछ घंटों की तथा कुछ दिनों की हड़तालें होती रही हैं जिससे विमान सेवाएं ठप्प हो गई हैं, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई तथा यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि भारत सरकार के पास कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन करने के लिए कोई संगठन है, जो इंडियन एयरलाइंस के सभी वर्गों के कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन करे तथा ऐसी हड़तालों की सभी सम्भावनाएं समाप्त हो जायें ?

Shri Purshottam Kaushik : So far as the grievances and demands of the workers are concerned, there is definitely provision at every level to solve the problems in joint meetings. The labour leaders often meet me and I always assure them that this matter would be investigated. Unfortunately due to disunity in unions there could not be any reconciliation among them in spite of talks. So the strikes like this take place.

In this regard I want to say that the strike of which I mentioned that strike did not take place in Bombay. Their union leaders came and wanted suspension of the security officer. I asked for two days time for investigation and if there was a *prima facia* case the officer responsible for beating would be suspended. But at midnight they suddenly went on lightning strike. On October 6, they called on me. So in this matter and in regard to Bonus we and the management had talks with the employees union leaders. The management clarified the difficulties in payment of 20 per cent bonus in the present circumstances. We make all out efforts to maintain normal and cordial industrial relations.

अल्पसूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Warrants Issued by Former Government

1. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether the former Government had issued warrants against 2,500 persons and whether warrants against two thousand persons among them are still operative;

(b) if so, whether Government proposes to arrest these persons;

(c) if not, the reasons why these warrants have not been cancelled so far; and

(d) the policy of the Government in this regard ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 21-3-1977 से पहले, 322 नजरबन्दी आदेश भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा 3026 नजरबन्दी आदेश विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये थे। इन आदेशों के आधार पर इस समय 118 व्यक्ति नजरबन्द हैं जबकि 202 नजबरन्दी आदेशों का निष्पादन नहीं हुआ है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति फरार हैं।

(ख), (ग) और (घ) 21-3-1977 से पूर्व जारी किये गये सभी नजन्बरदी आदेशों की, नजरबन्दी संबंधित प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जा रही है तथा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर उन्हें रद्द किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that 322 warrants were issued by central Government and 3026 by the State Governments. Is it a fact that these persons were first held under M.I.S.A. and they were detained under conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act and if so, then when will the persons who are still under detention be released ? Is it a fact that allegations against these persons were due to enemity or vindictiveness. Does the Janata Government propose to withdraw the detention orders against these people and initiate legal proceedings against these accused persons ?

श्री एच० एम० पटेल : कुछ ऐसे मामले हुए थे जिनमें व्यक्तियों को पहले 'मीसा' में बन्द किया गया और बाद में उन पर विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण लगा दिया गया। परन्तु ऐसा बहुत अधिक मामलों में नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य शेष के बारे में जानना चाहेंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है 21-8-77 को नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या 28 थी। 47 व्यक्तियों के मामले में नजरबन्दी आदेश लागू नहीं किये जा सके क्योंकि यह लोग फरार हैं। 21-3-77 से 11-11-77 तक 47 में से 3 व्यक्ति नजरबन्द कर लिए गये हैं। 29 नजरबन्दों को रिहा कर दिया गया है। इस समय वास्तविक रूप से नजरबन्दों की संख्या केवल 2 है। फरार व्यक्तियों के मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। 13 फरार व्यक्तियों के बारे में आदेश रद्द कर दिये गये हैं। एक फरार व्यक्ति मर गया है। अब 11-11-77 को केवल 30 फरार व्यक्ति रह गये हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated the number of persons under detention as 28 whereas in main answer it has been mentioned as 118.

It means that the hon. Minister is making a wrong misstatement. Is not it a fact that most of the persons against whom cases have been instituted are absconding and many have died. Does the Government want them to be killed. Would the Government adopt the policy that the persons against whom cases have been initiated, are released. This was a wrong committed by the former Government. They had detained a large number of persons without any reasons. Would the Government withdraw charges against them and initiate cases in country anew.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री क्यों दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह सरकार की ओर से उत्तर दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह केवल 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत बन्द किये गये व्यक्तियों के बारे में उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा वह कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप प्रश्न को पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछा गया है तथा वित्त मंत्री इसका उत्तर देने की स्थिति में है तो वह सरकार की ओर से उत्तर दे सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम से है, अन्यथा नजरबन्दी का मामला तो गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अधीन ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसी स्थिति में वित्त मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि इसमें भूल हुई है।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः इसका सम्बन्ध वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय दोनों से ही है। वित्त मंत्री इसका उत्तर देना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो लोग घर पर भी कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं वह जानते हैं कि इसमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी........ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में वही कह सकते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कृपया इस प्रश्न को अगले सप्ताह तक रोक दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको अगले सप्ताह तक नहीं रोक सकता।

श्री एच० एम० पटेल : प्रश्न को रोके रखने की क्या आवश्यकता है जबकि मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार केवल दो व्यक्ति नजरबन्द हैं। 116 व्यक्ति राज्य सरकारों के आदेशानुसार नजरबन्द हैं। इन्होंने 118 व्यक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The other part of my question has not been replied Lakhs of people were prosecuted by the former Government and were arrested also.I want to know if now this Government withdraw the cases against those people and prosecute the guilty people. Secondly whether those people are being prosecuted for social crimes or political offences ?

श्री एच० एम० पटेल : ऐसे सभी व्यक्तियों को परामर्श बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसका कि गठन किया जा चुका है तथा केवल उन्हीं व्यक्तियों को नजरबन्द रखा जाता है जिन्हें और अधिक समय तक नजरबन्द रखने के लिए बोर्ड सिफारिश करता है। हम सब कुछ कानून के अनुसार कर रहे हैं। कालावधि के समाप्त हो जाने पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जांच समाप्त होते ही उनके विरुद्ध न्यायालयों में कार्यवाही की जायेगी...... **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai : Excuse me, I categorically asked that a large number of people sitting on this side were arrested by that Government.

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप कृपया बैठ जाइये। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपने यह पूछा था कि क्या उन सभी लोगों को रिहा कर दिया जायेगा जिन्हें कि पिछली सरकार द्वारा बन्दी बनाया गया था। उन्होंने उसका उत्तर 'नही' में दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मामला परामर्श बोर्ड को भेजा जाता है तथा उसी के परामर्श के अनुसार निर्णय किया जाता है। यह उत्तर पूर्ण है।

Shri Hukam Chand Kachwai : This work is being done very slowly. I want that it should be exhibited.

Shri Ugrasen : It has been stated by the Minister that a good number of people who were detained for economic offences have been released. In this context may I know from the

Minister as to what procedure this Government is likely to adopt to deal with the people, who are committing or are likely to commit economic offences so as to put an end to economic offences in Janata Government rule ? Will the Minister give some outlines for the same ?

श्री एच० एम० पटेल : यह मामला कुछ मिला जुला है। यह सभी आर्थिक अपराधी हैं। जैसाकि मैं बता रहा था, हम पूर्णतया कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा यह भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि उन सभी व्यक्तियों के रिहा कर दिया जाये, जिन्हें कि रिहा किया जा सकता है। नजरबन्द किये गये प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा जैसा कि आपको मालूम हीं है, रिहा किये गये लोगों की संख्या काफी अधिक है। जो शेष रह गये हैं, उनके बारे भी शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Ugrasen : My question is how do you propose to punish the people who indulge into economic offences ?

श्री एच० एम० पटेल : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उग्रसेन : नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री एच० एम० पटेल : अब के बाद तो लोगों को केवल विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत ही नजरबन्द किया जायेगा न कि 'आंसुका' या अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कम मूल्य के बीजक तैयार करके गड़बड़ी करने से देश को लगभग 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होती है। क्या मंत्री महोदय सदन को यह बतायेंगे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली भूतपूर्व सरकार ने अपने परिपत्र संख्या 671/46/76-Cus-8 दिनांक 24 नवम्बर 1976 में यह परिचालित किया था कि वैध तथा आम व्यापार में लगे हुए लोगों को आर्थिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिये उनके विरुद्ध विशिष्ट कानूनों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जानी चाहिये। उदाहरणार्थ यदि साधारण आयात का निर्यात के मामलों में आयात व्यापार नियंत्रण या निर्यात व्यापार नियंत्रण या विदेशी मुद्रा विनियमन या सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस शुदा मात्रा से अधिक माल का आयात करना या उसकी क्वालिटी में माल की हेर फेर करना विशिष्टियों में फेर-बदल करना, या उस माल का गलत मूल्य घोषित करना इत्यादि अपराध इन नियमों के अन्तर्गत आते हैं। क्या यह पूर्णतया सत्य है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा इस आदेश के बल पर ही बीजकों में हेर फेर करने वालों को तो कुछ नहीं कहा अपितु विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत केवल छोटे छोटे तस्करों के विरुद्ध की कार्यवाही की जाती रही?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक जानकारी है। प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती। आप इसे सदन की मेज पर रख सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमानजी, मैं इसे सदन की मेज पर रख दूंगा। मैं इसे प्रमाणित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सदन की मेज पर रख दीजियेगा। इसका अध्ययन कर लिया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Just now it has been stated by hon. Minister that several people have been released who were detained under 'COFEPOSA' and only two are still under detention and the rest have been detained by States. My submission is that after this smuggling activities have been restarted. In this connection a recently statement of your Minister of State was published in newspaper in which it was stated that smugglers indulge into smuggling activities with the co-operation of political leaders and a tape-record

thereof is also available in your Ministry. If it is a fact, I would like to know from hon. Minister whether smugglars are indulging in smuggling activities with the active co-operation of political leaders ? Secondly, how many smugglers have been arrested since he took over as Minister ?

श्री एच० एम० पटेल : इस समय सम्भवत: 90 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान सरकार ने 'काफीपोसा' के अन्तर्गत नजरबन्द कर रखा है।

श्री कवंल लाल गुप्त : मेरा प्रश्न अलग है। सम्भवत: मंत्री महोदय हिन्दी नहीं समझते हैं। मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। प्रथम भाग यह है कि क्या यह सच है कि उनके राज्य मंत्री ने समाचारपत्रों को स्पष्ट रूप से बताया है कि तस्कर राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर तस्करी करते हैं और इसके बारे में एक टेप-रिकार्ड भी है कि तस्करी जिस प्रकार की जाती है ? क्या यह सच है या नहीं। दूसरे आपके द्वारा इस मंत्रालय का कार्यभार संभाल लेने के बाद कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग के लिये नोटिस दीजिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपके व्यवहार के प्रति आपत्ति करता हूं। आप मंत्री नहीं बन सकते। मंत्री महोदय जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप उन्हें ही कहने दीजिये।

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह नहीं जानता कि किस आधार पर मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है। परन्तु इसके बारे में संदेह नहीं कि उन्होंने किसी निश्चित जानकारी के आधार पर ही ऐसा कहा होगा। मैं उनसे कह दूंगा कि वह सदन को या माननीय सदस्य को उसके बारे में सूचना दे दें। जहां तक इस सरकार द्वारा सभा में आने के बाद गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या का प्रश्न है, उनकी संख्या लगभग 90 है।

Shri Mani Ram Bagri: I object to what has been stated by the Minister. I am not to ask any question but I have got a point of order. May I know if there can be difference between the speech of hon. Minister and Minister of State. They have joint responsibility. So it is wrong on the part of Minister to say like that.

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है।

Shri Raghavji : It has been stated by the Minister that 116 persons have been detained by State Governments. I want to know how many people have been detained after emergency and how many during emergency alongwith their statewise break-up ?

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि वह इसका उत्तर नहीं दे सकते।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated by the Minister that 116 people have been arrested . May I know its statewise break-up ?

श्री एच० एम० पटेल : आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने के आदेश जारी करने से पूर्व गोआ, दमन और दीव में 11, गुजरात में 81, जम्मू कश्मीर में 1, कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 6, पंजाब में 3, तमिलनाडु में 10, पश्चिम बंगाल में 3 तथा केन्द्रीय सरकार के यहां 2 व्यक्ति नजरबन्द थे तथा उनकी कुल संख्या 118 थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बात से हम सभी सहमत हैं कि आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। अत: मैं इसके बारे में सरकार की नीति जानना चाहता हूं ? हमें बताया गया है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा नजरबन्द किये गये लोगों का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया था। यदि उस ताजे पुनरीक्षण से यह पता चलता है कि उन्हें नजरबन्द रखने का औचित्य है तो फिर

यह सरकार इस प्रकार के कदम क्यों नहीं उठाती जिनके अनुसार उन्हें विद्यमान कानून के अन्तर्गत जेल भेजा जा सके। ऐसा करने से जनता के समक्ष उन लोगों की गतिविधियां स्पष्ट हो जायेंगी तथा उन्हें काफीपोसा से भी अधिक हतोत्साहित करने वाली सजा दी जायेगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाती जिनके विरुद्ध प्रथम पुनरीक्षण से ही स्पष्ट केस बन जाता है और क्या मुकदमें आदि के लिए साधारण कानून के स्थान पर नजरबन्दी निवारक कानूनों का उपयोग किया जा सकता है तथा क्या देश के वर्तमान आर्थिक कानून इसके लिए पर्याप्त है या नहीं?

श्री एच० एम० पटेल: जहां कहीं हमें प्रर्याप्त साक्ष्य मिल जायेगी, वह मामला निश्चय ही हम न्यायालय में ले जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपने इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आप फिर उन्हें नजरबन्द क्यों करते हैं?

श्री एच० एम० पटेल : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों से केवल दो ही व्यक्ति नजरबन्द हैं। यह स्थिति है। जहां कहीं भी हमें प्रर्याप्त साक्ष्य मिल जायेंगी, हम उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: एक अन्य बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान कानूनों यथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम आदि के विद्यमान उपबन्ध इस प्रकार के लोगों को पकड़ने तथा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त है?

श्री एच० एम० पटेल: जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम आदि का सम्बन्ध है, वह उस उद्देश्य के लिए तो प्रर्याप्त है जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। जहां कहीं भी उनमें कोई त्रुटि है, हम उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका अध्ययन जारी है। साधारण कानूनों में से अभी तक विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम को ही जारी रखने की आवश्यकता समझी गई है।

श्री सौगत राय : श्री मनोरंजन भक्त द्वारा पूछे गये एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में, जिस पर कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण चर्चा नहीं हो सकी। उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार के इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि आपात स्थिति को समाप्त करने तथा तस्करों को रिहा करने के बाद तस्करी की गतिविधियों में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है क्योंकि बड़े-बड़े तस्कर छुपे है। वक्तव्य के एक अन्य मांग में उन्होंने कहा है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री चटर्जी यह प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या तस्करों के लिए इस अधिनियम में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है। परन्तु श्री कंवर लाल गुप्त ने बताया कि राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल ने समाचारपत्रों के समक्ष वक्तव्य देते हुए कहा है कि तस्क ी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए उनके सहयोग की अपेक्षा की गई है। इसे दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कई नजरबन्दी आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि तस्करों की उस सम्पत्ति का मूल्य कितना है जिसे कि श्री पटेल द्वारा वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद जब्त किया गया है।

श्री एच० एम० पटेल: प्रथमतः तो मैं यह कहना चहता हूं कि इनमें से कोई भी प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। परन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 41 व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त की गई है जिसका मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये है। मैं आपको निश्चित आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि आप अचानक यह पूछ रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी को गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत बन्द व्यक्तियों को मुक्ति के प्रभार के संदर्भ में अध्ययन

*85. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति को समाप्त करने के पश्चात् विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी की गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत बन्द व्यक्तियों की रिहाई के प्रभाव का नये सिरे से अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन व्यक्तियों पर आर्थिक अपराधों के लिए अभियोग चलाया जा रहा है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही करने हेतु विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी की गतिविधियां निवारक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि आपात स्थिति उठा लिये जाने पर तस्करों की रिहाई के बाद तस्करी क्रियाकलापों में कोई तेजी नहीं आई है और यह कि बड़े-बड़े तस्कर निष्क्रिय पड़े हैं। हालांकि पुनः संगठित होने और तस्करी को फिर से शुरू करने की रिपोर्टें मिली थीं, लेकिन और अधिक सतर्कता बरतने और सुदृढ़ निवारक उपाय करने पर भी वस्तुतः माल पकड़ने के किन्हीं मामलों से इनकी पुष्टि नहीं होती है।

(ख) जी हां, उपयुक्त मामलों में कानून के तहत आवश्यक कार्यवाही (जिसमें इस्तगासे की कार्यवाही शामिल है) भी की जाती है।

(ग) जी, नहीं, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरसों और रेपसीड तेल का मूल्य, उपलब्धता और वितरण

*86. **श्री लखन लाल कपुर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेल उद्योग के लिये लगभग 6 लाख टन खाद्य तेल का आयात करने और सका उत्पादन पूर्व वर्ष के समान होने के बावजूद बाजार में वनस्पति तेल का मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या बड़ी मात्रा में रेपसीड तेल का आयात किया गया है यदि हां, तो अप्रैल, 1977 से प्रत्येक महीने कुल कितनी कीमत तथा मात्रा में इसका आयात किया गया तथा इसके वितरण के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरसों के तेल का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तेल उक्त मूल्य पर उपलब्ध नहीं है;

(ङ) क्या सरसों के तेल में रेपसीड तेल मिलाने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) उक्त कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1119/77]

चाय का मूल्य कम करने के लिए कार्यवाही

†87. **श्री चित्त रंजन महाटा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय के मूल्य को और कम करने के लिये पहले ही किये गये उपायों के अतिरिक्त और प्रभावशाली कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) चाय की कीमत पर सरकार द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। सरकार ने चाय की कीमतों को कम करने के लिये पहले ही कई उपाय आरम्भ किये हैं और जब भी आवश्यकता होगी और आगे उपाय किये जाएंगे। सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप चाय की कीमतें काफी कम हुई हैं।

Abolition of Excise Duty on Hand Printed Sarees

88. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any delegation of Jetpur city in Rajkot district in Gujarat State has submitted representations to Government or has discussed orally to abolish or reduce excise duty on hand print industry and if so, when the delegation called on the Government;

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) when Government propose to abolish excise duty on hand printed sarees ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Yes, Sir. Some delegations called on the Government during August, 1977.

(b) & (c) The problem has been studied. There is no excise duty on hand printed sarees as such. However, the Government's decision regarding excise duty on base fabrics for hand printed sarees is likely to be taken shortly.

विदेशी मुद्रा कोष का उपयोग

*89. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा कोष का प्रभावी रूप से उपयोग करने की नीति के बारे में अब तक कोई दृढ़ निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) आयात संबंधी अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए, विशेषकर खेती की उपज में घट बढ़ के कारण मांग में होने वाली अचानक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, देश को अपने पास विदेशी मुद्रा का उचित भण्डार रखना होना है। फिर भी विदेशी मुद्रा भण्डार के मौजूदा आकार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसके कुछ भाग का इस प्रकार उपयोग करने का फैसला किया है जो उत्पादनकारी हो और जिससे मुद्रास्फिति न बढ़े। इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वे ये हैं:—

(1) देश की उत्पादन क्षमता के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों, फालतू पुर्जों और उपस्करों के आयात के लिए पूरी व्यवस्था करना;

(2) देश में कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए तंगी से मिलने वाली आम खपत की महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात की व्यवस्था करना; और

(3) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निर्धारित परियोजनाओं और कार्यक्रमों में, जहां बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो, तेजी के साथ पूंजी लगा कर अर्थ व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को तेज करना।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये विदेशी मुद्रा का उपयोग

*90. **श्री निहार लास्कर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अद्यतन कितनी विदेशी मुद्रा जमा हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करने का है ताकि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था विकसित हो सके; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 11 नवम्बर 1977 को (सोना और एस०डी० आर० को छोड़ कर) 3856.1 करोड़ रुपए की रकम थी।

(ख) सरकार का यह इरादा है कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि को देश की उत्पादक क्षमता के उपयोग के साथ सामंजस्य रखते हुए, अर्थ व्यवस्था की आयात संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग में लाया जाए ताकि देश में उत्पादन को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके। यद्यपि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के कार्यक्रमों के लिए आमतौर से कम आयात करने की जरूरत होगी फिर भी आम खपत की वस्तुओं और कम मात्रा में उपलब्ध कृषि-उपयोगी वस्तुओं के आयात के लिए प्रारक्षित निधि का इस्तेमाल करने से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के त्वरित विकास को इस ढंग से चालू रखने में सहायता मिलेगी जिससे मु ास्फीति न हो।

(ग) खाद्य तेलों, कपास आदि जैसी आम खपत की वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात का प्रबन्ध करने के अलावा सरकार ने आयात नीति को भी उदार बना दिया है ताकि देश की उत्पादक क्षमता के उपयोग के साथ सामंजस्य रखते हुए अर्थ व्यवस्था की आयातित कच्चे माल, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और उपकरणों की सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में श्री ए० एन० हकसर की नियुक्ति

*91. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल टोबैको कम्पनी के अध्यक्ष, श्री ए० एन० हकसर को जो ब्रिटिश नियंत्रित कम्पनी है और जिसका नाम अब इण्डियन टोबैको कम्पनी लि० हो गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इस कम्पनी को बीजक बनाने में धोखेबाजी करते पकड़ा गया था और झींगा मछली के निर्यात में उक्त गड़बड़ी करने के लिए दण्ड दिया गया था ;

(ग) क्या विभिन्न धोखेबाजियों और कदाचारों के लिए उन पर पिछले सत्र में गंभीर आरोप लगाये गये थे; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सीमाशुल्क विभाग को इस कम्पनी से 90 लाख रुपये लेने थे और इस राशि को वे अनुचित ढंग से वित्त तथा बैंकिंग मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री के आदेश से जिनके विरुद्ध आजकल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है; बचा गए ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) श्री ए० एन० हकसर को आरम्भ में 23 फरवरी, 1973 को पूर्वी क्षेत्र के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय मण्डल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके साथ साथ उसी तारीख से बैंक के केन्द्रीय मण्डल में निदेशक के रूप में नामित किया गया। उन्हें 22 जुलाई, 1977 को इन दोनों पदों पर अगली पदावधि के लिये पुनः नामित कर दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) मद्रास कस्टम हाऊस ने इण्डियन लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी के विरुद्ध लगभग 90 लाख रुपये का दावा किया है। राजस्व विभाग ने इस दावे के विरुद्ध दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया था तथा विचार करने के बाद और राजस्व तथा बैंकिंग के भूतपूर्व मंत्री के आदेश प्राप्त करने के बाद, 19 मार्च, 1977 को छूट के आदेश जारी करके इस मामले को निपटा दिया गया था।

इस समय, इस मामले से सम्बन्धित सभी कागजात शाह आयोग के पास हैं। माननीय सदस्य का ध्यान 17 जून, 1977 को मेरे द्वारा दिये गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 882 और 780 के उत्तर की ओर भी दिलाया जाता है।

मद्रास पत्तन से न उठाया गया आयातित तेल

*92. **श्री अनंत दवे** :
श्री समर मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि "मलेशिया और सिंगापुर से आयात किया गया 9000 मीट्रिक टन खाद्य तेल मद्रास पत्तन से नहीं उठाया गया क्योंकि इसे घटिया किस्म का बताया जाता है";

(ख) सप्लायरों के खिलाफ सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) इस माल के बारे में किंग इंस्टीट्यूट की क्या रिपोर्ट है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) संदर्भित भेजे हुये सम्पूर्ण माल का आयात निजी व्यापारियों द्वारा किया गया है और इसलिये सरकार द्वारा सप्लायरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन तेलों के नमूने जांच के लिये किंग इंस्टीट्यूट, पब्लिक एनालिस्ट, नगर निगम मद्रास और एगमार्क प्रयोगशाला, मद्रास को भेजे गये थे। इनमें से कुछ नमूनों में परआक्साइड गुण की अधिकता होने के कारण सही नहीं पाये गये। इन्हें आगे और जांच के लिये केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला कलकत्ता भेजा गया था। 13,300 मीटरी टन में से अब तक कुल 6,600 मीटरी टन मात्रा छोड़ दी गयी है।

Proposal to take over the trade in pulses, mustard oil and vegetable oil.

*93. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of pulses, mustard oil, vegetable oil, etc., in the entire country and the reasons for increase in their prices ;

(b) whether Government propose to take over the trade in pulses, mustard oil and vegetable oil; and

(c) the measures taken to ensure that refined oil and pure mustard oil are sold separately ?

The Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal): (a) The shortages are due to the fact that the indigenous production of pulses, mustard oil and other edible oils fall short of the country's requirements and excepting rape seed oil for direct consumption and soyabean and palm oil for manufacturing vanaspati, it has not been found possible to meet these shortages through imports.

(b) No, Sir.

(c) The State Governments have been asked to take recourse to the provisions in the Prevention of Food Adulteration Act to deal with cases of adulteration of edible oils.

विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निरोधक अधिनियम के अधीन तस्करों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामले

*94. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निरोधक अधिनियम के अधीन तस्करों के विरुद्ध इस वर्ष कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) इन मामलों में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, चालू वर्ष में (जनवरी से 5 नवम्बर, 1977 तक) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किये गये नजरबन्दी आदेशों की कुल संख्या 266 है।

(ख) उपर्युक्त मामलों में 45.85 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की कुल रकम अन्तर्ग्रस्त थी। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में 439 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था।

Skyjacking of JAL Plane from Bombay to Dacca

*95. **Shri S. S. Somani :**
Shri O. V. Alagesan

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Japanese hijackers had skyjacked a Japanese plane to Dacca from Bombay;

(b) if so, whether there is evidence that Indian security officers at Bombay airport showed slackness in searching the passengers of the aeroplane; and

(c) measures being taken by Government to prevent such incidents in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purshottam Kaushik) : (a) Yes, Sir. A Japan Airlines plane (flight No. JL-472) was hijacked soon after it left Santacruz Airport Bombay on 28th September, 1977.

(b) The matter is still under investigation.

(c) It would not be in the public interest to disclose specific steps being taken to prevent such incidents. However, the existing measures to guard against hijacking, such as control of access points to operational areas, frisking of passengers and search of their hand baggage, greater care regarding stamping of boarding cards as well as adequate guarding of perimeters have already been tightened up.

Proposal for Surrender by Smugglers in Dubai

*96. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether some leading smugglers in Dubai have put forth a proposal to surrender to the Government of India with certain conditions and not to indulge in smuggling in future;

(b) if so, the conditions proposed by the said smugglers; and

(c) Government's reaction to the said conditions ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) Some of the smugglers settled in Dubai have requested for the revocation of orders of detention issued under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 against them on the pledge that they would not indulge in prejudicial activities in future and would face the prosecutions in a court of law.

(c) The matter is under examination of the Government.

भारतीय चाय से लदे जहाजों का अपहरण

*97. **श्री डी० जी० गवई :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 1.50 करोड़ रुपए के मूल्य की भारतीय चाय से लदे जहाजों का, अदन में वस्तुतः अपहरण ही कर लिया गया था और दक्षिण एशिया की ओर भेज दिया गया था;

(ख) क्या सिंगापुर पुलिस ने, इस बीच सिंगापुर के उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित गोदामों से यह चाय बरामद कर ली है;

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको चाय का अपहरण किए जाने के कारण हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) सरकार द्वारा सम्बन्धित फर्मों की क्या सहायता की जा रही है जिससे उनके दावों का निपटान शीघ्र कराया जा सके ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) जुलाई 77 के शुरू में सूडान स्थित एक सरकारी संगठन सूडान टी कम्पनी के लिए "ट्वाइटाइट" स्टीमर में लगभग 1.28 करोड़ रु० मूल्य की 632 मे० टन भारतीय चाय भेजी गई। वह स्टीमर भारतीय तट छोड़ने के बाद सूडान जाने के लिए अदन की ओर बढ़ रहा था लेकिन बाद में उसने मार्ग बदल दिया और जुलाई के अन्त में किसी समय सिंगापुर पहुंच गया। इसका पता नहीं है कि स्टीमर का वास्तव में अपहरण किया गया लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार स्टीमर के मालिकों ने उस जहाज को किस्तों के आधार पर खरीदा था और चूंकि उन्होंने किस्तों का भुगतान नहीं किया था इसलिए उस जहाज को सिंगापुर उच्च न्यायालय के एक आदेश के अधीन सिंगापुर पहुंचने पर "पकड़ लिया" गया। निर्यातकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार निर्यात की गई 632 मे० टन चाय में से लगभग 420 मे० टन चाय सिंगापुर पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। इसका कुछ भाग प्राइवेट गोदामों से और बाकी भाग जहाज से बरामद किया गया।

(ग) निम्नोक्त निर्यातकों ने अपनी चाय उक्त स्टीमर से भेजी थी :—

1. मैसर्स मधु जयन्ती प्रा० लि०
2. मैसर्स टी लैंड
3. मैसर्स एसोसिएटिड टी एन्टरप्राइसेस
4. मैसर्स स्टीवर्ट एण्ड ढोलकिया प्रा० लि०
5. मैसर्स तारा एजेंसीज
6. मैसर्स महावीर प्लान्टेशन्स प्रा० लि०
7. मैसर्स टाटा फिनले लि०

(घ) निर्यातक और उनके बैंकर्स खरीदारों तथा सूडानीस इंशोरेंस कं० से जिन्होंने चाय का बीमा किया था, सीधा संपर्क बनाए हुए है और वे अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाय बोर्ड तथा भारतीय दूतावास, खारतूम भी इस मसले को हल करने के लिए सूडान चाय कम्पनी सहित सूडान के प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Assistance asked for by Chief Minister of Uttar Pradesh

*99. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh has asked for assistance for the development of Eastern Uttar Pradesh;

(b) if so, the amount thereof and the nature thereof; and

(c) the action being taken by Central Government on the demand made by the Government of Uttar Pradesh ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a), (b) and (c) The Chief Minister of Uttar Pradesh has, while referring to the need or accelerating the development of Eastern U.P., requested the Planning Commission that a Committee of experts may be set up under the auspices of the Planning Commission so that the State Government should have access to the best planning expertise available and a viable policy and a mix of practical programme can be drawn up and work can start on improving the socio-economic conditions of the people of Eastern U.P.

The Planning Commission has informed the State Chief Minister that the best way to help the State Government in the matter is to evolve a suitable methodology, which presently is being attempted by the Commission, and to also serve as a clearing house of information. In addition, the Planning Commission have stated that they would be willing to make available data regarding other States which may be of interest to the State Government. The Planning Commission has so suggested that assistance of a number of institutions like the Agricultural Finance Corporation, Regional Institute under the auspices of Indian Council of Social Science Research, Bhartiya Agro-Industries Foundation and experts from Universities can also be utilised to take up the work in a meaningful way.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की प्रतिशतता

***100. श्री बयालार रवि :**

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के प्रथम छह महीनों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि का औसत प्रतिशत अनुपात कितना रहा और वर्ष 1975-76 तथा वर्ष 1976-77 के तत्सम्बन्धी आंकड़ों के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) अब तक मूल्य वृद्धि रोक पाने में सरकारी उपायों की विफलता के क्या कारण हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1977-78 के पहले छः महीनों में अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) में 1 प्रतिशत प्रति मास की औसत वृद्धि हुई। इसकी तुलना में 1976-77 की इसी अवधि में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1975-76 के पहले छः महीनों में पहले तो वृद्धि हुई और फिर कमी हुई, अर्थात् औसतन 0.1 प्रतिशत की प्रति मास निवल कमी हुई।

(ख) इस वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में हुई वृद्धि, पिछले वर्ष हुई वृद्धि की तुलना में अननुकूल नहीं है। चालू वित्त वर्ष में थोक कीमतों के सूचक अंक में जो सापेक्षिक स्थिरता आई है वह कुछ समय गुजरने पर उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक पर भी अपना असर दिखाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में हुई वृद्धि, पिछले वर्ष मुद्रा उपलब्धि में हुई भारी वृद्धि के प्रभाव और कतिपय वस्तुओं के उत्पादन में हुई कमी की द्योतक है। सरकार ने, खाद्यान्न, चीनी और तोरिया के तेल के सार्वजनिक वितरण को बढ़ाकर, वनास्पति उद्योग को आयातित तेल की सप्लाई करके, कपास, विसकोस और पोलिएस्टर का उदारतापूर्वक आयात करके, कपास, तेलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठा कर तथा प्रतिबंधात्मक ऋण और मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा उपलब्धि के विस्तार को कम करके इसको रोकने का प्रयास किया है। यह उपाय आगे भी जारी रहेंगे।

दिल्ली के लिये महाराष्ट्र से प्राप्त की गई आवश्यक वस्तुओं की वसूली मूल्य

801. श्री यू० एस० पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्याज और दालों जैसी खपत की कौन-कौन सी आवश्यक वस्तुओं और कितनी-कितनी मात्रा में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वितरण के लिए महाराष्ट्र से वसूल की हैं;

(ख) ये वस्तुएं किस दर पर वसूल की गई हैं और दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा अन्य एजेंसियों में किस दर पर बेची गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकार को इन वस्तुओं को कम दर पर देकर तथा दिल्ली में उपभोक्ताओं को ऊंचे मूल्य पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सरकार ने दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में वितरण के लिए महाराष्ट्र राज्य से कोई भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तु नहीं मंगाई है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नई दिल्ली ने महाराष्ट्र से प्याज और कुछ दालों की व्यापारिक खरीद की और दिल्ली में सहकारी समितियों को उनकी आपूर्ति की।

(ख) यह खरीदारी व्यापारिक शर्तों पर की गयी और मूल्य समय-समय पर सहकारी समितियों के बीच तय हुई बातचीत द्वारा तय किये गये।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों की बकाया छुट्टी

802. **श्री नानू भाई एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्ति होने की तारीख के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी बकाया छुट्टी लेने की अनुमति देने संबंधी सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्ति के समय इस्तेमाल न की गई अर्जित छुट्टी के लिए समतुल्य नकद राशि की अदायगी का निर्णय किया है। यह योजना, इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार, 30-9-1977 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना का ब्यौरा संक्षेप में निम्न प्रकार से है :--

(क) छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि की अदायगी अधिक से अधिक 180 दिन की अर्जित छुट्टी के लिए अदायगी तक सीमित रहेगी।

(ख) छुट्टी वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकार्य नकद राशि सेवा निवृत्ति पर देय होगी और उसकी अदायगी एक ही बार निपटान के रूप में एक मुश्त में की जाएगी।

(ग) इस आदेश के अन्तर्गत नकद राशि की अदायगी, नीचे (घ) के अधीन रहते हुए, अर्जित छुट्टी के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन और सेवानिवृत्ति की तारीख को प्रवर्तमान दरों पर उस छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के बराबर होगी। कोई नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा/अथवा मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(घ) ऊपर (ग) के अनुसार गणना की गई नकद राशि में से उस अवधि के लिए जिसके लिए समतुल्य नकद राशि देय है, पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभों के समतुल्य पेंशन की राशि की कटौती कर ली जाएगी।

(ङ) छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम अधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख को खाते में जमा अर्जित छुट्टी के समतुल्य नकद राशि की मंजूरी देने का आदेश स्वयमेव ही जारी करेगा।

महाराष्ट्र की कोयना परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे डाक तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

803. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **वित्त** मंत्री महाराष्ट्र के कोयना पारियोजना क्षेत्र में काम कर रहे डाक तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते के भुगतान के बारे में 15 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3656 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की कोयना परियोजना के क्षेत्र में काम कर रहे डाकतार कर्मचारियों को 1955 से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली दर से परियोजना भत्ता अदा कर दिया गया था और यह कि परियोजना क्षेत्र में राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी भी परियोजना भत्ते का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जो सुविधा अभी भी राज्य कर्मचारियों को मिल रही है वह डाकतार कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा रही है;

(ग) क्या इस आशय का कोई नियम अथवा आदेश है कि परियोजना भत्ता आवास तथा स्कूल आदि जैसी कुछ सुविधाओं के अभाव में अदा किया जाना था; और

(घ) क्या उन सभी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता अदा किया जाता है जो परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे हैं चाहे वहां सुविधाएं उपलब्ध हों या न हों ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना भत्ते का मूलतः आशय आवास, स्कूलों, बाजारों तथा औषधालयों आदि जैसी कुछ सुविधाओं के अभाव की कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करना है। चूंकि सुविधाएं परियोजना स्थल पर उपलब्ध हो गई हैं इसलिए परियोजना भत्ता डाक व तार कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है।

(ग) जी, हां। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने परियोजना क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की मंजूरी के लिए सामान्य सिद्धांतों को निर्धारण करते हुए आदेश जारी किए हैं।

(घ) जी, नहीं। जहां उचित सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं वहां परियोजना भत्ते की मंजूरी देना न्यायसंगत नहीं होगा। इसी प्रकार, जहां परियोजना भत्ते की मंजूरी दे दी गई थी लेकिन बाद में उचित सुविधाएं जुटा दी गई थीं वहां परियोजना भत्ते का जारी रहना न्यायसंगत नहीं होगा।

राज्यों की अग्रिम योजना सहायता

805. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों को अग्रिम योजना सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) कतिपय राज्यों को मुख्य और मध्यम दर्जे के सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों पर परिव्यय को बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक प्रकोपों के सम्बन्ध में व्यय के पूरा करने के लिए अग्रिम आयोजनागत सहायता आवंटित की गई है। इसके अलावा, राज्यों को अपनी विकास की गति बनाए रखने और चालू वर्ष के लिए अनुमोदित आयोजना परिव्ययों का वित्त पोषण करने के लिए अतिरिक्त अग्रिम आयोजनागत सहायता भी दी जा रही है। उन राज्यों के नाम, जिन्हें उपयुक्त प्रयोजनों के लिए अग्रिम आयोजनागत सहायता दी जा रही है, संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

विवरण

वे राज्य जिन्हें अग्रिम आयोजनागत सहायता का आवंटन किया गया है

मुख्य और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को बढाने के लिए।	प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा आवश्यक हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	संसाधनों के अन्तराल को पूरा करने के लिए।
आंध्र प्रदेश	असम	असम
बिहार	गुजरात	बिहार
गुजरात	हरियाणा	गुजरात
हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा
कर्नाटक	कर्नाटक	हिमाचल प्रदेश
केरल	उड़ीसा	कर्नाटक
मध्य प्रदेश	राजस्थान	केरल
महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र
पंजाब		मणिपुर
राजस्थान		मेघालय
तमिलनाडु		नागालैण्ड
उत्तर प्रदेश		उड़ीसा
पश्चिम बंगाल		पंजाब
		राजस्थान
		सिक्किम
		तमिलनाडु
		त्रिपुरा
		उत्तर प्रदेश
		पश्चिम बंगाल

उड़ीसा में पर्यटन के लिये उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव

806. **श्री गणनाथ प्रधान**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से वर्ष 1977-78 के लिये पर्यटन के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनवरत योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक रुचि के खेलकूद को प्राथमिकता देना

808. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनवरत योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक दौरों, मनोरंजन दौरों, शीतकालीन खेल-कूद तथा जल के खेल-कूद को प्राथमिकता दे रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न योजना अवधियों के दौरान सांस्कृतिक पर्यटन के विकास, विहार स्थलों के विकास (मनोरंजन पर्यटन), शीतकालीन क्रीड़ाओं तथा जल क्रीड़ाओं के विकास के कार्य हाथ में लिये गये जिनके परिणाम-स्वरूप पुरातत्वीय महत्व के कई पर्यटक केन्द्रों पर, तथा गुलमर्ग में शीतकालीन क्रीड़ाओं के लिये और श्रीनगर व कोवलम में जल क्रीड़ाओं के लिये आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हुई है । विकास का यही पैटर्न अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) में भी जारी रहेगा जिसमें हिमालय प्रदेश के क्षेत्र भी सम्मलित होंगे ।

कोवलम में जनता होटल का निर्माण

809. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवलम में एक जनता होटल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :(क) और (ख) क्योंकि कोवलम में राज्य सरकार एक मध्यम मूल्य के होटल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, वहां केन्द्रीय क्षेत्र में फिलहाल किसी जनता होटल का निर्माण करने का विचार नहीं है ।

निर्यात की गई तम्बाकू की मात्रा और उसका मूल्य

811. **श्री आर० कोलनयाइवेलु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये तम्बाकू की मात्रा और मूल्य क्या है और अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत रूप में इसका वर्गीकरण क्या है;

(ख) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया; और

(ग) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के निर्यातकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक निर्यातक द्वारा कितना निर्यात व्यापार किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है । विवरण बाद में सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विवरण

मात्रा : मे॰ टन में

मूल्य : लाख रु॰ में

निर्यातित अनिर्मित तम्बाकू की किस्में	निर्यात						मुख्य आयातक देश
	1973-74		1974-75		1975-76		
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
पी॰ वी॰ (फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया)	70,887	6,557	68,051	7,677	64,502	8,620	ब्रिटेन, सोवियत संघ, जापान, बंगला देश, आयरिश गणराज्य, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, बलगारिया, हंगरी, सोमालिया, यमन अरब गणराज्य, द॰ यमन जनवादी गणराज्य, ईराक, सऊदी अरब, नेपाल आदि।
पी॰ वी॰ (सन क्योर्ड वर्जीनिया)	2,413	107	2,638	168	3,410	234	
सी॰ (सन क्योर्ड कंट्री एन॰ ए॰ टी॰ यू॰	702	35	548	43	760	74	
किस्मों के विनिर्माण के लिए	—	—	2	0.09	157	12	
तम्बाकू बनाने के लिए	171	10	1,435	59	4,582	318	
तथा चुरट बनाने के लिए	2,470	90	1,376	58	492	33	
तम्बाकू बनाने के लिए	*	0.05	7	0.47	—	—	
	210	7	20	0.32	32	2	
	1,362	35	905	30	341	17	
	78,215	6,841	74,982	8036	74,276	9,310	

*500 कि॰ ग्रा॰ से कम

तीसरी 'लेबल फीडर' विमान सेवा

812. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तीसरी 'लेवल फीडर' विमान सेवा आरम्भ करने के लिये योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता प्रतिवेदन का अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें करने के लिये नियुक्त विशेष समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) इसके संचालन में कितना पूंजीगत परिव्यय आयेगा और यह सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

थोक व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

813. **श्री बसंत साठे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर जमाखोरी की है जिससे इन वस्तुओं की और ज्यादा कमी हो गई है तथा इसके मूल्य बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के जमा स्टाक को बड़े पैमाने पर बाहर निकालने के लिये अभियान शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो जमा स्टाक बाहर निकालने के लिये कुल कितने छापे मारे गये हैं और इन कार्यों का क्या परिणाम निकला; और

(घ) दस बड़े जमाखोरों के नाम क्या हैं और उनसे कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुएं बाहर निकाली गई हैं तथा इन जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) दालों तथा सरसों के तेल की कमी हुई है और इनके मूल्यों में बढ़ती का रुख रहा है । व्यापारियों द्वारा इन वस्तुओं की जमाखोरी इसका सहायक कारण हो सकता है । इस प्रवृत्ति को रोकने के विचार से 30 सितम्बर, 1977 को दो आदेश जारी किये गये अर्थात् दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 ताकि जमा माल को खुले बाजार में लाया जा सके और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक 10 रु० प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर सरसों का तेल उपलब्ध किया जा सके ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये आदेशों के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों के अनुसार जमाखोरी, कालाबाजारी तथा अन्य कदाचारों के विरुद्ध कार्रवाई करें । राज्य सरकारें, जो कार्यवाही करने वाले अभिकरण हैं, यथावश्यक उपयुक्त कार्यवाही कर ली है । हर मारे गये छापे का पूरा ब्यौरा इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया जा रहा है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा एयर बसों की खरीद

814. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने मुख्य रूप से देश में भारी आन्तरिक यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एयर बसें खरीदी थीं;

(ख) यदि हां, तो प्रबंधकों ने किन कारणों से इन एयरबसों को एयर इंडिया को उधार दिया है बजाए इसके कि इंडियन एयरलाइन्स इनका उपयोग करती ; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने इन एयरबसों को खरीदने में कुल कितना धन लगाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) एयरबस ए300बी2 विमान का इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंतर्देशीय मांगों को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है । केवल बहुत थोड़ी सी क्षमता (प्रति सप्ताह दो उड़ानें), जिसका इंडियन एयरलाइंस लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं कर सकी थी, एयर इंडिया को आफर कर दी गयी थी जिससे कि उसे गल्फ के मांगों पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके ।

(ग) एयरबस परियोजना पर जिसमें तीन एयरबस ए300बी2 विमान, और उनके अतिरिक्त इंजन और अतिरिक्त पुर्जे तथा उपस्कर सम्मिलित हैं, कुल 112.46 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गयी ।

Historical and Religious Places of Tourist Interest in Bihar

815. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of foreign tourists who visited various historical and religious places in Bihar during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 so far and the amount of foreign exchange earned as a result thereof; and

(b) whether Government proposed to make various places of tourist interest in Bihar more attractive and if so, the action proposed to be taken in this regard ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Since statistics of tourist arrivals are collected on all-India basis and not on State-wise or place-wise basis, statistical data of tourists visiting specific centres are not available. Similarly, the quantum of foreign exchange cearned as a result of tourists visiting any particular centre is not available.

(b) The Central Department of Tourism is concentrating at present on the development of Buddhist-centres of Bodhgaya,Rajgir and Nalanda in Bihar with a view to attract a larger volume of Buddhist pilgrim traffic from overseas. For this purpose master plans(land-use) plans) of Rajgir and Nalanda have been prepared, based on which requisite facilities will be provided. The preparation of the master plan of Bodhgaya will also be taken up shortly. The development of facilities at these centres will,however depend upon how soon the land is acquired and transferred to the Department of Tourism.

The India Tourism Development Corporation has constructed a 56-room hotel at Patna which has helped to attract more tourists to the area by providing good accommodation.

इंदिरा कांग्रेस के धनकर तथा आयकर का निर्धारण

816. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने धनकर तथा आयकर के निर्धारण हेतु इन्दिरा कांग्रेस अथवा सत्तारूढ़ कांग्रेस जानी जाने वाली कांग्रेस की आस्तियों और देनदारियों का निर्धारण किया है अथवा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : इस पार्टी ने अपनी आय की विवरणी दाखिल कर दी थी जिसमें उन्होंने अपनी हैसियत व्यक्तियों की एक संस्था के रूप में घोषित की है। आयकर अधिकारी ने इस हैसियत को स्वीकार कर लिया है। धन-कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत व्यक्तियों की संस्था ऐसी मान्यताप्राप्त सत्ता नहीं है जिस पर धन-कर लगाया जा सके।

पार्टी ने अपनी आय का पहली विवरणी कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 के सम्बन्ध में दाखिल की थी। वर्ष 1974-75 तक के कर निर्धारण पूरे कर लिये गये हैं और उसके बाद के वर्षों के कर-निर्धारण अनिर्णीत पड़े हैं।

छापों के द्वारा बरामद हुई छिपाकर रखी गई बहुमूल्य वस्तुएं

817. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष (अब तक) छापों के दौरान कितना अवैध ढंग से प्राप्त धन तथा छिपाई गई बहुमूल्य वस्तुएं बरामद की गई; और

(ख) क्या इनकी सूचना देने वालों को पुरस्कार के रूप में कोई राशि दी गई थी यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री० एच एम० पटेल) : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, से अक्तूबर, 1977 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के परिणामत: 5.12 करोड़ रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं।

(ख) 1974-75 से 1976-77 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान सूचकों को पुरुस्कार के रूप में 24.82 लाख रु० का भुगतान निम्नानुसार किया गया है :

	भुगतान किये गये पुरुस्कार की रकम (लाख रु० में)
1974–75	4.42
1975–76	8.27
1976–77	12.13
	24.82

Earnings from Foreign Tourists Visiting India

818. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of foreign tourists visited India from 1st April, 1977 to 30th September, 1977;

(b) the revenue earned by the Government of India therefrom; and

(c) the names of the places in India visited by the maximum number of tourists ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purshottam Kaushik) : (a) & (b) The number of foreign tourists who visited India from 1st April to 30th September, 1977 was 278,142. The foreign exchange earned from tourism during the period 1st April to 30th September, 1977 is estimated at Rs. 117 crores.

(c) The places generally visited by international tourists are given in the attached statement.

Places generally visited by foreign tourists

1. Delhi.
2. Bombay.
3. Agra.
4. Madras.
5. Calcutta.
6. Banaras.
7. Amritsar.
8. Jaipur.
9. Srinagar.
10. Bangalore.
11. Khajuraho.
12. Tiruchirapally.
13. Patna.
14. Raxaul.
15. Madurai.
16. Goa.
17. Mysore.
18. Aurangabad.
19. Cochin.
20. Udaipur.
21. Nagapatinam.
22. Trivandrum.
23. Chandigarh.
24. Poona.
25. Darjeeling.
26. Rameshwaram.
27. Pondicherry.
28. Ahmedabad.
29. Hyderabad.
30. Mahabalipuram.
31. Lucknow.
32. Puri.
33. Jammu.
34. Cape Comorin.
35. Pathankot.
36. Ooty/Nilgiris.
37. Bhopal/Gwalior.
38. Simla/Kasauli.
39. Hardwar/Rishikesh.
40. Gaya.

गत छह महीनों के दौरान पकड़ी गई तस्करी की वस्तुएं

819. **श्री डी० अमात** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत छह महीनों के दौरान कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुएं पकड़ी गयीं; और

(ख) सरकार का तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पिछले छः महीने के दौरान (अप्रैल से सितम्बर, 1977 तक) कोई 14 करोड़ रुपये मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया है।

(ख) सरकार ने, निवारक और प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ बना कर, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के उपबन्धों का चुनींदा प्रयोग करके तथा उपयुक्त आर्थिक उपाय लागू करके तस्करी को रोकने के लिये तीन-तरफा कार्यवाही शुरू की है।

Smuggled Articles Unearthed during Last Six Months

819. **Shri D. Amat :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of smuggled articles that have been unearthed during the last six months ; and

(b) the steps Government propose to take to curb smuggling ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Smuggled goods worth about Rs. 14 crores have been seized during last six months. (April-September, 1977).

(b) Government have launched a three-pronged attack to check smuggling by strengthening the preventive and enforcement machinery, resorting to selective use of the provision of the **COFEPOSA** Act and by taking appropriate economic measures.

Steps Taken to ensure Safety of air Services and Aerodromes

820. **Shri Natvarlal B. Parmar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the special steps being taken to ensure the protection of the air services and the aerodromes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : It would not be in the public interest to disclose specific steps being taken to ensure the protection of air services and aerodromes. However, the existing measures in this regard such as control of access points to operational areas, frisking of passengers and search of their hand-baggage, greater care regarding stamping of boarding cards as well as adequate guarding of perimeters have already been tightened up.

कोका कोला निर्यात निगम को प्रधान कार्यालय का खर्चा स्वदेश भेजने की अनुमति दिया जाना

821. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम को प्रधान कार्यालय का खर्चा स्वदेश भेजने की अनुमति किन शर्तों के अन्तर्गत दी गई; और

(ख) प्रधान कार्यालय का खर्चा पहली बार किस वर्ष स्वदेश भेजा गया था ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) माननीय सदस्य का ध्यान 24 जून, 1977 के अनारांकित प्रश्न संख्या 1726 के उत्तर में दिए गए ब्यौरे की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) 1961.

Reversion of Officers on Deputation to STC and MMTC

822. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4447 on 22nd July, 1977 regarding persons on Deputation in STC and MMTC and state :

(a) the time by which the persons taken on deputation during the emergency are proposed to be reverted ;

(b) whether it is a fact that all these appointments had been made on the basis of recommendations ;

(c) what was each such officer doing previously and in which capacity each of them had joined the Government service ; and

(d) the basis of their appointment ?

The Minister of State in the Ministries of Commerce And Civil Supplies & Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a), (b), (c) & (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि का भुगतान

823. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को यह आदेश जारी किया था कि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1977 तक जमा की गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित का भुगतान कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि प्रशासनिक प्राधिकारी मनमाने ढंग से कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि का भुगतान कर रहे हैं/नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अनिवार्य जमा योजना की राशि का भुगतान किया गया है तथा जिन्हें नहीं किया गया है और इसका भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और ;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनिवार्य जमा योजना की राशि का भुगतान ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को, जो इसको लेना चाहते हैं, करने की अनुमति देने के लिए संशोधित आदेश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जमा राशियों की वापसी अदायगी पूरी तरह अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार ही की जा रही हैं ।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ङ) नहीं । प्रश्न के भाग (क) और (ग) के उत्तर को देखते हुए, संशोधित आदेश जारी करने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

Assessment of Income Tax in respect of former Cabinet Ministers

824. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Ministers of the cabinet of the former Prime Minister, Smt. Indira Gandhi who have not filed their income tax returns so far for the assessment year 1977-78;

(b) the number of the Ministers of the above cabinet whose income has not so far been assessed for 1975-76 ; and

(c) the number of those ministers among them whose cases of assessment of income tax or property tax have been re-opened for reassessment during the period 1st April to 30th October, 1977 and the assessment years to which they pertain ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a), (b) & (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

चीनी के निर्यात को बन्द करना

826. **डा० हेनरी ग्रास्टिन :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी का निर्यात बन्द कर दिया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) चीनी के निर्यात पूर्ण रूप से कभी भी बन्द नहीं किये गये थे ग्रौर इस लिये किसी भीं नुक्सान के लिये निर्यातों का बन्द किया जाना उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । जुलाई, 1977 में सरकार ने निर्णय किया कि 1977-78 के दौरान वर्तमान वचनबद्धताग्रों की सीमा तक चीनी का निर्यात किया जाना चाहिए ।

"ग्रोशियन टू स्काई" ग्रभियान

827. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'ग्रोशियन टु स्काई' ग्रभियान को सफल बनाने के लिये भारी धनराशि खर्च की है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ग्रौर उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) ग्रौर (ख) सर एडमंड हिलेरी के नेतृत्व में "ग्रोशियन टु स्काई" ग्रभियान को केन्द्रीय पर्यटन विभाग तथा एयर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था । जबकि एयर इंडिया ने उक्त दल को सीडनी से भारत तक की "कॉम्प्लीमेंटरी" वापसी टिकट दिए तथा सारे सामान को निःशुल्क उठाया, पर्यटन विभाग ने दिल्ली तथा कलकत्ता में ग्रावास-स्थान की ग्रौर कलकत्ता में परिवहन सुविधाग्रों की व्यवस्था की । पर्यटन विभाग द्वारा इस पर किया गया व्यय 25,000 रुपये से ग्रधिक होने की आशा नहीं है ।

एयर इंडिया तथा पर्यटन विभाग द्वारा "ओशियन टू स्काई" अभियान पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कहीं अधिक मात्रा में उस प्रचार से हो जाएगी जोकि अभियान को भारत तथा विदेशों में समाचार-पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से पहले ही प्राप्त हो चुका है तथा सर एडमंड हिलेरी द्वारा अभियान संबंधी प्रस्तावित पुस्तक के प्रकाशन से तथा अभियान पर संयुक्त रूप से बनाई गई फिल्म से, जिसे कि विश्व-व्यापी टेलीविजन तंत्रजाल पर दिखाया जाएगा, प्राप्त होने की संभावना है। ऐसा प्रचार, भारत में अत्यधिक रुचि उत्पन्न करेगा, जिससे इस देश के लिये और अधिक पर्यटक यातायात आकृष्ट होगा।

समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

828. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई समाज के कमजोर वर्गों के लिये प्रभावी सार्वजनिक वितरण पद्धति के जरिये बनाये रखी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और इसके लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) सारे देश में गेहूँ, चावल, लेवी चीनी के अलवा मिट्टी का तेल भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। कुछ चुने क्षेत्रों में रेपसीड तेल भी वितरित किया जा रहा है।

(ख) मिट्टी का तेल वितरित करने के लिये 2,45,000 बिक्री केन्द्र हैं, जिनमें से 1,82,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिये जाते हैं, जिनसे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल बेचने की उम्मीद की जाती है।

चीनी का निर्यात

830. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्री के० के० गोयल) : विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का व्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (लाख मे० टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)
1974-75	6.24	312.78
1975-76	11.88	464.13
1976-77	5.80	151.68
1977-78 (अप्रैल-नवम्बर)	0.45	10.43

Taxes Outstanding Against Birla Concerns

831. Shri Hukamdeo Narain Yadav : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount on account of taxes outstanding against all the industries of Birla Group at present and the various heads under which outstanding ;

(b) the names of the family members of the Birlas against whom income tax arrears are outstanding and the amount thereof in each and the steps proposed tobe taken by Goverment to realise the arrears from them ; and

(c) whether Government propose to proceed against them as per law of the land ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Action for the realisation of outstanding arrears as provided for in law will be taken where called for.

Fertilizers to be Manufactured in I.F.F.C.O. Factory in Phulpur, Allahabad

832. Shri Tej Pratap Singh: will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the varieties of fertilizers proposed to be manufactured in I.F.F.C.O. factory in Phulpur and the per day production thereof ; and

(b) the total capital likely to be invested therein and the names of the countries which would invest in the factory along with the amount of capital to be invested by each of these countries ?

The Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperatoion: (Shri K. K. Goyal): (a) the plant is being set-up to manufacture **'Urea'** with a **daily production Capacity** of 1500 M.T.

(b) the estimated cost of the project is Rs. 167.77 crores ; out of this amount International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) will be meeting the entries foreign exchange requirement, Viz., Rs. 98.10 crores ; the balance of Rs. 69.67 crores will be met by participation in the share capital by cooperatives and the Government of India and from **IFSCO,s** own intenal resourses.

Bungling in Sugar Industry

834. Dr. Laxminarayan Pandey :

Shri N.K. Shejwalkar :

Shri Rameshwar Patidar :

Will the **Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government,s attention has been drawn to the news item "bungling of erores of rupees in sugar industry" published in the Hindustan of 24th August, 1977 ; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation Shri K.K. Goyal) (a) & (b) : Yes, Sir. The Indian Sugar Industry Export Corporation is a purely private company originally set-up by the Sugar Industry to handle procurement of Sugar for export. This company, however, continued to work later for the STC as its handling agents when exports of sugar was canalised through STC in April, 1974. This company is an independent company with representatives of Indian Sugar Mills Association and Federation of Cooperative Sugar Factories on its Board STC has no control or say in the internal affairs of the company.

विदेशों को चाय का निर्यात

838. **श्री जेना बैरागी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कुल कितनी चाय निर्यात कर रहा है;

(ख) सोवियत रूस, मध्य पूर्व और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को उसमें से कितनी चाय निर्यात की जा रही है;

(ग) क्या अधिकांश चाय का निर्यात सोवियत रूस को सस्ती दर पर किया जाता है;

(घ) क्या उक्त देशों द्वारा उसी चाय का अधिक दर पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को पुनः निर्यात कर दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो चाय का सीधा निर्यात न किये जाने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मात्रा (लाख कि०ग्रा० में)
1974-75	2250.6
1975-76	2114.0
1976-77	2424.2

(ख) वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान भारत से निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में सोवियत संघ, मध्य पूर्व एवं यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

सोवियत संघ	21.36 प्रतिशत
मध्य पूर्व (वाना देश)	19.70 प्रतिशत
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	40.03 प्रतिशत

(ग) जी नहीं ।

(घ) सोवियत संघ द्वारा आयात की गई लगभग 28 प्रतिशत चाय यूरोप के मुख्यतः समाजवादी देशों को पुनर्निर्यात कर दी जाती है । इस चाय के उद्भव देशों के नाम तथा जिन कीमतों पर इस चाय का पुनर्निर्यात किया जाता है उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है । आयातक देशों द्वारा चाय का पुनर्निर्यात किया जाना इस व्यापार की विशेषता है । जो अन्य देश भी काफी मात्रा में चाय का पुनर्निर्यात करते हैं, वे हैं : ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैण्ड, कनाडा तथा जो देश कम मात्रा में पुनर्निर्यात करते हैं, वे हैं : आयरलैण्ड, फ्रांस एवं पश्चिम जर्मनी । फिर भी सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि सोवियत संघ द्वारा भारतीय चाय का काफी मात्रा में कोई पुनर्निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अथवा अन्य मुक्त बाजार देशों को किया जाता है ।

(ङ) हम पहले ही विश्व के लगभग 80 देशों को चाय निर्यात कर रहे हैं जिनमें परिवर्तनीय मुद्रा वाले देश जैसे सं० रा० अमरीका, कनाड़ा, ब्रिटेन तथा कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों के अपने निर्यात और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। सोवियत संघ को चाय का निर्यात इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुल कितनी चाय निर्यात के लिए उपलब्ध है, प्रति वर्ष निर्धारित की जाने वाली अधिकतम सीमा के अनुसार किये जाते हैं। अतः इससे चाय के निर्यातों से मुक्त विदेशी मुद्रा की हमारी प्रत्याशित आय पर प्रभाव नहीं पड़ना।

Installation of Modern Equipment in Border Areas to Check Smuggling

839. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state : (a) whether Government have decided to instal modern equipment in the border areas to check smuggling ; and

(b) if so, when ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) : Yes Sir, in order to check smuggling, wireless communication net-work has been set-up in Amritsar Customs Division covering an area of about 160 Kms. along the Indo-Pak border in the State of Punjab during 1976. Similar wireless communication net-work has also been sanctioned for Indo-Nepal and will be set-up shortly. With a view to facilities detection of clandestine operations, night sight were distributed to important field formations. Major airports are equipped with fluoroscopic devices for examining small parcels suspected to contain contraband and frisker devices to detec smuggling of gold. Close circuit T.V. has been sanctioned for Delhi, Bombay and Madras airports. Steps are also being taken to instal electronic door-type metal detectors at major airports.

मराठवाड़ा जिले (महाराष्ट्र) में स्थापित सरकारी क्षेत्र के उद्योग

840. **श्री गंगाधर अप्पा बूराडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) उन उद्योगों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में सरकारी क्षेत्र का कोई उद्योग नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित दो उद्यम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में स्थित हैं:—

(i) औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स; और

(ii) नन्देड़ टेक्सटाइल मिल्स ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इन मिलों ने लगभग 5500 व्यक्ति काम पर रखे हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

841. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक निगरानी समिति बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति से सितम्बर के अन्त तक सिफारिश देने के लिए कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और तदनुसार क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) मूल्यों के सम्बन्ध में कोई औपचारिक मंत्रिमण्डल समिति गठित नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति

842. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने सतर्कता अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं जैसी कि सतर्कता आयोग ने सिफारिश की थी;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक सतर्कता व्यवस्था नहीं की तथा ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन उपक्रमों ने सतर्कता अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं उनमें ऐसे अधिकारी नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के उद्यमों को अपने हित संरक्षण के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अपने यहां आवश्यक सतर्कता संगठन बनाने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । इन अनुदेशों के अनुसार अधिकांश उद्यमों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित सर्तकता संगठन स्थापित कर लिए हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार चार बड़े उद्यमों अर्थात्, इण्डियन एयर लाइन्स, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स और भारतीय पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद भिन्न-भिन्न अवधि में खाली रहा । तथापि, इन उद्यमों में सतर्कता सम्बन्धी कार्य की देखरेख के लिए प्रबन्ध कर दिये गये हैं ।

Purchasing and selling price of Rapeseed oil

843. **Shri Ramji Lal Suman.** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state : (a) the price at which imported rapeseed oil was purchased by Government and the price at which the same is supplied to the consumers; and

(b) the action Government are taking in regard to the bungling in rapeseed oil ?

Minister of State in the Ministires of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a) The rapeseed oil is purchased through the agency of the State Trading Corporation at prevailing international market prices. The rapeseed oil after being refined is retailed to the consumers through the State public distribution system at a price not exceeding Rs. 7.50 per Kg.

(b) The State Governments have been advised to take appropriate action on complaints of malpractices in accordance with the provisions of the Essential Commodities Act and the orders issued thereunder, and the Prevention of Food Adulteration Act and the like.

भारत से वापस जाने वाले यात्रियों पर पाबन्दियां

844. **श्री जी० श्राई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि मार्ग से भारत से वापस जाने वाले यात्रियों पर कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं कि वे एक निश्चित सीमा से अधिक भारत मूल की वस्तुएं नहीं ले जा सकते;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को रोकने के लिये प्रयत्न किये हैं जो तीर्थयात्रा का बहाना करके भारत की यात्रा करते हैं, भूमि मार्ग से वापस जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) नेपाल श्रौर पाकिस्तान से भिन्न स्थानों को जाने वाले यात्रियों को, निर्यात असबाब नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं श्रौर शर्तों के अनुसार वास्तविक व्यक्तिगत असबाब, वन-जन्तु और उनके उत्पादों को छोड़कर, ले जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन, पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों के असबाब को भारत-पाकिस्तान असबाब नियम, 1955 द्वारा विनियमित किया जाता है। ये दोनों असबाब नियमावलियां यात्रा के प्रकार का विचार किये बिना लागू होती हैं। निर्यात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1977 के अधीन प्रतिबन्धित माल को छोड़कर असबाब के रूप में भारतीय मूल के माल को नेपाल ले जाने पर कोई रोक नहीं है।

(ख) और (ग) तीर्थ-यात्रा के लिये भारत आने वाले श्रौर भूमि मार्ग से वापस जाने वाले यात्रियों द्वारा किये गये ऐसे कोई कदाचार सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं।

खाद्य तेलों का गायब हो जाना

847. **श्री समर गुह :**
श्री एन० के० शेजवलकर :
श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति श्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों की बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने हेतु नये विनियम के लागू होने के बाद से सरसों का तेल तथा इसी किस्म के कुछ अन्य तेल बाजार से गायब हो गये हैं;

(ख) क्या बाजार में अनेक खाद्य तेलों के गायब हो जाने से उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इनके गायब होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन बेइमान व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने खाद्य तेलों का अचानक संकट उत्पन्न कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं श्रौर खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

24 LSS/77—4

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख) और (ग) सरसों के तेल के सिवाय खाद्य तेलों पर कोई सांविधानिक मूल्य नियंत्रण नहीं है । अधिक से अधिक 10 रुपये प्रति कि०ग्रा० के फुटकर मूल्य पर सरसों का तेल न मिलने के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं । सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसके निर्णय की प्रतीक्षा है ।

(घ) व (ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त शक्तियों के अनुसार यथावश्यक कार्रवाई करें । राज्यों को उनकी मांग के अनुसार आयातित परिष्कृत रेपसीड़ तेल की आपूर्ति करने की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है, जो कि सरसों के तेल का एक अच्छा बदल है । यह राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 7.50 रु० प्रति कि०ग्रा० के अन्तिम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जाता है । वनस्पति घी उद्योग की अधिकांश मांग के लिए आयातित तेल देकर वनस्पति घी का उत्पादन स्तर-स्थिर रहा है और इसका मूल्य स्वैच्छिक सहमति द्वारा मई के मध्य में लगभग 170 रु० प्रति 16.5 कि०ग्रा० टन (जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल है, किन्तु स्थानीय कर सम्मिलित नहीं है) से घटाकर पहली नवम्बर, 1977 से 140 रु० पर ला दिया गया है ।

जीवन निर्वाह सूचकांक लागत में वृद्धि

648. **श्री पी० त्यागराजन :**
श्री एस० डी० सोम सुन्दरम
श्री के० मायातेवर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से आज तक के जीवन निर्वाह सूचकांक लागत में वृद्धि का विश्लेषण क्या है तथा इसमें किस अवधि में कमी हुई तथा पुनः किस अवधि से वृद्धि हुई ;

(ख) क्या सरकार को विश्वास है कि वह समाज के स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध तुरन्त तथा कठोर कार्यवाही किये बिना मूल्यों में हो रही बेरोकटोक वृद्धि को रोक सकेगी; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के अब तक के उपाय असफल हुए हैं वह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किसी निश्चित दिशा पर पहुंच गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960 = 100) में कमी होने का जो क्रम 1974 की अन्तिम तिमाही में शुरू हुआ था वह 1975 की पहली तिमाही में जारी रहा । इस प्रकार सूचक अंक जो अक्टूबर, 1974 में 335 था, कम होकर मार्च, 1975 में 321 हो गया । अगली तिमाही में, सूचक अंक में, 7 अंकों की वृद्धि हुई और यह जून, 1975 में बढ़कर 328 हो गया । इसके पश्चात् कमी होने की प्रवृत्ति आई जो मार्च 1976 तक बनी रही और सूचक अंक गिर कर 286 रह गया । उसके बाद इसमें बराबर वृद्धि होती रही और सितम्बर, 1977 में सूचक अंक 331 हो गया है (जो सबसे हाल का उपलब्ध अंक है) ।

(ख) और (ग) सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि मुद्रास्फीति को रोका नहीं गया है । कुछ एक वस्तुओं के उत्पाद में हुई कमी के प्रभावों के बराबर बने रहने तथा पिछले वर्ष, मुद्रा उपलब्धि में भी काफी अधिक वृद्धि हो जाने के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचक संक में 1977-78 के पहले छः महीनों में जो वद्धि हुई है वह उतनी ही है जितनी कि 1976-77 की इस अवधि में हुई थी । पिछले कुछ एक सप्ताहों में थोक कीमतों में कमी हो जाने से उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में भी सामान्य समय बीतने पर कमी हो जाने की आशा है । तथापि सरकार उन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध, जो कीमतों को बढ़ाने के प्रयोजन से अस्थायी अथवा स्थानीय कमी की स्थिति का लाभ उठाना चाहेंगे, कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी ।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड द्वारा दी गई धनराशि

849. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी चीनी मिलों, चावल मिलों और अन्य परिष्करण कारखानों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) किन-किन कारखानों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और लाभ तथा हानि के विवरण सहित क्या कार्यकारी परिणाम रहे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) वर्ष 1976-77 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी चीनी कारखानों, चावल मिलों और अन्य कृषि आधारित संसाधन एककों की स्थापना करने के लिए 26.36 करोड़ रुपये की कुल सहायता दी गयी है ।

(ख) 175 सहायता-प्राप्त एककों में से 86 स्थापित किये जा चुके हैं । 16 वर्ष 1974-75 में, 25 वर्ष 1975-76 में, 37 वर्ष 1976-77 में तथा 8 अब तक वर्ष 1977-78 में । वित्तीय परिणाम केवल 18 एककों के बारे में उपलब्ध हैं, जिनमें से 5 लाभ में और 13 घाटे में रहे हैं ।

सूखे मेवों की कीमतें

850. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उदार आयात नीति के बावजूद भी सूखे मेवों की कीमतें कम नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि सूखे मेवों को बाजार में उचित कीमतों पर बेचा जाये; और

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से सूखे मेवों के आयात की अनुमति देने का है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) जब से मेवों की आयात नीति को उदार बनाया गया है तब से बादाम की कीमतें गिरी हैं । जहां तक अन्य मेवों का सम्बन्ध है, मेवों का मौसम हाल में शुरू हुआ है और ऐसी आशा है कि जैसे-जैसे अधिक मात्रा में आयात होते जायेंगे, उनका कीमतें भी गिर जाएंगी ।

(ग) पाकिस्तान से मुक्त लाइसेंसिंग नीति के अधीन मेवों के आयात की पहले से ही अनुमति है ।

पर्यटन संबंधी मानचित्र में सेवाग्राम को शामिल करना

851. **श्री संतोषराव गोडे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित सेवाग्राम को भारतीय पर्यटन सम्बन्धी मानचित्र में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों के लिए क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ग) क्या विदेशी पर्यटक सेवाग्राम जाते हैं और यदि हां, तो पर्यटकों की संख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) भारतीय तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिये सेवाग्राम का महत्व सुविज्ञात है तथा सेवाग्राम और वर्धा में पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था आश्रम के अधिकारियों तथा महाराष्ट्र सरकार दोनों ही द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पर्यटन विभाग भी सेवाग्राम में 14.77 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 92 शय्याओं की क्षमता वाले एक पर्यटक बंगले (यात्री निवास) का निर्माण आरम्भ कर रहा है ।

(ग) सेवाग्राम की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की ठीक-ठीक संख्या पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि पर्यटक आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं, राज्यवार या स्थानवार आधार पर नहीं ।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के मामले

842. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को अधिकांश धनराशि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, जो कि सरकार के माध्यम से धन देते हैं, जैसी सरकारी साधनों से अनुदानों तथा परियोजना शुल्क के रूप में प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करने हेतु क्या नियंत्रण रखती है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् में उपलब्ध तकनीकी जानकारी उस पर खर्च की गई सार्वजनिक धनराशि के अनुरूप हो; और

(ग) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् में हाल की तालाबन्दी तथा प्रबन्ध-कर्मचारी सम्बन्धों को देखते हुए सरकार ने इसके मामलों की सार्वजनिक जांच की तथा यदि आवश्यक हो तो इसे अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता समझती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत एक स्वायत्त स्वाधीन संस्था है और इसके कार्यों का प्रबन्ध महानिदेशक द्वारा उसके संगम ज्ञापन (मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन) के अनुसार एक शासी निकाय के सर्वोपरि मार्गदर्शन में किया जाता है । परिषद् की अधिकांश आय उन अनुसंधान परियोजनाओं से होती है जो यह अधिकतर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की ओर से पूरा करती है । इन परियोजनाओं के लिए परिषद् को दिया जाने वाला पारिश्रमिक सीधे परियोजना के प्रवर्तकों और परिषद् द्वारा आपस में तय किया जाता है । केन्द्रीय सरकार भी प्रतिवर्ष सामान्य प्रयोजनों के लिए लगभग 2 लाख का थोड़ा सा अनुदान देती है । इस अनुदान को चालू रखने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर विचार किया जाता है । सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि परिषद् के मामलों की सार्वजनिक जांच करवाई जाए ।

कनाडा के 'ट्विन ग्रार्टर' विमान की बिक्री की पेशकश

853. श्री के मालन्ना :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कनाडा की सरकारी क्षेत्र की विमान निर्माता कम्पनी ने अपने 20 सीटों वाले 'ट्विन ग्रार्टर' जो इसकी तीसरी स्तर की हवाई कम्पनी के लिए उचित है, की बिक्री में भारत सरकार को पेशकश की है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस विमान के भारत में निर्माण के लिए कनाड़ा सरकार से सहयोग मांगा तथा इसके लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कनाड़ा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । कम्पनी ने कोई औपचारिक पेशकश नहीं की है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पटना स्थित रेलवे गोदामों में बिना छुड़ाया गया पड़ा सरसों का तेल

854. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अक्तूबर, 1977 में पटना स्थित रेलवे गोदामों में 60,000 किलोग्राम सरसों का तेल ऐसा पड़ा था जिसके लिए किसी ने भी दावा नहीं किया; और

(ख) क्या यह तेल राज्य के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग को, उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने के लिए दे दिया गया था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है । बिहार राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

आयकर विभाग द्वारा आपात स्थिति के दौरान मारे गये छापे

855. **श्री कवंर लाल गुप्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने आपात स्थिति के दौरान बम्बई के श्री रजनी पटेल और श्री शाह सहित बहुत से राजनैतिक नेताओं और उनके रिश्तेदारों के कार्यालयों और मकानों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं और प्रत्येक व्यक्ति अथवा उसकी कम्पनी अथवा फर्म से मिली लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भूतपूर्व सरकार ने उक्त सूची में से किन-किन के मामले में आगे कार्यवाही नहीं की;

(घ) क्या इन मामलों के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही करने का प्राधिकार आय-कर आयुक्त/निरीक्षण निदेशक तब देता है जब उसके पास उपलब्ध सूचना के परिणामतः यह विश्वास करने का कारण है कि सम्बन्धित व्यक्ति के पास कोई धन, सोना-चांदी अथवा अन्य मूल्यवान वस्तु अथवा चीज है जिसे घोषित नहीं किया गया है अथवा जिसकी घोषणा नहीं की जाएगी, अथवा किसी सम्मन अथवा सांविधिक नोटिस द्वारा अपेक्षित ऐसा लेखा-पुस्तकों को वह प्रस्तुत करने में चूक कर गया है अथवा प्रस्तुत नहीं कर सका है अथवा उसके उत्तर में किन्हीं लेखा-पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा। वर्ष 1975-76 और वर्ष 1976-77 के दौरान, आय-कर प्राधिकारियों ने 6206 मामलों में तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही की। जिन व्यक्तियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं उनकी यदि कोई राजनीतिक गतिविधि हो तो उसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले अथवा मामलों के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो वह एकत्रित करके प्रस्तुत की जाएगी।

2. आयकर प्राधिकारियों ने श्री रजनी पटेल के मामले में कोई तलाशी नहीं ली।

जहां तक बम्बई के श्री शाह का सम्बन्ध है, ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य मैसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि० के स्वर्गीय श्री विनय के० शाह का उल्लेख कर रहे हैं। श्री शाह के मामले में कोई तलाशी नहीं ली गयी थी। लेकिन मैसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि०, जिसके श्री शाह प्रबन्ध-निदेशक थे, के मामले में कार्यवाही के दौरान, कम्पनी के परिसरों में उसके कमरे की तलाशी ली गई थी और उनके पास से कुछ कागजात पकड़े गए थे। उक्त कम्पनी के परिसरों से लेखा-पुस्तकों आदि के अलावा लगभग 20000 रुपये मूल्य की कातने की छोटी मशीनें पकड़ी गई थीं। कातने की छोटी मशीनों को अब छोड़ दिया गया है। कम्पनी के मामले में कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है।

श्री शाह के पास से कुछ कागजात पकड़े जाने से सम्बन्धित मामला, शाह जांच आयोग के सामने है। आयोग द्वारा अपने निष्कर्ष दिए जाने के बाद, यथा अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

Edible oil supplied to Maharashtra Government

856. Shri Laxman Rao Mankar : Will the Minister of **Commerce and Civil Supply and Cooperation** be pleased to state : (a) the quantity of edible oil which the Central Government assured to supply to Maharashtra Government ;

(b) the reasons for not accepting full supply of edible oil by the State Government in spite of the assurance of the Central Government therefor ;

(c) the quantity of edible oil accepted by the Maharashtra Government ; and

(d) whether Maharashtra Government used this oil, received from the Centre for distribution in urban areas only and not in rural areas ?

Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a) The Central Government had assured to meet fully the requirements of edible oils—imported rapeseed oil and imported groundnut oil—of Maharashtra Government.

(b) The State Government did not lift 5,000 tonnes of groundnut oil allotted to them as required by them, since according to the State Government, the arrival of the shipment was not timely enough for them to get the oil refined and distributed by the festival season.

(c) Between December 1976 and June 1977, the State Government was allotted 2,250 tonnes of crude imported rapeseed oil, of which they have been lifted 1, 625 tonnes. They have also lifted 1,870 tonnes of imported soya bean oil. The State Government requested for a total allocation of 3000 tonnes of refined rapeseed oil for distribution from June to October, 1977 from Ganesh Flour Mills, Bombay, of which they have lifted only 862 tonnes.

(d) The State Governments were advised that they should extend the distribution of refined rapeseed oil to smaller towns and also to villages subject to the condition that the oil is retailed only through licensed fair price shops at a retail price not exceeding Rs. 7.50 per kg. It seems that the Government of Maharashtra did not avail of the opportunity to the fullest extent, in spite of reminder from the Central Government.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने बड़े अधिकारियों के निवास सजाना

857. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने अधिकारियों के निवासों को सजाने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपने अधिकारियों के निवासों को सजाने पर अभी तक कितना व्यय किया है;

(ग) किसी बैंक द्वारा एक निवास को सजाने पर एक बार में अधिकतम कितनी धनराशि व्यय की गई और इस प्रकार किस अधिकारी का निवास सजाया गया;

(घ) क्या उक्त बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा निवास सजाने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी; और

(ङ) सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों के इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ङ) इस समय कई राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ विशेष स्तर के अधिकारियों को, बैंक में उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, सजे हुए (फर्निश्ड) निवास दिये जाते हैं। अलग-अलग बैंकों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सजे हुए निवास उपलब्ध कराने के स्तर के अपने आन्तरिक अनुदेश होते हैं। सरकार द्वारा प्रोफेसर वी० आर० पिल्लै की अध्यक्षता में स्थापित समिति ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतनमान और भत्तों सहित निःशुल्क सजे हुए निवास और अन्य परिलब्धियों की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया था। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सुझाव दिया कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों को निःशुल्क मकान देने और निवास सजाने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। सरकार ने वेतनमानों और भत्तों के मानकीकरण की अन्य बातों के साथ-साथ पिल्लै समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस सम्बन्धी सिफरिशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही शुरू करने के लिये कहा है।

(ख), (ग) और (घ) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा आरक्षण के प्रयोग का निर्णय

858. **श्री एस० आर० दामाणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ रहे विदेशी मुद्रा आरक्षण और खाद्यानों के भारी स्टाक की उत्पादक उपभोग में लाने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि आधार पर कोई नीति निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों के अर्थव्यवस्था पर सम्भावित प्रभाव सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय में रुकावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि तथा अन्य भण्डार का उत्पादनकारी उपयोग किया जाये। काम के लिये अन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने तथा लोक निर्माण-कार्यों के अनुरक्षण के लिए गेहूं तथा माइलों उपलब्ध करवाया जा रहा है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का उपयोग आम खपत की उन वस्तुओं का आयात करने के लिये किया जा रहा है जिनकी कमी है, तथा अनाज के साथ पर्याप्त मात्रा में इन वस्तुओं की उपलब्धि होने से मूल्य स्थिर रखने में सहायता मिल सकेगी। सरकार ने आयात नीति को भी उदार बना दिया है ताकि घरेलू उत्पादन क्षमता के उपयोग के साथ सामंजस्य रखते हुए, अर्थव्यवस्था की आयात सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यद्यपि इन उपायों के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी समय पूर्व होगा, फिर भी आशा है कि इनसे सापेक्षित मूल्य स्थिरता के वातावरण में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और निवेश तथा विकास के उच्चतर स्तर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जनता होटलों की कड़ी

859. **श्री पी० के० कोडियान:**
श्री कचरुलाल हेमराज जैन:
श्री हरगोबिन्द वर्मा:
श्री नवाब सिंह चौहान:
श्री हुकमचन्द कछवाय:
श्री डी० अमात:

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक पर्यटकों के लिए देश भर में जनता होटलों की शृंखला स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क), (ख), (ग) और (घ) सारे देश भर में जनता होटलों की एक शृंखला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कीटनाशी, फफूंदीनाशी तथा खरपतवारनाशी औषधियों पर सीमा-शुल्क घटाना

861. **श्री बी० रचैया**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कीटनाशी, फफूंदीनाशी तथा खरपतवारनाशी औषधियों पर सीमा-शुल्क घटाने के लिए अभ्यावेदन मिला है जिससे कि किसानों को उचित मूल्य पर मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) सरकार को, कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवार नाशक रसायनों पर सीमा-शुल्क में कमी करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अन्य बातों के साथ-साथ देश में उत्पादन की योजनाओं और लाभ आखरी उपभोक्ता तक पहुंचाने की निर्माताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, 15-11-1977 को छूट प्रदायी अधिसूचना जारी करके फोसालोन पर सीमा-शुल्क मूल्यानुसार 75 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 45 प्रतिशत किया गया है।

विमान सुरक्षा के मानदण्ड

862. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान सुरक्षा के, विशेष रूप से विमानचालकों के संदर्भ में, मानदंड क्या हैं ; और

(ख) योजना को जब कार्यान्वित किया जाएगा तब प्रत्येक "थर्ड-लेवल एयरलाइंस' वायुयान में कितने विमानचालक होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) विभिन्न वर्गों के फ़्लाइंग लाइसेंस धारियों की दक्षता संबंधी शर्तें तथा विशेषाधिकार वायुयान नियमों की अनुसूची II में निरूपित किये गये हैं। इनका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें आधुनिकतम रूप दे दिया जाता है।

(ख) विमानचालकों की संख्या चुने गए विमान के प्रकार पर निर्भर करेगी, जिसका निर्णय "थर्ड लेवल ऑपरेशनों" के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही किया जाएगा।

पर्यटकों के लिये आवास की आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

863. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लिए आवास की आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण करने हेतु चुने हुये केन्द्रों में किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) मद्रास में आवास की स्थिति क्या है और उपलब्ध आवास में वृद्धि करने के लिए क्या ठोस उपाय किये जाने हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पर्यटक आवास संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये चुने हुए केन्द्रों पर 1973—75 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के परिणाम अस्थायी प्रकार के थे। तथापि, पर्यटक आवास संबंधी आवश्यकताओं का और अधिक वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से, जिनमें पर्यटन उद्योग भी सम्मिलित है, एक देश-व्यापी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ख) मद्रास में अनुमोदित होटलों से प्राप्त हो रहे होटल लाग संबंधी आंकड़ों (होटल ऑक्यूपैंसी डेटा) से होटल आवास की किसी कमी का पता नहीं चलता। तथापि, ऊपर पैरा (क) में निदिष्ट प्रस्तावित सर्वेक्षण विभिन्न वर्गों के पर्यटकों की होटल आवास संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा। मद्रास में होटल आवास में वृद्धि करने के प्रश्न पर सर्वेक्षण के आधार पर ही विचार किया जा सकेगा।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एयर इंडिया को किराए पर एयर बस देने से उसे हुई हानि

864. **श्री सौगत राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा खाड़ी के देशों की उड़ानों के लिए एयर इंडिया को किराये पर दी गई एयर बस पर उसे हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के क्या कारण हैं और इंडियन एयरलाइंस की इस हानि को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों को दिये गये ऋणों के बारे में जांच

865. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों को दिये गये ऋणों के बारे में इस बीच कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या ऋण देने में किन्हीं अनियमितताओं का पता लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को दिये गये ऋणों के बारे में कोई जांच नहीं कराई है।

बैंकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के पालन में यदि कोई अनियमितता बरती गई हो तो उसके मामलों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंकों का निरीक्षण करते समय की जाती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक की रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाता है।

अलबत्ता, मारुति समूह कम्पनियों और कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित दो विशेष मामलों में क्रमशः जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन गठित एक जांच आयोग और सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांच आयोग के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ साथ, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से सुविधाएं और ऋण या सहायता प्राप्त करने के सभी मामलों सहित इन बैंकों और संस्थाओं से इन प्रतिष्ठानों (अर्थात् मारुति समूह कम्पनियों) की ऋण अथवा सहायता प्राप्त करने की पात्रता, आवेदन पत्र पर विचार करने में बरती गई सावधानी के स्तर, ऐसी सहायता मंजूर करने के बारे में उस समय प्रवृत्त नीतियों, प्रथाओं, नियमों, निदेशों के अनुपालन की मात्रा सम्बन्धी सभी मामले शामिल हैं। कोहिनूर मिल सम्बन्धी एक सदस्यीय जांच समिति अन्य बातों के साथ साथ यह जांच करेगी कि क्या सेंट्रल बैंक ने उचित मंजूरियां लेने और सामान्य सुरक्षा का पालन करने के बाद कोहिनूर मिल्स को ऋण/सुविधाएं दी थीं। और क्या बैंक द्वारा खाते का संचालन करने में अनियमितताएं अथवा अनुचित व्यवहार किया गया था।

वेतन, आय और मूल्य नीति पर सिफारिशें करने के लिये अध्ययन दल

866. **श्री के० प्रधानी :**

श्री के० लकप्पा :

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री के० ए० राजन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वेतनों, आय और मूल्य नीति पर सिफ़ारिशें करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वेतन, आय और मूल्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए पहले ही से एक उप समिति गठित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसका प्रतिवेदन कब तक मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्यगण वेतन, आय और मूल्य विषयक उस अध्ययन दल के बारे में पूछ रहे हैं, जिसकी स्थापना सरकार ने अक्तूबर, 1977 में की है । अध्ययन दल का गठन निम्न प्रकार है :—

1. श्री एस० भूतलिंगम, (अध्यक्ष)
2. डा० धर्म नारायण, (सदस्य)
3. श्री अरविन्द बुच, (सदस्य)
4. श्री हितेन भाया, (सदस्य)
5. प्रो० सेम्यूल पाल, (सदस्य)
6. श्री जी० सी० कटोच, (सदस्य सचिव)

2. यह मसौदा तैयार करते समय अध्ययन दल जिन बातों पर विचार करेगा, वे इस प्रकार हैं :

(i) न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिए क्या प्रतिमान अपनाए जायं ।

(ii) क्या न्यूनतम वेतन एक समान होना चाहिए या उसमें निम्नलिखित के बीच अन्तर रखा जा सकता है :—

(क) कृषि, उद्योग और सेवाएं

(ख) संगठित और असंगठित क्षेत्र

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्र

(घ) विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच

(ङ) संगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोक्ताओं के बीच

(3) न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच अन्तर निर्धारित करने के लिए क्या सुसंगत मानदंड होने चाहिएं और क्या न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन का अनुपात सभी क्षेत्रों के लिए एक समान होना चाहिए या ऊपर पैरा (2) में बताये गये क्षेत्रों के बीच वह अलग-अलग रखा जा सकता है ।

(iv) अधिकतम आय का निर्धारण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाएं और अधिकतम आय और अधिकतम वेतन के बीच क्या संबंध होना चाहिए।

(v) वेतन और आय और मूल्यों के बीच कैसे सम्बद्धता रखी जाय और इस विषय में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में महंगाई भत्ते के नियमन की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा।

(vi) प्रस्तावित वेतन, आय और मूल्य-नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या-क्या वित्तीय, आर्थिक और अन्य नीतियां अपनाई जाएं।

(vii) क्या प्रस्तावित वेतन, आय और मूल्य-नीति को लागू करने के लिए कोई वैधानिक परिवर्तन करने होंगे।

3. अध्ययन दल को अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तर्गत आने वाले गांव

867. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1977 के अन्त में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर्गत कितने गांव थे ;

(ख) कितने गांव अभी बैंकों के अंतर्गत नहीं आते ;

(ग) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1976-77 के दौरान कितनी राशि के ऋण दिये ;

(घ) वर्ष 1976-77 में कृषि के लिए कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ङ) उक्त वर्ष में कितने कृषि श्रमिकों तथा कृषकों को ऋण दिए गये ;

(च) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के 'लीड' जिलों की संख्या कितनी है ; और

(छ) कितने लीड जिलों में ऋण योजनायें तैयार की गईं और कार्यान्वित की गईं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जुलाई, 1977 के अंत तक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 4550 शाखाएं ऐसे ग्रामीण केन्द्रों में कार्यरत थी जहां की आबादी 10,000 तक है। ये शाखाएं केवल उन केन्द्रों की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करती जहां कि ये स्थित हैं, अपितु अपने कार्यचालन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य गावों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं वे चाहे यह कार्य सीधे अथवा अपनायी गयी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या कृषक सेवा समितियों के माध्यम से करें। अलबत्ता, 14 राष्ट्रीकृत बैंकों अथवा बैंकिंग प्रणाली द्वारा व्याप्त किये गये गावों की संख्या का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1977 के अंत तक 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सभी क्षेत्रों को अग्रिमों के रूप में कुल 7524 करोड़ रुपये की राशि दी गयी।

(घ) और (ङ) रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले कुल बकाया अग्रिम 766.8 करोड़ रुपये की राशि के हैं जिसमें मार्च 1977 के अंत तक 26,58,719 ऋण खाते आते हैं। इनमें से 568.06 करोड़ रुपये कृषि के लिये सीधे ऋण के रूप में थे जिसमें 23,76,644 ऋण खाते आते हैं।

(च) और (छ) लीड बैंक योजना के अंतर्गत, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को 272 जिले आबंटित किये गये हैं। जून 1977 के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 97 जिलों के बारे

में ऋण योजनाएं तैयार कर ली हैं, जिनमें से 33 जिलों में कार्यान्वयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष जिलों में से, छः जिले गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बद्ध हैं और बाकी भारतीय स्टेट बैंक समूह से जुड़े हैं।

आयकर विभाग द्वारा "कोफेपोसा" अथवा 'मीसा' के अधीन पकड़े गये व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाना

868. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० जी० मुरुगैयन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों ने तस्करी की गतिविधियों में हाथ होने के लिए "कोफ़ेपोसा" अथवा "मीसा" के अंतर्गत गिरफ्तार 900 व्यक्तियों को उनकी सम्पत्तियों के कुर्क करने और जब्त करने के नोटिस जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें नोटिस कब जारी किये गये थे और अब तक जब्त की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन, जिसमें तस्करों और उनके सम्बन्धियों तथा उनके सहयोगियों की, गैर-कानूनी रूप से हासिल की गयी सम्पत्ति का समपहरण करने की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, (तथा जिसका प्रशासन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाता है), उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 186 समपहरण आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें यह घोषणा की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 4.80 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का समपहरण कर लिया गया है। इन आदेशों में से 62 समपहरण आदेश उन नजरबन्द व्यक्तियों के सम्बन्ध में हैं जिनको विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था। इन समपहरण आदेशों में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का कुल मल्य 2.59 करोड़ रु० है। इसके अतिरिक्त, 752 मामलों में 21.78 करोड़ रु० मूल्य की सम्पत्ति का समपहरण करने की कार्यवाही उक्त अधिनियम के अधीन की जा रही है। इनमें से, 244 मामलों में की जा रही कारवाई, जिसमें 6.82 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अन्तर्ग्रस्त है, उन नजरबन्द व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिनको विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया था। इन अतिरिक्त, बहुत से मामलों में (जिनमें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्ति भी शामिल हैं) प्राथमिक जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित समपहरण के 186 आदेशों द्वारा 2.13 करोड़ रु० की अचल सम्पत्ति तथा 2.67 करोड़ रु० की चल सम्पत्ति का समपहरण कर लिया गया है। इसमें से नजरबन्द व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य 1.24 करोड़ रु० है जबकि नजरबन्द व्यक्तियों की चल सम्पत्ति का कुल मूल्य 1.35 करोड़ रु० है।

नोटिसों को तामिल किये जाने की तारीखों तथा इस प्रकार के नोटिसों में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति के और ब्यौरों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना देश के सभी भागों से एकत्रित की जानी होगी जिसमें काफ़ी समय तथा श्रम लगेगा और जो प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष नजरबन्द व्यक्ति के सम्बन्ध में उक्त सूचना चाहते हों तो उससे सम्बन्धित सूचना सदन-पटल पर रखी जा सकती है।

Expenditure on Digging Works to Unearth Hidden Treasures

869. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the authorities under whose orders digging works were undertaken in certain places which were reported to contain hidden treasures during the Emergency and the expenditure incurred thereon and the value of treasure recovered therefrom ; and

(b) if no treasure was recovered from such digging the names of the persons responsible there for and the action being taken against them ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) During the Emergency, digging operations for uncerthing 'hidden treasure' were undertaken at Jaigarh Fort.

The search for the treasure belived to have been hidden in Jaigarh Fort was commenced in June, 1976 and was abondoned in November, 1976. The search was undertaken under an agreement dated 22nd May, 1976 entered into in this behalf by the Government of India (in the Department of Culture) and Colonel Bhawani Singhji of Jaipur. The scientists of the National Geophysical Research Institute, officers of the Corps of Engineers of the Indian Army, personnel from the Central Public Works Department, Rajasthan State Underground Water Department and Archaeological Survey of India participated in these operations, which were coordinated by the Director of Inspection (Investigation), Income-tax Department. As no hidden treasure was located, the question of taking action against any person for not recovering it did noit arise.

The expenditure booked for the digging operations comes to Rs. 2,40, 989 as intimated so far by the various agencies involved in the operations.

खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा कोचीन/त्रिवेन्द्रम में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिये वित्तीय सहायता

870. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों ने कोचीन/त्रिवेन्द्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) खाड़ी के देशों में स्थित भारतीयों ने कोचीन में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिये ऋण-पत्रों (Debentures) लॉटरियों या खाड़ी के देशों से साफ्ट लोन्स (Soft Loans) के द्वारा करीब 8 करोड़ रुपये तक के फंड इकट्ठा करने की पेशकश की है ।

सरकार त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को खाड़ी के देशों के लिए सीधी उड़ानों के परिचालन के काबिल बनाने के उद्देश्य से उस के विकास के लिए प्राइवेट पार्टियों से किसी प्रकार की ग्रांट लेना उचित नहीं समझती। तथापि इस उद्देश्य के लिए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का स्वयं सरकार द्वारा ही विकास किये जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

तमिलनाडु स्थित कायाथार में हवाई अड्डा

871. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तमिल राज्य के तिरुनेल्वेली ज़िले में कायाथार पर युद्ध के दौरान एक हवाई अड्डा था ;

(ख) क्या इसी स्थान पर जो कि तूतीकोरिन के समीप है जहां हाल ही में एक नया पत्तन बनकर तैयार हुआ है तथा जो तिरुनेवेली जिले का मुख्यालय है और जो कन्याकुमारी के भी समीप है, एक हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने उस क्षेत्र में एक हवाई अड्डा स्थापित करने के लिये पहले कायाथार स्थान को उपयुक्त स्थान के रूप में चुना था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। कायाथार में भारतीय वायु सेना का एक हवाई अड्डा है जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार के पास इतनी लम्बी अवधि बीतने के बाद ऐसे कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चल सके कि तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कायाथार को विमान क्षेत्र बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में चुना था या नहीं।

वर्तमान मंत्रि परिषद् में 31-3-1977 को सम्पत्ति करदाता मंत्री

872. **श्री हितेंद्र देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मंत्रीपरिषद् के उन मंत्रियों के क्या नाम हैं जो 31 मार्च, 1977 को संपत्ति कर दाता थे; और

(ख) 31 मार्च, 1977 तक उपरोक्त कर दाताओं में से प्रत्येक की ओर देय कर का निर्धारण किस वर्ष तक कर लिया गया था तथा उनमें प्रत्येक की कुल कितनी संपत्ति पर कर निर्धारण किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) मंत्रिपरिषद् के 44 सदस्य हैं। उनका कर-निर्धारण कहां होता है इस संबंध में सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रख दिया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी :

(i) मंत्रिपरिषद् के ऐसे सदस्यों के नाम जो 31 मार्च, 1977 को धन-कर अदा करते थे।

(ii) जिस नवनितम कर-निर्धारण वर्ष तक प्रत्येक सदस्य के संबंध में धन-कर-निर्धारण की कार्यवाही पूरी कर ली गई है वह वर्ष ; और

(iii) नवनितम कर-निर्धारण के अनुसार कर-निर्धारित कुल धन।

Procedure for Advancing Loans by Nationalised Banks

873. **Shri Rameshwar Patidar :**
Shri Subhash Ahuja :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the nationalised banks have been directed to simplify the procedure for advancing loan ; and

(b) If so, the categories of loans for which directives have been issued to simplify the procedure ?

The Ministre of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) and (b) the lending procedures of the public sector banks are under constant review and are being revised from time to to time. Public Sector banks have taken some of the following measures to streamline the procedure for sanction of loans for small borrowers belonging to priority sector comprising

agriculture, small scale industries, transport operators, professionals and self-employed persons, retail trade, small business and education :

(i) simplification of application forms and making them available in regional languages ;

(ii) assistance to the borrowers by the bank staff to fill in the applications forms ;

(iii) strengthening of banks staff, at appropriate levels, with such technical and other experts as are needed for quick appraisal of loan application ;

(iv) Provision of consultancy services in selected branches to provide guidance to to small entrepreneurs, or provision of package services including financial and ma nagement assistance in addition to bank loans ;

(v) delegation of enhanced powers to regional/branch offices for sanctioning of loans.

दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में आयातित रेपसीड आयल की बिक्री में गोलमाल

874. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी तथा देश के कुछ अन्य भागों में आयातित रेपसिड आयल बिक्री में गोलमाल का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारी लोग किस ढंग से यह धोखाधड़ी करते थे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्य सरकारों को मिलने वाली शिकायतों की सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके अंतर्गत जारी किये गये किन्हीं आदेशों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और इसी तरह के अधिनियमों जैसे संगत कानूनों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

भूतलिंगम आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

875. **श्री मनीराम बागड़ी** :

श्री के० ए० राजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतलिंगम आयोग सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में देय वेतनों, मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, नगर प्रति पूर्ति भत्ते तथा अन्य भत्तों के बारे में विचार करेगा ;

(क) क्या यह आयोग कृषि श्रमिकों के वेतनों पर भी विचार करेगा ; और

(ख) सरकार को प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा और आयोग के निर्देश पद क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) श्री एस० भूतलिंगम की अध्यक्षता आय और मूल्य विषयक अध्ययन दल वेतन के विभिन्न तत्वों पर विचार करेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) यह अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट छः माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।

अध्ययन-दल वेतन, आय और मूल्य विषयक नीति का एक मसौदा तैयार करेगा। इस नीति का प्रारूप तैयार करने में अध्ययन-दल निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगा :--

(i) न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के लिए क्या क्या प्रतिमान अपनाए जाएं।

(ii) क्या न्यूनतम वेतन एक समान होना चाहिए या उसमें निम्नलिखित के बीच अन्तर रखा जा सकता है :—

(क) कृषि, उद्योग और सेवाएं

(ख) संगठित और असंगठि क्षेत्र

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्र

(घ) विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच

(ङ) संगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोक्ताओं के बीच ।

(iii) न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच अन्तर निर्धारित करने के लिए क्या सुसंगत मानदण्ड होने चाहिएं और क्या न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन का अनुपात सभी क्षेत्रों के लिए एक समान होना चाहिए या ऊपर पैरा (2) में बताये गये क्षेत्रों के बीच वह अलग-अलग रखा जा सकता है।

(iv) अधिकतम आय-कर निर्धारण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाएं और अधिकतम आय और अधिकतम वेतन के बीच क्या सम्बन्ध होना चाहिए।

(v) वेतन और आय और मूल्यों के बीच कैसे सम्बद्धता रखी जाय और इस विषय में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में महंगाई भत्ते के नियमन को वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा।

(vi) प्रस्तावित वेतन, आय और मूल्य-नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या-क्या वित्तीय, आर्थिक और अन्य, नीतियां अपनाई जाएं।

(vii) क्या प्रस्तावित वेतन, आय और मूल्य नीति को लागू करने के लिए कोई वैधानिक परिवर्तन करने होंगे।

रेप सीड आयल का उचित दर पर उपलब्ध होना

876. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जो रेप सीड आयल का आयात किया गया था और 7.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाना था वह आमतौर से सरसों के तेल में मिलाया जा रहा है और 13 रुपये अथवा 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने और इस तेल को घोषित दरों पर जनता को उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठायें हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) आयातित रेप सीड तेल को सरसों के तेल में मिलाने की कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली

हैं। तथापि, कुछ समाचार-पत्रों में इस तरह की कुछ खबरें छपी हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि यदि कोई ऐसे कदाचार हैं तो उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी किये गये किन्हीं आदेशों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा इसी तरह के अधिनियमों जैसे संगत कानूनों के उपबन्धों के अंतर्गत रोकें।

European Monetary Loan to India

877. **Shri Sushil Kumar Dhara :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the time by which the European Monetary Loan amounting to 5 crore dollars which was offered to India after she joined the International Capital Market during August 1977, will be made available to her;

(b) the purposes for which this loan will be utilised;

(c) the concession offered to India in the rate of interest;

(d) whether such loans are likely to be advanced to other developing countries in future; and

(e) how do the terms of this loan compare with those of the World Bank Loan ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Oil and Natural Gas Commission on 7th Nov., 1977 concluded a loan agreement with a Syndicate of International Banks for U.S. dollars 50 million. Loan can be drawn upon with immediate effect.

(b) The loan will be utilised for development of Bombay High.

(c) & (e) The loan will be for a period of 7 years including a grace period of 3 years at a rate of interest which will be 1 per cent above the London Inter Bank offered rate. These terms are considered to be extremely favourable for India. The World Bank loans on the other hand are usually for a period of 20 years and currently carry rate of interest of 7.9 per cent.

(d) We have no information on this issue.

बैंक जमा खातों में सामुदायिक बचतों को आकर्षित करने के लिये कदम

878. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंक जमा खातों में और अधिक सामुदायिक बचतों को आकर्षित करने तथा उत्पादक प्रयोजनों के लिये संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : बैंक-जमाओं के रूप में और अधिक सामुदायिक बचतों को आकर्षित करने के लिये बैंक जो कदम उठा रहे हैं उनमें से कुछ ये हैं :—बैंकिंग व्यवस्था द्वारा अपर्याप्त रूप से सेवित क्षेत्रों अथवा जहां अधिक जमा राशियां प्राप्त होने की संभावना है ऐसे क्षेत्रों में शाखा विस्तार, विभिन्न प्रकार के जमाकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष जमा योजनायें बनाना, जमायें जुटाने के लिये विशेष प्रचार आन्दोलनों का आयोजन करना; शाखाओं के परिचालन क्षेत्र की जमा संभाव्यता और कर्मचारियों को प्रोत्साहन के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उनके निष्पादन बजट बनाना।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनके द्वारा दिये गये ऋण की दिशा और मात्रा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र प्राथमिकताओं के अनुरूप ही हैं, बैंक विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक निवेश और उत्पादन प्राप्त करने और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के पूर्ति बढ़ाने के लिये अधिकाधिक ऋण योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। बैंकों ने ऋण प्रस्तावों का समुचित मूल्यांकन करने के लिये प्रक्रियायें बनाई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यकता पर आधारित हैं और ऋण स्वीकृति के बाद यह देखने के लिये कि ऋणकर्ताओं द्वारा ऋण का उपभोग उसी प्रयोजन के लिये ही हो रहा है जिसके लिये ऋण स्वीकार

किया गया है। छोटे उत्पादक उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये बैंक अभी तक उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

विकास की हमारी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की अनिवार्यता/प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सहायता बढ़ाने का प्रयास करें।

Air Service for Sultanganj

879. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) why in spite of the fact that there are more than a dozen places of historical importance such as Vikramshila in Bhagalpur, Praobin Madarachal Champapuri, Karngarh and Ajgoninath at Sultanganj besides its being a divisional headquarters and, having a university office, no air service has been introduced to serve that area;

(b) whether Civil Aviation Department proposes to introduce on an experimental basis air service at least thrice a week; and

(c) if so when the service is likely to commence ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purshottam Kaushik) : (a), (b) and (c) A traffic potential-*cum*-economic feasibility survey carried out by Indian Airlines in 1973 had revealed that it would be highly uneconomical for them to introduce an air service to Bhagalpur. Consequently, Indian-Airlines have no plans to airlink Bhagalpur in the foreseeable future.

It is not feasible to introduce an air service to Sultanganj as it has no aerodrome. The area is served by the Patna airport through which Indian Airlines operate daily air services.

विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय मण्डप

880. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय मण्डप लगाने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या यह प्रक्रिया दोष-रहित है; और

(ग) क्या मेलों की समाप्ति पर उन मण्डपों को नीलाम कर दिया जाता है अथवा मेले के पश्चात् मण्डप पर खर्च राशि व्यर्थ जाती है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) से (ग) विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मण्डप लगाने के लिए, मण्डप के या जहां इमारत, पहले से बनी हुई है वहां उनमें परिवर्तन/पुनद्धार करने के डिजाइन और प्लेटफार्मों टैंकों एवं विद्युतीकरण के भीतरी जुड़नार तथा प्रदर्शन का मूल खाका भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय का उपक्रम) के तकनीकी प्रभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं।

व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये रेखा-चित्र विदेशों में सम्बन्धित भारतीय मिशनों को सप्लाई किये जाते हैं या यहां से एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा जाता है जो रेखा-चित्रों के आधार पर टेंडर मंगाने की निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा कराने के लिए सुस्थापित ठेकेदारों से बोली देने को कहता है। बोली में और आगे कटौती करने के उद्देश्य से सबसे कम की बोली देने वाले के साथ बातचीत करके ठेका दे दिया जाता है।

ऐसे मामले में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी या बड़े पमाने पर भारत द्वारा भाग लेने का प्रबन्ध किया जाना है या जहां निर्माण/मण्डप लगाने की सुविधाएं बहुत थोड़ी होती हैं, व्यापार मेला प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध सुविधाओं का स्थल पर अनुमान लगाने के लिए काफी पहले अग्रिम योजना बनाने के उद्देश्य से मेला स्थान पर भेजा जाता है। उसके द्वारा लगाये गये अनुमान के आधार पर भारत से अपेक्षित सहायता देने के लिए आगे कार्यवाही की जाती है।

जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह सन्तोषजनक पाई गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में जहां भी हमने अपने मण्डप बना लिये हैं, वह ढांचे हमारी सम्पत्ति के रूप में रहते हैं और जब कभी हम मेलों में भाग लेते हैं तो हम उनका प्रयोग करते हैं। नियमित रूप से लगने वाले और पुराने मेलों में हम सामान्यतः केवल छती हुई जगह किराये पर लेते हैं और लागत घटाने एवं गिराने की भारी लागत से बचने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम ठेकेदारों से इस आधार पर आन्तरिक जुड़नारों/प्लेटफार्मों आधारों/विद्युतीकरण आदि के लिए निर्खं देने को कहते हैं कि ये सामान उनका रहेगा।

Licences issued for import of Edible Oil during 1976-77

881. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the value of the licences issued for the import of edible oil in 1976-77;

(b) the value of edible oils imported during the period; and

(c) the reasons for which the remaining edible oil was not imported ?

The Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) Rs. 788 crores.

(b) Rs. 82 crores.

(c) Imports against import licences are effected over a period of time, within the validity period of the licence concerned. Most of the licences issued in 1976-77 might not have been utilised by March, 1977, as the bulk of the licensing for edible oils was done during February-March, 1977.

Loans by Nationalised Banks to Educated Unemployed in Nalanda District Bihar

†882. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the policy of granting loans to the educated unemployed and to the lower sections of society by the nationalised banks has been abandoned, if so, the reasons therefor;

(b) whether the nationalised bank of Nalanda District in Bihar State have virtually stopped giving loans to the educated unemployed and to lower sections of society and loans are given arbitrarily by these banks giving rise to corruption there; and

(c) whether Government propose to order an enquiry into it and take suitable action ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Public Sector banks continue to finance educated unemployed and weaker sections of the society on a priority basis.

The following data in respect of Bihar State reveals that the number of accounts and the amount outstanding under the Half-a-Million Jobs Programme/Employment Promotion Programme has gone up by more than 2½ times between December, 1975 and December, 1976. In respect of professionals and self-employed persons also the number of accounts over the same period has gone up 2½ times and the amount outstanding has nearly doubled :

ADVANCES** IN THE STATE OF BIHAR

	December, 1975		December, 1976	
	No. of A/cs.	Amount Outstanding (Rs. in lakhs)	No. of A/cs.	Amount Outstanding Rs. in lakhs)
(a) Advances under Half-a-Million Jobs Programme/Employment Promotion Programme	4386*	396.9	10127*	1018.3
(b) Professionals and self-employed persons	7382	131.1	18005	223.5

*No. of applications sanctioned.
**Provisional.

No cases of corruption in the sanction of loans by nationalised banks in Nalanda District have been brought to the notice of the Government. Specific cases as and when reported would be investigated and appropriate action taken on the merits of each case.

गुजरात में पर्यटन विकास

883. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान पर्यटन विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) इस अवधि में कितनी राशि खर्च की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1977-78 के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गुजरात राज्य में पर्यटन स्कीमों के लिए वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के लिए क्रमश: एक लाख रुपए की तथा 8.49 लाख रुपए की व्यवस्था की थी।

(ख) वर्ष 1975-76 में सस्सनगिर (सह शरण-स्थल) में फारेस्ट लॉज के निर्माण के लिए 54,176 रुपए की राशि का उपयोग किया गया। वर्ष 1976-77 में इस फारेस्ट लॉज के निर्माण एवं साज-सज्जा पर 3,37,309 रुपए की और राशि खर्च की गयी।

(ग) इस फारेस्ट लॉज को पूरा करने के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान 6.59 लाख रुपए का और व्यय होने की आशा है।

Non-supply of Maida and Suji to Rural People by Fair Price Shops

884. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the fair price shops in the rural areas do not supply maida and suji to the rural people;

(b) whether pulses such as arhar and moong and mustard oil were available in the open market at Rs. 2.50 and Rs. 7 or 8 per kilo respectively in 1975 and 1976;

(c) whether Government propose to make arrangements to supply pulses and mustard oil or rapeseed oil at cheap controlled prices in view of the poverty in the rural areas; and

(d) if the answer to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative the time by which pulses and oil will be supplied to them at cheap prices ?

Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) With easy availability of wheat and consequent upon the lifting of price control on wheat products from 30th November, 1976, maida and suji are freely available in the open market.

(b) The retail prices of arhar in selected centres ranged from Rs. 2.50 per kg. to 3.60 per kg. in the year 1975 and for the year 1976 the retail prices for the same varied from Rs. 2.10 a kg. to Rs. 2.60 per kg. In respect of moong, the retail prices were between Rs. 2.80 per kg. and Rs. 3.60 per kg. in 1975 while in 1976, the prices varied from Rs. 2.50 a kg. to Rs. 2.80 per kg. In regard to mustard oil, the retail prices varied from Rs. 5.80 per kg. to Rs. 8.00 per kg. in 1975 and for the year 1976, the prices ranged between Rs. 5.20 to Rs. 9.60 per kg.

(c) and (d) The matter is presently under active consideration of the Government.

कलकत्ता तथा अगरतला के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा

885. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा के अनेक संगठनों की इस आशय की मांग की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता तथा अगरतल्ला के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा पुनः शुरू की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। तीन नये बोइंग-737 विमानों के परिचालन में आ जाने के पश्चात् इंडियन एयरलाइन्स का कलकत्ता तथा अगरतला के बीच दैनिक बोइंग-737 विमान सेवा फिर से चालू करने का प्रस्ताव है।

समुद्र तट पुरी कोणार्क सड़क का पूरा होना

887. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहार :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तट पर पूरी-कोणार्क सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस कार्य में प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह सड़क कब पूरी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) साधनों की तंगी के कारण, योजना आयोग ने राज्य सरकार को परामर्श दिया कि वह जो सड़क परियोजनाएं पांचवीं योजनावधि के दौरान पहले से ही चल रही हैं उन्हीं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

(ग) छठी योजनावधि में निधियों की उपलब्धता तथा प्रदान की गयी प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

जयपुर और ग्वालियर के महलों से आपातस्थति के दौरान बरामद माल

888. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री जयगढ़ किले में बरामद खजाने के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर और ग्वालियर के महलों से आपातस्थिति के दौरान बरामद माल के बारे में न्याय निर्णयन कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) आपातस्थिति के दौरान जयपुर और ग्वालियर के महलों से पकड़े गये माल के बारे में, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत, न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही अभी जारी है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में भर्ती

889. **श्री बालक राम :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में अनेक आयु सीमा पार किये हुए तथा अर्हताहीन व्यक्ति भर्ती किये गये थे ;

(ख) क्या 1 सितम्बर, 1972 से 31 अगस्त 1977 तक की गई भर्तियों पर अर्हता तथा अनुभव की दृष्टि से पुनः विचार किया जायेगा ताकि उनमें हुई अनियमितताओं का पता लगाया जा सके ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी अनियमिततायें स्कूल आफ मनैजमेंट स्टडीज् द्वारा तथा-कथित प्रबन्ध परीक्षा करा कर छिपा ली गई थी ;

(घ) क्या सीनियर क्लर्कस के लिए परीक्षा में स्नातकों एवं स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के साथ एस एस एल सी परीक्षा पास उम्मीदवारों को भी बैठने की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) क्या इस संबंध में कदाचारों का पता लगाने के लिए उम्मीदवारों के परीक्षा पत्रों की जांच की जायेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) से (ङ) 1-9-1972 से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में की गई भर्तियों के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है और उसके निष्कर्षों के आधार पर प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये धातु सूचक यंत्र

890. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई से जापान एयरलाइन्स के एक विमान में सवार होने वाले पांच जापानियों ने उसी विमान का अपहरण कर लिया था ;

(ख) क्या उस अवसर पर बम्बई हवाई अड्डे पर कोई सुरक्षात्मक जांच नहीं की गई थी; और

(ग) क्या बम्बई में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कोई धातु सूचक यंत्र उपलब्ध नहीं है हालांकि वहां के अधिकारियों को प्रायः तथाकथित जापनी लाल सेना के आदमियों की उपस्थिति के बारे में बार-बार चेतावनी दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अपहरण के संबंध में पूरे तथ्य अभी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि मामले की अभी जांच की जा रही है।

(ख) बम्बई हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच की गई थी।

(ग) अपहरण की तारीख अर्थात् 28 सितम्बर, 1977 को, बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय साइड पर कोई "डोर टाइप मैटल डिटेक्टर" नहीं था। परन्तु दो हाथ में लेने वाले "मैटल डिटेक्टरों का वस्तुतः प्रयोग किया जा रहा था, जिनसे कि वही प्रयोजन सिद्ध होता है।

सीमाशुल्क तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी की गतिविधियां निरोधक अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियां

891. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क तथा प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा परिरक्षण तथा तस्करी की गतिविधियां निरोधक अधिनियम के अधीन नई गिरफ्तारियां करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन कितनी नई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबन्दी के आदेश केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके अधिकार प्रदत्त अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं, सीमाशुल्क और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नहीं। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, संगठित अथवा अभ्यस्त तस्करों और विदेशी मुद्रा छल-साधकों की नजरबन्दी चुनिंदा आधार कर की जाती है।

(ग) 21 मार्च, 1977 से 11 नवम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान जारी किये गये नजरबन्दी के 86 आदेशों में से, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत 64 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

भारत में एयर फ्रांस द्वारा भारत के रिजर्व बैंक से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा की मंजरी

892. **श्री राम धारी शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एयर फ्रांस भारत के विभिन्न केन्द्रों से यात्रियों को निश्चित रूप से दोहरे विमान टिकट जारी कर रहा है ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में वह धोखाधड़ी के द्वारा मूल टिकटों तथा दोहरे टिकटों के लिये भारत के रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा की मंजूरी प्राप्त कर रहा है और इस प्रकार प्रति मास लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है तथा भविष्य में एयर फ्रांस की धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार की नजर में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां भारत में एयार फ्रांस भारत के विभिन्न केन्द्रों से दोहरे विमान टिकट जारी कर रहा हो। यात्राओं से होने वाली अतिरिक्त आय की रकम विदेशों को भेजने की अनुमति देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक जो प्रक्रिया अपनाता है। उसके अनुसार हवाई कम्पनियों को भारत में रुपये लेकर जारी किये गये टिकटों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र देना पड़ता है। हवाई कम्पनियों को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजने पड़ते हैं :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित 'पी' फार्म/एफ०टी०एस० फार्म

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारोबारी यात्रा/अध्ययन आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए जारी किए गये विदेशी मुद्रा के परमिटों का ब्यौरा।

(3) सभी 'पी' फार्म, जहां हवाई कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त किये बिना यात्रा बुक करने का आवश्यक अधिकार है।

यात्राओं से हुई अतिरिक्त आमदनी की रकम विदेश भेजने के आवेदन पत्रों पर यात्रा शुरू करने के पहले स्थान पर की गई बुकिंग और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गए ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर विचार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया से दोहरे टिकट जारी करके धोखाधड़ी से दोहरी अदायगी का दावा करने की गुंजाइश नहीं रहती।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

संसाधनों की कमी दूर करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सरकार की सहायता

893. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संसाधनों की कमी दूर करने के लिए राज्यों की सहायता करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) केन्द्र इस कमी को कहां तक पूरा करने के लिए सहमत हुआ है ; और

(घ) राज्य कोष कमी को किस प्रकार पूरा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में कमी होने तथा कर संबंधी रियायतों, कर्मचारियों को राहत दिए जाने के कारण संसाधनों का क्षय होने तथा वार्षिक आयोजना 1977-78 को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् राज्यों द्वारा अतिरिक्त आयोजना-भिन्न वित्तीय देनदारियों का भार उठाए जाने के परिणाम स्वरूप राज्यों की आयोजनाओं के वित्त पोषण करने में संसाधनों में काफी अन्तराल आ गया है। राज्यों द्वारा अनुमोदित आयोजनागत परिव्यय को तथा विकास की गति को बनाए रखने के लिए यह निर्णय किया गया है कि संसाधनों में आए आधे अवशिष्ट अन्तराल को अतिरिक्त अग्रिम आयोजनागत सहायता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। यह आशा की जाती है कि संसाधनों के बाकी आधे अन्तराल को राज्य, आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत, प्राप्तियों में सुधार, देय रकमों का संग्रह आदि जसे किए जाने वाले अपने प्रयत्नों द्वारा पुरा कर सकेंगे। स्थिति की दिसम्बर, 1977 में समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है।

Remittances from India by Multinational Corporations

894. **Shri Vijay Kumar Malhotra :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount of money remitted from India by the Multinational Corporations during the Prime Ministership of Mrs. Indira Gandhi; and

(b) the steps being taken by the Government of India to stop this exploitation by these corporations ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) A statement is attached supplying information about remittances made by foreign companies for the latest available period.

(b) The policy of the Govt. is to regulate foreign investment at the time of its entry so as to subserve and safeguard national interest. Foreign investment will be permitted only in areas where sophisticated technology is needed or in predominantly export-oriented ventures. When foreign investment is permitted, it is necessary to allow remittance rights on current items as also capital repatriation in the event of disinvestment.

Remittances made abroad by the Private Sector on account of Profits, Dividends, Royalties and Technical Know-how fees

(Rs. in lakhs)

Year	Profits	Dividends	Royalties	Technical know-how fees
1965-66	1350	1940	295	698
1966-67	1447	2877	513	1043
1967-68	1595	3270	432	1468
1968-69	1296	3025	478	1797
1969-70	1272	3141	580	1305
1970-71	1312	4348	523	2063
1971-72	994	3887	586	1390
1972-73	1554	3908	733	1133
1973-74	2191	3751	621	1408
1974-75	719	1846	846	1256
1975-76 (April-June)	151	498	227	581

Notes : 1. There is no precise definition of the term "multinational corporation". For the purpose of this question, information is given about foreign companies operating in India.

2. The latest information on remittances available from the Balance of Payments data refers to the period April-June 1975. Hence the information given is upto that period.

Dismissal/Suspension of Gazetted and Non-Gazetted Employees in The Ministry of Finance

895. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Financr be pleased to state :

(a) the number of Gazetted and non-Gazetted employees in his Ministry and departments who were dismissed or suspended from service on various charges during emergency;

(b) the number of those employees out of them who have since been reinstated; and

(c) whether the number of such employees as were dismissed or suspended during that period is very large as compared to the previous years and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel): (a), (b) & (c) A statement containing the information in respect of the Secretariat of the various Departments of the Ministry of Finance is laid on the Table of the House.

	No. of employees dismissed or suspended during the period of emergency		No. of employees reinstated upto 31-10-77 out of those mentioned in Cols. 1 to 2		No. of employees dismissed or suspended during : 1973-74		1974-75	
	Gazetted	Non-Gazetted	Gazetted	Non-Gazetted	Gazetted	Non-Gzetted	Gazetted	Non-Gazetted
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dismissed .	..	2	..	2	..	..	..	..
Suspended .	..	1	..	1	..	3	..	..
Total . .	..	3	..	3	..	3	..	..

It would be seen from the above that :

(i) all the employees who were dismissed or suspended during the period of emergency were reinstated upto 31-10-77;

(ii) the number of employees dismissed or suspended during the period of emergency is not large.

Loan by Reserve Bank of India to Apex Cooperative Banks

896. **Shri Y.P. Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India used to give five years ago loans to the Apex Cooperative Banks at 2 1/2 per cent rate of interest for giving to farmers but these days this rate of interest has been increased to 7 per cent and farmers get amount of loans at more than 15 per cent rate of interest; and

(b) if so, whether the Ministry propose to issue directive to the Reserve Bank of India to provide loan facilities to farmers owning less than 20 acres unirrigated land, only at 2 1/2 per cent rate of interest with a view to provide incentive to farmers for increasing the production of food-grains in the country ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) The Reserve Bank of India's rate of interest on advances made to State Cooperative Banks is 2% below the bank rate for short-term agricultural purposes and 1 1/2% below the bank rate for medium-term agricultural purposes. Accordingly, the lending rates on short-term advances for agricultural purposes were 4% upto 8th January 1971, 5% upto 30th May 1973 and 7 per cent thereafter. The rate of interest on medium-term loans were 4 1/2, 5 1/2 and 7 1/2 per cent respectively. However, the rates of interest charged to the ultimate borrowers at present generally range between 11.50 to 14.50 per cent per annum for short-term agricultural loans and between 10.50 to 16 per cent per annum for medium term loans. These rates differ as between States.

(b) There is no proposal to issue a directive to the Reserve Bank of India.

मित्र देशों को निर्यात में वृद्धि

897. **श्री धर्मवीर विशिष्ट :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और मित्र देशों, अर्थात् पश्चिमी जर्मनी, यू० के०, फ्रांस, पूर्व जर्मनी, रूस, अमरिका, कनाडा, पाकिस्तान और जापान के बीच वर्ष 1976 में व्यापार संतुलन (आयात और निर्यात) सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस स्थिति से संतुष्ट है, यदि नहीं, तो उन देशों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) विदेशों के साथ व्यापार का विस्तार करने तथा उसका संवर्धन करने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं: सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यापार संगठनों द्वारा कार्यालय खोलना व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का दौरा, विशेषीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना, तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना एवं औद्योगिक सहयोग आदि।

वित्तीय वर्ष 1976-77 तथा 1975-76 **के लिए निर्दिष्ट देशों के साथ भारत का व्यापार शेष** (अनन्तिम)

	आयात		निर्यात		व्यापार शेष	
	1975-76	1976-77	1975-76	1976-77	1975-76	1976-77
1. पश्चिम जर्मनी	36996	30564	11791	22434	—25205	—8130
2. ब्रिटेन	28400	32129	42132	51012	+13732	+18883
3. पूर्व जर्मनी	3659	3014	2587	4248	+1072	+1234
4. फ्रांस	19653	14021	8622	16182	—11031	+2161
5. सोवियत संघ	30978	30724	41669	44039	+10691	+13315
6. सं० रा० अमरीका	128522	105553	51998	54958	—76524	—50595
7. कनाडा	23201	12940	4580	4870	—18621	—8070
8. पाकिस्तान	2211	1	78	887	—2134	+886
9. जापान	36118	29705	43276	54024	+7158	+24319

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता ।

टिप्पणी : वाणिज्यक जानकारी एंव अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा तयार किये गये आंकड़े वित्तीय वर्ष पर प्रकाशित किये जाते हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का निर्यात

898. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम शीघ्र ही चीनी का निर्यात आरम्भ करेगा ;और

(ख) यदि हां तो क्या उक्त सौदे में कोई हानि होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) चीनी के निर्यात कभी भी पूर्णतः बन्द नहीं किये गये थे। जुलाई, 1977 में राज्य व्यापार निगम को वर्तमान वचनबद्धताओं के आधार पर चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) निर्यात पर लाभ अथवा नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार लेवी और गैर-लेवी कोटे में से किस अनुपात में चीनी निर्यात के लिए आबंटित करती है तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें क्या हैं। विश्व बाजार में वर्तमान कीमत भारत सहित अधिकांश देशों में चीनी की उत्पादन-लागत से

कम है, अतः इसके निर्यात पर कुछ हानि अपरिहार्य है लेकिन इस अवस्था में पहले से यह नहीं बताया जा सकता कि कितना नुकसान होगा।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा धनराशि का विदेशों में भेजना

899. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम को मुख्य कार्यालय, क्षेत्र कार्यालय और निर्यात सेवा खर्चों को विदेशों में भेजने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के बाद कि मूल कम्पनी द्वारा की गई आम सेवाओं की व्यवस्था से शाखा को लाभ पहुंचा है और आय कर प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर, देश में कार्य कर रही शाखाओं को मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत मुख्य/क्षेत्रीय कार्यालय के खर्च के रूप में और निर्यात सेवा प्रभार के रूप में अपने हिस्से की रकमें बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी। 1969 से पहले इस नीति के आधार पर ही कोका कोला निर्यात निगम को रकमें बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी। 1969 के बाद रकमें बाहर भेजने से संबंधित नीति के लिए माननीय सदस्य का ध्यान 24-6-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1726 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

श्री चिरंजीलाल, अंसल ग्रुप आफ केसिज, अंसल भवन, नई दिल्ली द्वारा आय छिपाना

900. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री चिरंजीलाल, असंल ग्रुप आफ केसिज, अंसल भवन, नई दिल्ली द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये की आय छिपाने के बारे में श्री जी० एस० बासी से 4 मई 1973, 25 मई, 1973 और 3 अगस्त, 1973 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आयकर प्राधिकारियों को श्री जी० एस० बासी से 4 मई 1973, 25 मई 1973 और 3 अगस्त 1973 को शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि अंसल ग्रुप के श्री चिरंजीलाल और अन्य व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर अपवचन किया गया है।

(ख) उपर्युक्त शिकायतों में यह आरोप लगया गया था कि कर अपवंचन अनेक मुद्दों पर किया गया है, उदाहरणार्थ आय को छिपाना, जाली खर्चों को नामे डालना, लेखा-बाह्य धन को लेखा-पुस्तकों में नकद जमा के रूप में दिखाना, घरेलू खर्चों आदि को पूरा करने में लेखा-बाह्य धन का उपयोग करना।

अब तक इस मामले में की गई कार्यवाही नीचे दिए अनुसार है :—

श्री चिरंजीलाल और अन्य व्यक्तियों के परिसरों में दिसम्बर 1973 में तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही की गई थो जिनके परिणामतः 2 लाख 20 हजार रुपये नकद और बड़ी संख्या में लेखा-पुस्तकों और दस्तावेज पकड़े गए थे। आय-कर अधिनियम की धारा 132(5) के अंतर्गत विधिवत अपेक्षित आदेश दिये गए थे।

मैंसर्स सी० लायल एण्ड कम्पनी (उर्वरक परियोजना) के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 और 1967-68 के और मैंसर्स सी० लायल एण्ड कम्पनी (लखनऊ कारखाना) के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 के कर-निर्धारण को कार्रवाही फिर से शुरू कर दी गयी है। श्री चिरंजीलाल और उसके तीन पुत्रों के मामले में, कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 के कर-निर्धारण पूरा करते समय,

53,000 रुपये से अधिक की रकम अघोषित स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में जोड़ दी गई है। आय छिपाने के कारण दाण्डिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

पर्वतीय जिला दार्जिलिंग का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों को छूट

902. **श्री के० बी० चेतरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय जिला दार्जिलिंग का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सरकार ने क्या छूट दी है ;

(ख) क्या कुछ और छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) विदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग में 7 दिन तक की अवधि के लिए ठहरने के लिए उदारतापूर्वक परमिट दिये जाते हैं? परन्तु जो विदेशी पर्यटक बागडोगरा को विमान द्वारा वापसी यात्रा करते हैं, उन्हें 15 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर बिना परमिट के ही दार्जीलिंग शहर तथा इसके आस पास के स्थानों जैसे 'टाइगर हिल' 'लेबांग रेसकोर्स', 'जोर बंगला', 'घूम', 'कुरसींग' शहर आदि घूमने की अनुमति दी जाती है। वे 'संदकफू' तथा 'फलूत' भी जा सकते हैं बशर्ते कि वे इसकी सूचना दार्जीलिंग में स्थित विदेशियों के पंजीकरण कार्यालय को एक दिन पहले दे दें तथा 'संदकफू' तथा 'फलूत' पहुचने पर वहां की 'पुलिस चैक पोस्टों' पर रिपोर्ट करें। 15 से अधिक दिनों के लिए दार्जीलिंग तथा जलदापाड़ा जाने का इरादा रखने वाले प्रामाणिक पर्यटक भी बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में स्थित विदेशियों के पंजीकरण कार्यालयों से आवश्यक परमिट ले सकते हैं।

(ख) फिलहाल कोई और रियायतें सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Contribution of Agricultural Refinance and Development Corporation for Development of Agriculture

903. **Shri Ramanand Tiwari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state how far the Agricultural Refinance and Development Corporation has been contributing or propose to contribute for providing irrigation facilities, particularly the lift irrigation schemes for small farmers of the backward States such as Bihar and the hilly States like Himachal Pradesh ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : As at the end of June 1977, out of the total disbursements of Rs. 815 crores by the Agricultural Refinance and Development Corporation, since its inception from 1st July, 1963, refinance assistance for minor irrigation investments aggregated Rs. 588 crores or 72 per cent of the aggregate. More than 50% have benefited the small farmers.

As on 30th September, 1977, the position of schemes for minor irrigation in Bihar and Himachal Pradesh is as follows :—

(Rs. in lakhs)

State	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Disbursement
Himachal Pradesh	1	20	18	..
Bihar	159	10200	9153	4005

The Agricultural Refinance and Development Corporation programme for lending for minor irrigation purposes in the next three years is also given below :—

(Rs. in lakhs)

(Figures subject to revision)

State	Projected A.R.D.C. disbursements for minor irrigation in		
	1977-78	1978-79	1979-80
Himachal Pradesh	10	15	15
Bihar	2000	2250	2400

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता

904. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की संयुक्त बैठक के बाद उन्हें इन दो संगठनों से निरंतर सहायता का आश्वासन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि का आश्वासन दिया गया है और इसके उपयोग का तरीका क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवतः, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड की अंतरिक समिति की बैठक संयुक्त फंड बैंक विकास समिति और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों का उल्लेख कर रहे हैं जो सितम्बर 1977 में वाशिंगटन में हुई थीं। इन बठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति से संबंधित प्रश्नों, विकासशील देशों को वास्तविक साधन उपलब्ध कराने के सामान्य प्रश्न और इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के बारे में विचार-विमर्श होता है । इसलिए किसी देश विशेष को सहायता देने के प्रश्न पर इन बैठकों में चर्चा नहीं हुई ।

बम्बई स्थित महालेखाकार के कार्यालय से कर्मचारियों का स्थानान्तरण

905. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1976 के अध्यादेश संख्या 1 जारी किए जाने के बात बम्बई स्थित महालेखाकार के कार्यालय से कितने कर्मचारियों को वेतन तथा लेखा कार्यालय, बम्बई में स्थानान्तरित कर दिया गया ;

(ख) क्या इस प्रकार स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों को कोई विकल्प करने को कहा गया था;

(ग) क्या इन स्थानान्तरणों के कारण कर्मचारियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारियों को न्याय देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यह सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी । लेकिन, यह उल्लेख कर दिया जाए कि महालेखाकारों के कार्यालयों से कर्मचारियों का स्थानान्तरण 1976 के अध्यादेश संख्या 2 के उपबंधों के अधीन हुआ न कि 1976 के अध्यादेश संख्या 1 के अधीन,

जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। इस अध्यादेश को संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

(ख) कर्मचारियों का स्थानान्तरण ऊपर (क) में उल्लिखित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई सलाहकार समितियों के परामर्श से किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यद्यपि कर्मचारियों को कोई विकल्प नहीं दिया गया था तथापि उन्हें लेखा पक्ष में उनके स्थानान्तरण संबंधी प्रस्ताव के विरुद्ध अभिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। लेकिन सरकार को अधिकार था कि वह लोकहित में उन मामलों में भी किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण करदे जिनमें भले ही उस कर्मचारी ने इस प्रकार स्थानान्तरण किए जाने की अनिच्छा व्यक्त की हो।

(ग) और (घ) यदि यह संदर्भ किसी महालेखाकार के कार्यालय से मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत वेतन तथा लेखा कार्यालयों को स्थानान्तारित किए गए कर्मचारियों की आपसी वरीयता के संबंध में है तो यह उल्लेख किया जाता है कि वरीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और उसे सभी ग्रेडों में बनाए रखा गया है। तथापि, चूंकि इन कर्मचारियों को विभिन्न महालेखाकारों के कार्यालयों से मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत वेतन तथा लेखा कार्यालयों में स्थानान्तरित किया गया है इसलिए सभी स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक नई संयुक्त वरीयता सूची तैयार की जानी है। इस प्रकार निर्धारित की गई किसी व्यक्ति की वरीयता का विभागीकृत लेखा कार्यालय को उसके स्थानान्तरण से पहले लेखा परीक्षा विभाग में उसकी वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए लेखा परीक्षा विभाग में उसकी वरीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अम्बरनाथ में और इसके आस पास के क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

906. श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ (थाणे जिला) में और इसके आस-पास के क्षेत्र में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 'बम्बई ग्रेड' के अनुसार नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अदा नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अम्बरनाथ में निर्वाह लागत तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वैसा ही है जैसा बम्बई में;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को 'बम्बई ग्रेड' के अनुसार नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अदा किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन मिला है जिसमें अम्बरनाथ के कर्मचारियों के लिए बम्बई शहर के नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की मांग की गई हो; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार जो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए नगरों का वर्गीकरण पिछली दशवर्षीय जनगणना में व्यक्त हुई सम्बन्धित नगरपालिका/शहरी समूह की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और न कि जीवन निर्वाह की लागत अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में। अम्बरनाथ उलहासनगर शहरी समूह की एक संघटक इकाई है जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 4 लाख से कम है और इसलिए वह स्थान वहां पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी

के लिए पात्र नहीं है । इसलिए अम्बरनाथ में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए प्राप्त हुए अभिवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया है ।

इस मामले में केन्द्रीय सरकार अपनी स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करती है और वह इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनायी गयी नीति से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करती है ।

स्वर्ण नियंत्रण नीति

907. **श्री वयालर रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण नियंत्रण नीति में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) सरकार सम्पूर्ण स्वर्ण नीति की समीक्षा कर रही है । समीक्षा के परिणामों के आधार पर जो भी परिवर्तन आवश्यक समझे जायेंगे, कर दिये जायेंगे ।

रत्नागिरि हवाई पट्टी का निर्माण

909. **श्री बापू साहिब परुलेकर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री रत्नागिरि (महाराष्ट्र) से और वहां को विमान सेवा के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से रत्नगिरि में हवाई पट्टी के निर्माण पर आने वाली लागत, निर्माण पूरा होने की तारीख और उसके निर्माण के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है और यह सारा विवरण लोक सभा के सभा पटल पर कब तक रखा जायेगा ;

(ख) कोल्हापुर, रत्नागिरि, नासिक आदि को गैर-अनुसूचित विमान सेवा चलाने के लिए जिस गैर-सरकारी आपरेटर ने परमिट के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था, उसका नाम क्या है और उस आवेदन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या बम्बई, कोल्हापुर, रत्नागिरि, नासिक, पूना और सूरत के बीच विमान सेवा शीघ्र चालू की जायेगी और यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो गैर-सरकारी आपरेटर के आवेदन को मंजूरी न देने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) महाराष्ट्र में रत्नागिरि में हवाई पट्टी के निर्माण की लागत 39,57,000 रुपए है । निर्माण-कार्य 1976 में पूरा हो गया था । यह महाराष्ट्र सरकार के डकोटा विमानों के परिचालन के लिए बनाया गया था । विमानक्षेत्र के निर्माण का प्रयोजन पूरा हो गया है । यह सूचना लोक सभा पटल पर 17 नवम्बर, 1977 को रख दी गयी है ।

(ख) मैसर्स गोल्डन सन एवियेशन, बम्बई को 3 नवम्बर, 1977 को एक अननुसूचित परमिट जारी किया गया है । उन्होंने बताया है कि वे बम्बई-कोल्हापुर-नासिक तथा बम्बई-रत्नागिरि के लिए अननुसूचित/चार्टर सेवाओं का परिचालन करेंगे ।

(ग) मैसर्स गोल्डन सन एवियेशन ने अभी तक यह सूचित नहीं किया है कि वे विमान सेवाएं कब आरम्भ करेंगे । जहां तक पूना का सम्बन्ध है, इण्डियन एयर लाइन्स प्रतिदिन दो सेवाएं परिचालित कर रही है । परन्तु सूरत के लिये परिचालन करने के लिए अभी तक किसी भी अननुसूचित परिचालक ने आवेदन नहीं किया है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को कमीशन का भुगतान

910. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम राज्य सरकारों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के वेतन चिट्ठा व्यवस्था के द्वारा प्राप्त प्रीमियम पर कुछ कमीशन देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह एकमुश्त राशि में होता है अथवा प्रतिशतता के आधार पर होता है;

(ग) जीवन बीमा निगम ने 1975-76 और 1976-77 के दौरान महाराष्ट्र को कितना कमीशन दिया है; और

(घ) जीवन बीमा निगम इस वेतन चिट्ठा योजना के लिए राज्य सरकारों को अन्य क्या सुविधाएं देता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों को प्रीमियमों की वसूल हुई कुल रकम के 1/8 प्रतिशत की दर से कमीशन दी जाती है ।

(ग) कमीशन के रूप में महाराष्ट्र राज्य को 1975-76 के लिए 13,353 रुपए और वर्ष 1976-77 के लिए 11,981 रुपए की रकम वाजिब हुई थी ।

(घ) इस योजना के फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सप्लाई किए जाते हैं ।

महाराष्ट्र में अनुसूचित बैंक

911. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में 1520 गांवों में से कितने गांवों में अनुसूचित बैंक हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि चैक अथवा परची द्वारा पैसे निकालने की नई पद्धति लागू किये जाने के कारण रत्नगिरि जिले के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को भारी कठिनाई हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रत्नगिरि जिले के दुर्गम गांवों में और अधिक बैंक खोलने का है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार रत्नगिरि जिले के सम्बन्ध में चैक अथवा परची द्वारा पैसे निकालने के नियम में ढील देने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सितम्बर, 1977 के अन्त तक रत्नगिरि जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 57 शाखाएं उन ग्रामीण स्थानों में कार्यरत थीं, जहां कि आबादी 10,000 तक है । ये शाखायें केवल उन्हीं स्थानों की ही आवश्यकता की पूर्ति नहीं करतीं जहां ये स्थित हैं, बल्कि अपने कमाण्ड क्षेत्रों के आस-पास की भी आवश्यकतायें पूरी करती हैं ।

(ख) और (ग) : भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई, 1977 से लागू होने वाले निदेश के अनुसरण में, बैंकों से कहा गया था कि वे बचत बैंक खाते पर 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी करें । ये दरें इस बात पर निर्भर होती हैं कि खाता चैक-परिचालित है या नहीं । यदि जमाकर्ताओं को चैक की सुविधा है तो उन्हें 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाता है । यह अन्तर इस बात पर आधारित है कि जमा-राशियां वास्तविक बचतों के रूप में हैं या बैंक खातों में अस्थायी तौर से कुछ समय के लिये रखी गई कारोबारी राशि के रूप में । फिर भी, 5 प्रतिशत

ब्याज दर के बचत खातों से एक सीमित संख्या तक चैकों द्वारा रुपया निकालने की इजाजत देने का प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है ।

वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि वे बैंक रहित ग्रामीण स्थानों में अधिक से अधिक शाखायें खोलें और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय में उनके आवेदन-पत्रों को उदारतापूर्वक स्वीकार किया जाता है । सितम्बर, 1977 के अन्त तक, वाणिज्यिक बैंकों के पास रत्नागिरि जिले में 10 ग्रामीण स्थानों में शाखा खोलने के लिये लाइसेंस थे ।

रुई की रस्सियों का निर्यात

912. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रुई की रस्सियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना था;

(ख) इन निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक निर्यातकर्ता द्वारा कितना निर्यात व्यापार किया गया;

(ग) तमिलनाडु के डीलरों के नाम क्या हैं; और

(घ) ये रस्सियां किन-किन देशों को निर्यात की गईं और इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा भण्डार में कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :
(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूती रस्सियों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुए :—

वर्ष	मात्रा (लाख कि०ग्रा० में)	मूल्य (लाख रु० में)
1974	1.1	17.8
1975	0.6	8.0
1976	1.4	25.1

(ख) सूती रस्सियों के प्रमुख निर्यातक हैं :—

1. फ्रैटर्निटी औरोविले, कोट्टाकुपम;
2. जी० जे० रस्सीवाला रोप फैक्ट्री, बम्बई;
3. एम० एन० नरवेकर एण्ड कं०, बम्बई;
4. नटराज एण्ड कं०, बम्बई;
5. डोसा हरजी, बम्बई;
6. अलीभाई शराफअली रस्सीवाला, बम्बई ।

प्रत्येक द्वारा किए गए व्यापार की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है ।

(ग) तमिलनाडु के निर्यातक का नाम फ्रैटर्निटी ग्रौरोविले, कोट्टाकुपम है ।

(घ) सूती रस्सियों का निर्यात श्रीलंका, तंजानियां, ग्रास्ट्रेलिया, कुवैत, न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन, मलावी, जापान, फिजी द्वीप समूह, मलयेशिया तथा उगांडा को किया जाता है ।

चारकोल ग्रादि का निर्यात

913. **श्री ग्रार० कोलनथाइवेलु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में ग्रौर कितने मूल्य के चारकोल, नारियल छिलका चारकोल तथा उत्प्रेरित नारियल छिलका चारकोल का निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया गया; ग्रौर

(ग) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के निर्यात डीलरों के नाम क्या हैं ग्रौर प्रत्येक द्वारा कितना व्यापार किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में, जिसके ग्राधार पर निर्यात व्यापार ग्रांकड़े दिये जाते हैं, "लकड़ी चारकोल" को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत करके उसको दो वर्गों में रखा गया है :—

(क) नारियल खोल चारकोल;

(ख) ग्रन्य लकड़ी चारकोल ।

निर्यात ग्रांकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(मूल्य लाख रु० में)
(मात्रा मे० टन में)

	1974-75		1975-76		1976-77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लकड़ी चारकोल .	73	0.7	51	0.13	7520	72.2
इसमें नारियल खोल चारकोल .	73	0.7	50	0.12	70	0.3

(ख) फ्रांस, जापान, सिंगापुर, बहरीन द्वीपसमूह, दुबाई, ईराक तथा जर्मन संघीय गणराज्य ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"लो लिफ्ट पम्पों" के फालतू पुर्जों का निर्यात

914. **श्री ग्रार० कोलनथाइवेलु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 'लो लिफ्ट पम्पों' के फालतू पुर्जे कितनी मात्रा में निर्यात किये गये ग्रौर उनका मूल्य क्या था;

(ख) वे किन-किन देशों को निर्यात किये गये; और

(ग) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक निर्यातकर्ता द्वारा कितनी मात्रा में निर्यात-व्यापार किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान लो लिफ्ट पम्पों (सेन्ट्रीफ्यूगल) के फालतू पुर्जों के निर्यातों का मूल्य इस प्रकार है :--

(मूल्य रु० में)

	1974-75	1975-76	1976-77
	10,78,132	1,15,31,666	48,21,773

(ख) मुख्य आयातक देश हैं: बंगलादेश, बर्मा, मलयेशिया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाइलैण्ड, अफगानिस्तान, बहरीन, ईरान, ईराक, कुवैत, ओमान, साऊदी अरब, सं० अरब, अमीरात, कीनिया, नाइजीरिया, जर्मन संघीय लोकतंत्रीय गणराज्य, ब्रिटेन तथा यूगोस्लाविया ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वापक पदार्थ आयुक्त के मुख्य कार्यालय का ग्वालियर से नीमच को स्थानान्तरण

915. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1977 के 'नयी दुनिया' नामक पत्र में स्वापक पदार्थ आयुक्त के मुख्य कार्यालय का ग्वालियर से नीमच को स्थानांतरण के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस मुख्य कार्यालय के स्थानान्तरण के बारे में निर्णय लिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय किन कारणों से लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) नारकोटिक्स आयुक्त के प्रधान कार्यालय को ग्वालियर से अन्यंत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जन उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन

916. **श्रीमाधवराव सिंधिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय जन उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु कोई विशेष नीति बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए निर्धारित लक्ष का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) इस समय, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ग्राम खपत की वस्तुओं के उत्पादन के लिये कोई विशिष्ट नीति तैयार नहीं कर रहा है ;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ;

भारत और मिस्र के बीच व्यापार

917. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्णतया मुक्त विदेशी मुद्रा के भुगतान के आधार पर भारत और मिस्र के बीच व्यापार के मामले में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि का अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस व्यापार में कुल कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि मिस्र के साथ भारत का व्यापार अब पूर्णतया मुक्त विदेशी मुद्रा के भुगतान के आधार पर होगा।

(ख) तथा (ग) जबकि व्यापार के भावी स्तर का कोई ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, ऐसी आशा है कि आने वाले वर्षों में मिस्र के साथ व्यापार में वृद्धि होगी।

Building for Tourist Information Office, Patna

918. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Tourist Information Office, Patna in Bihar has been functioning in a small building for many years;

(b) whether Government propose to construct a big and attractive building in Patna to house the said office;

(c) whether a plot for the said building was also purchased years back; and

(d) if so, whether Government propose to start construction work on the said plot in the near future and if so, the time by which the building will be ready for housing the said office and for other purposes ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Since the Tourist Information Office at Patna is being run by the Government of Bihar, the Central Department of Tourism has no jurisdiction over this office, nor has it got any knowledge of the size of the area occupied by it.

(b), (c) & (d) Do not arise.

इंडियन एयरलाइंस की उड़ान का बरास्ता कारनीकोबर मद्रास तक बढ़ाया जाना

919. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 285 का बरास्ता कारनीकोबर-मद्रास तक बढ़ाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) कलकत्ता तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच की विमान सेवा, जिसे पहले रंगून के मार्ग से वाइकाउंट विमान से परिचालित किया जा रहा था ; अब अगस्त, 1977 से बोइंग 737 विमान से सीधे परिचालित की जा रही है । परन्तु यातायात आशा के अनुकूल नहीं है । इंडियन एयरलाइंस के पास नये स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने या अतिरिक्त सेवाओं के लिए विमानों की बहुत कमी है । मेनलैंड तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच यातायात (लोड) की वृद्धि पर निगरानी रखी जा रही है तथा मद्रास से विमान सेवा चलाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब यातायात स्थिति इसका औचित्य सिद्ध करेगी ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी

920. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर के महीने में संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में खाद्य तेलों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने ऐसी वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को अक्तूबर मास में उपभोज्य वस्तुओं की भारी कमी होने की कोई सूचना नहीं दी है । तथापि, उन्होंने अब कहा है कि अक्तूबर में संघ शासित क्षेत्र में श्रमिकों की हड़ताल और मद्रास में भारी वर्षा होने के कारण वहां के बन्दरगाह से समय पर उपभोज्य वस्तुओं का लदान नहीं किये जा सकने से खाद्य तेलों तथा दालों की कुछ कमी हुई थी । देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता पर सतत निगरानी रखी जाती है और जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है ।

वन्य पशुओं की खाल की तस्करी

921. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री खालों में अवैध व्यापार के बारे में 30 अगस्त, 1976 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फ्रांस का जनरल मैनेजर, पालम हवाई अड्डे पर नियुक्त एयर फ्रांस का एयर-पोर्ट मैनेजर और एयर फ्रांस के मुख्य कार्यालय में नियुक्त असिस्टेंट मैनेजर (जनरल) मिलकर एयर फ्रांस की उड़ानों से वन्य पशुओं की खालों का तस्कर व्यापार कर रहे हैं ;

(ख) क्या एयर फ्रांस का जनरल मैनेजर सितम्बर, 1977 में बैंकाक जाते समय एयर फ्रांस के विमान में 'रश टेग' माल के नाम से इन खालों को चोरी छिपे यहां से बाहर ले गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या इस मामले की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

गत छह महीनों के दौरान पकड़ा गया काला धन

922. **श्री डी० अमात** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान कितना काला धन पकड़ा गया तथा किस क्षेत्र तथा राज्य से पकड़ा गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आय-कर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी लेने और माल पकड़ने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में आंकड़े आय-कर आयुक्त के क्षेत्राधिकार-वार रखे जाते है । एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, मई-अक्तूबर 1977 की अवधि में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य आय-कर आयुक्त के क्षेत्राधिकार-वार बताया गया है।

(ख) और (ग) जिस व्यक्ति के परिसरों में माल पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । तलाशी के बाद, जिसमें मूल्यवान् परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती है, सबसे पहला काम अघोषित आय का सरसरी तौर पर निर्धारण करने और पकड़ी गई परिसम्पत्तियों के उतने भाग को रोक रखने के लिए, जितना अनुमानित अघोषित आय पर ब्याज एवं दण्ड सहित कर की कुल देनदारी तथा विभिन्न प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत किसी भी मौजूदा देनदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाय, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी किया जाता है । उसके बाद, नियमित कर-निर्धारणों का काम हाथ में लिया जाता है और कानून में यथा अपेक्षित कार्यवाही की जाती है जिसमें अर्थ-दण्ड लगाना तथा जहां कहीं अपेक्षित हो, इस्तगासे की कार्यवाही शुरू करना भी शामिल है ।

विवरण-पत्र

क्रम सं०	क्षेत्राधिकार	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
1.	बिहार	5.85
2.	बम्बई नगर (बम्बई सैण्ट्रल सहित)	7.62
3.	दिल्ली (दिल्ली सैण्ट्रल सहित)	46.73
4.	इलाहाबाद	3.81
5.	मध्य प्रदेश	7.09
6.	पूणे	4.70
7.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सैण्ट्रल सहित)	7.57
8.	तमिल नाडु (मद्रास सैण्ट्रल सहित)	20.78
9.	जालन्धर	1.72
10.	केरल	11.97
11.	पटियाला	7.34
12.	मेरठ	2.21
13.	गुजरात	4.40
14.	अमृतसर	1.69
15.	आंध्र प्रदेश	2.00
		135.48

देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा कार्यालय

923. **श्री राघवजी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने शाखा-कार्यालय हैं और वर्ष 1975-76 और 1976-77 में प्रत्येक बैंक ने कितना लाभ कमाया है ;

(ख) इन बैंकों में कितनी पूंजी लगी हैं ;

(ग) इन बैंकों की पूरे देश में कुल कितनी शाखाएं हैं और इनमें से कितनी शाखाएं ऐसे गांवों में हैं जिनकी जनसंख्या पांच हजार से कम है ; और

(घ) क्या सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को ऐसे अनुदेश दिये हैं कि 1976-77 में सामाज के दुर्बल वर्ग को आसान शर्तों पर ऋण दिया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) इस समय देश में 14 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं । इन बैंकों का वर्ष 1975 और 1976 का प्रकाशित शुद्ध लाभ और 31 दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों में निवेश की गई पूंजी निम्नलिखित हैं :—

(राशि लाख रुपयों में)

बैंक का नाम	प्रकाशित शुद्ध लाभ 1975	प्रकाशित शुद्ध लाभ 1976	31-12-1976 की स्थिति के अनुसार चुकता पूंजी (केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)
1. इलाहाबाद बैंक . . .	80	90	105
2. बैंक आफ बड़ौदा . . .	290	325	250
3. बैंक आफ इंडिया . .	320	325	405
4. बैंक आफ महाराष्ट्र . . .	18	23	149
5. केनरा बैंक . . .	194	233	175
6. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया . . .	130	140	475
7. देना बैंक	60	68	125
8. इंडियन बैंक	124	229	300
9. इंडियन ओवरसीज बैंक . . .	163	307	400
10. पंजाब नेशनल बैंक . . .	316	340	200
11. सिडीकेट बैंक . . .	155	183	142
12. यूनियन बैंक आफ इंडिया . .	140	147	125
13. यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया .	129	114	269
14. यूनाइटिड कमर्शियल बैंक . . .	205	210	500

(ग) सितम्बर, 1977 के अन्त तक देश में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 12843 शाखायें कार्यरत थीं । इनमें से 4705 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थीं (अर्थात् 10,000 तक जनसंख्या वाले स्थान) इन कार्यालयों से आशा की जाती है कि वे केवल उन ग्रामों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति न करें जहां वे स्थित हैं अपितु अपने कमांड के अन्य ग्रामों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें ।

5000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में कार्यरत शाखाओं की संख्या के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है ।

(घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे उपेक्षित क्षेत्रों विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्त्ताओं को अपने ऋणों की गति में वृद्धि करें ताकि उनके कुल ऋणों का कम से कम एक तिहाई भाग उपेक्षित क्षेत्रों में हो जाए और मार्च, 1979 तक ग्रामीण और शहरी शाखाओं का अलग से ऋण : जमा अनुपात कम से कम 60 प्रतिशत तक हो जाए । विभेदी ब्याज दर योजना को मई, 1977 में बढ़ाकर सारे देश के लिये लागू कर दिया गया है । रिजर्व बैंक ने 27 मई. 1977 के अपने ऋण नीति परिपत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि अलग-अलग बैंकों के स्तर पर ऋण योजना, ऋण प्रसार का एक ऐसा मापदंड स्थापित कर सके जो राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अधिकाधिक अनुरूप हो । यह भी विशेषरूप से बताया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण आवंटन के सभी प्रयास करने आवश्यक हैं । ऐसा करने में, बैंकों से कहा गया है कि उन्हें समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहियें ताकि यह सुनिश्चित हो सके जो जनसंख्या निर्धनता की सीमा से भी नीचे है उसे वास्तविक रूप से लाभ मिले ।

Bonus for employees working in I.T.D.C. Hotels

924. **Shri Natwarlal B. Parmar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of bonus declared for the employees working in the various hotels run by the India Tourism Development Corporation; and

(b) the number of employees likely to be benefited as a result thereof ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) In accordance with the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 as amended by the Payment of Bonus (Amendment) Act, 1976, read with the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1977, promulgated on 3rd Sept., 1977, the bonus declared for the year 1976-77 to the eligible employees working in the various hotels of ITDC is as under :—

Sl. No.	Name of the Hotel Unit	No. of employees	%age of Bonus	Provision for Bonus for 76-77
				(Rs. lakhs)
1.	Ashoka Hotel, New Delhi	1831	20	14.57
2.	Hotel Janpath, New Delhi	681	20	5.70
3.	Akbar Hotel, New Delhi	541	20	4.00
4.	Lodhi Hotel, New Delhi	357	20	2.61
5.	Hotel Ranjit, New Delhi	293	8.33	1.15
6.	Hotel Ashoka, Bangalore	351	8.33	1.30
7.	Kovalam Palace Hotel (Halcyon Castle)	6	8.33	0.02
8.	Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur	40	8.33	0.14
9.	Khajuraho Hotel, Khajuraho	46	8.33	0.14
	TOTAL	4146		29.63

The employees of remaining Hotel Units viz. Airport Hotel, Calcutta, Hotel Pataliputra, Patna, Kovalam Hotel, Qutab Hotel, New Delhi, Varanasi Hotel, Aurangabad Hotel and Lalitha Mahal Palace Hotel, Mysore are not eligible for Bonus, according to Bonus Act, as these units are still in the infancy period and have not earned profits during the year.

सरसों के तेल की आवश्यकता

925. **श्री राज केशर सिंह : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरसों के तेल की मांग इसके उत्पादन से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस कमी को किस प्रकार दूर करने और सरसों के तेल के मूल्यों को कम करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) देश में खाद्य तिलहनों/तेलों, जिसमें सरसों/सरसों के तेल भी शामिल हैं, की उपज बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों ही तरह के उपाय किए जा रहे हैं । राज्य सरकारों की मांग के अनुसार परिष्कृत रेपसीड तेल—जोकि सरसों के तेल का अच्छा बदल है—की पूर्ति के लिए प्रबंध किये गये हैं । परिष्कृत रेपसीड तेल का अन्तिम खुदरा मूल्य 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होता है तथा यह उपभोक्ताओं को लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध किया जायेगा । केन्द्रीय सरकार ने ये आदेश भी जारी किये हैं—दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य तेलों की स्टाक सीमा निर्धारित की गई है और सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 जिसमें सरसों के तेल का अन्तिम खुदरा मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जिसमें डिब्बे की कीमत शामिल नहीं है, किन्तु कर शामिल हैं ; इन आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है, जिसके फैसले की प्रतीक्षा है ।

लाख बीज (लेक सीड) का स्टाक

926. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास लाख बीज (लैक सीड) का भारी स्टाक जमा हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) राज्य व्यापार निगम के पास 5 नवम्बर, 1977 को स्टाक में 5,327 मे० टन लाख दाना था ।

(ख) कच्ची लाख उपजकर्ताओं के लिये उचित कीमतें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम राज्य सरकार के अभिकरणों की मार्फत लाख दाना प्राप्त कर रहा है । राज्य व्यापार निगम के समीकरण भण्डार से लाख दाने का निपटान उतनी गति से नहीं हो रहा है जितनी कि आशा थी क्योंकि चपड़ा/लाख दाने का निर्यात लक्ष्य से कम है ।

दाल, आलू, प्याज और तिलहनों की कीमतें

927. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों, आलू, प्याज, तिलहनों आदि की कीमतों को गेहूं, चना आदि के अनुसार एक स्थाई आधार पर निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे किसानों को एक तय मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और उपभोक्ताओं के हितों की भी सुरक्षा हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) मूंगफली, सूर्यमुखी बीज, सोयाबीन और चने के लिए समर्थन मूल्य नियत किये जा चुके हैं । शेष तिलहनों और दालों, प्याज तथा आलू के बारे में इस समय नियमित आधार पर समर्थन मूल्य नियत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, इन वस्तुओं के मूल्यों पर बराबर निगरानी रखी जाती है और जब कभी भी इनके मूल्यों के लाभकर स्तर से नीचे गिरने की संभावना होगी तो सार्वजनिक/सहकारी अभिकरणों के माध्यम से खरीदारी की जायेगी। जब कभी खाद्य तेल, दालें, आलू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाते हैं, उनके खुदरा मूल्य नियत करते समय उपभोक्ता के हित को भी ध्यान में रखा जाता है ।

Cultivation of Tobacco in Saurashtra

928. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the farmers of Saurashtra Pradesh in Gujarat are not allowed to cultivate tobacco;

(b) the policy of the Central Government in this regard;

(c) the authorities which can accord permission to the farmers of Saurashtra to cultivate tobacco; and

(d) the area under cultivation of tobacco in the districts of Junagadh, Jamnagar, Rajkot, Amroli, Bhavnagar, Surendranagar of Saurashtra during the last three years, yearwise ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a), (b) & (c) No restriction has been imposed regarding cultivation of tobacco in Saurashtra. However, in accordance with rule 15 of the Central Excise Rules, 1944, every grower of tobacco is required to make a true declaration in the proper form in respect of all land upon which tobacco is to be grown, and deliver the same to the proper Central Excise Officer. The policy of the Government at present is to allow cultivation of tobacco so long as the requirements under the law are complied with.

(d) The position is being ascertained and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

पंजाब डेरी विकास निगम के गोदामों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा छापे

929. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब डेरी विकास निगम के गोदामों में चेयरमैन, श्री एच० ओ० दिलावरी द्वारा छिपाये गये 25 लाख रुपये के माल को सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे के दौरान बरामद किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) डेयरी उपकरण, फार्म मशीनरी, प्रशीतक, मोटर के फालतू पुर्जे और कुछ उपभोज्य वस्तुएं, जिनका कुल मूल्य 21,85,584 रुपये है, पंजाब डेयरी विकास निगम, लुधियाना और चंडीगढ़ के गोदामों से इस युक्तियुक्त विश्वास के साथ पकड़ी गयी थीं कि आयात के रुपये उसकी गलत घोषणा और न्यून मूल्यांकन किया गया था और उनकी निकासी के लिये जो सीमाशुल्क निकासी परमिट पेश किया गया था उसके अन्तर्गत भी ये पूर्णतः नहीं आती थीं।

(ख) सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई ने आपत्तिजनक माल को जब्त किया है। लेकिन, 14,22,903 रुपये मूल्य के माल के संबंध में, आयातकार्त्ताओं को 5,85,000 रुपये के जुर्माने की अदायगी करने पर माल छुड़ाने का विकल्प दिया गया है। श्री हरी ओम दिलावरी और पंजाब डेयरी विकास निगम पर, व्यक्तिगत जुर्माने संबंधी कार्यवाही की जा रही है और उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का रुख

930. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का रुख क्या है और सरकार विभिन्न करारों के अधीन विभिन्न देशों को किन दरों पर चीनी का निर्यात कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : नवम्बर–दिसम्बर 1974 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें गिरती रही हैं। वर्ष 1974 के दौरान 304.9 प्रति लांग मे० टन (पी एल टी) 304.9 पौंड स्टर्लिंग वार्षिक औसत लन्दन कीमत (एल डी पी) के आधार पर 1975, 1976 तथा 1977 (अक्तूबर तक) के दौरान औसत एल डी पी क्रमशः 216, 153.9 तथा 117.8 रही।

भारत सीधे करार के अन्तर्गत केवल यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चीनी निर्यात करता है। भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय चीनी करार के अन्तर्गत चीनी की कीमतें सामान्यतः प्रचलित बाजार कीमतों की अपेक्षा अधिक रहती हैं। 1974-75 कोटा के आधार पर किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में प्राप्त की गई कीमतें 260 पौंड स्टर्लिंग प्रति लांग मे० टन थीं, 1975-76 के लिए 147.39 पौंड स्टर्लिंग तथा 1976-77 के लिए 157.18 पी ए टी पौंड स्टर्लिंग थीं। 1977-78 के लिए कीमत अनन्तिम रूप से 165.43 पी एल टी पौंड स्टर्लिंग निर्धारित की गई है। हमने ईरान के साथ 120000 मे० टन चीनी सप्लाई करने के लिए एक करार किया था लेकिन अब तक कोई निर्यात नहीं किए गए हैं।

औषध निर्माता फर्मों द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग

931. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औषध निर्माता फर्मों पर कच्चा माल आयात करने हेतु अपने लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषध फर्मों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) जी हां । औषधि बनाने वाली कई फर्मों तथा व्यक्तियों पर, जो मालिकों/साझीदारों के रूप में काम कर रहे हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच के परिणाम के आधार पर कच्चा माल आयात करने के अपने लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है ।

(ख) इन मामलों में अंतर्ग्रस्त फर्मों तथा व्यक्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है । जिन फर्मों/व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है उन्हें अब कोई आयात सुविधा नहीं दी जाती है । मुकदमे के परिणाम का पता लगने के बाद ही आगे की कार्यवाही के बारे में विचार किया जा सकता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 1120/77]

Proposal to enact legislation to deal with Hoarders and Traders

932. **Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact legislation to deal with the hoarders and traders who are deliberately keeping the prices of foodstuffs high; and

(b) if so, the time by which such legislation is likely to be enacted?

Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a) & (b) The State Governments are already equipped with adequate authority to make use of the provisions of the Essential Commodities Act to curb unfair and unethical trade practices. Stricter enforcement of the provisions of the Essential Commodities Act, the Prevention of Food Adulteration Act and Display of Prices and Stocks Orders should go a long way in achieving adequate availability of essential articles at reasonable prices to consumers. The State Governments have been urged to make maximum use of these pieces of legislations.

वातानुकलन और प्रशीतन उपकरणों पर कर में कमी

933. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशीतन यूनिटों ने देश में उत्पादित वातानुकूलन और प्रशीतन उपकरणों पर कर में भारी कमी करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां- तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

इंटरनेशनल बिजनेस मशींस द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत ईक्विटी कम करना

934. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल बिजनेस मशींस (आई० बी० एम०) ने जो अमरीका में स्थापित शत प्रतिशत विदेशी कम्पनी है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार अपनी ईक्विटी को कम करना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि यह कम्पनी भारत में अपना व्यापार समाप्त कर दे तो प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि विदेश भेजी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) आई० बी० एम० ने रिजर्व बैंक को अपने 7 नवम्बर 1977 के पत्र में यह सूचित किया है कि अपनी ईक्विटी कम करना उनके लिए अव्यावहारिक होगा और इसलिए वे भारत में चालू अपने कार्यकलापों को कई चरणों में विभाजित करके बाहर ले जाएंगे।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) इसका पता तो तभी चलेगा जब आई० बी० एम० के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

Raid on Traders Premises in Delhi

935. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have raided the premises of traders in Delhi in the last two months under Essential Commodities Act; and

(b) if so, the number of traders arrested in this matter and the action being taken by Government against them ?

Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a) During September and October, 1977, some raids were conducted by the Delhi Administration under the Essential Commodities Act.

(b) As reported by the Delhi Administration 83 persons were arrested. Five cases are reported to have been challanned and the other cases are under investigation.

स्वर्णकार संगठन, महाराष्ट्र की ओर से ज्ञापन

937. **श्री गंगाधर अप्पा बूराडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णकार संगठन, महाराष्ट्र प्रदेश (सुवर्नकार संघ) द्वारा प्रधान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 20 जुलाई, 1977 का ज्ञापन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री को भेजा गया महाराष्ट्र प्रदेश स्वर्णकार संघ का दिनांक 20-7-1977 का ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस मंत्रालय को भेजा गया था। ज्ञापन में, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के, स्वर्णकारों से सम्बन्धित उपबन्धों को उदार बनाने के लिए कुछ मांगें निहित हैं और उसमें यह दलील भी दी गयी है कि स्वर्णकारों को रोजगार में रियायत देने तथा उन को मंजूर किये गये पुनर्वास ऋणों को माफ करने जैसे राहत उपाय भी किये जायें। अभ्यावेदन में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन करने से सम्बन्धित कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

खाण्डसारी पर लगाया गया उत्पादन शुल्क

938. **श्री गंगाधर अप्पा बूराडे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1975 से खाण्डसारी पर कितना उत्पादन शुल्क लगाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : खाण्डसारी चीनी पर लागू केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की दर मूल्यानुसार 17½ प्रतिशत है (केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत मूल उत्पादनशुल्क और अतिरिक्त उत्पादनशुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत 2½ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क) । ये दरें 1-3-1970 से लागू रही हैं ।

निर्माताओं को निश्चित शुल्क के आधार पर भी शुल्क अदा करने की छूट दी गई है । लगाये गए अपकेन्द्र के आकार तथा क्या सल्फिटेशन संयन्त्र इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं, इन दोनों के आधार पर, 1-3-1975 और 30-4-1975 को पिछली बार संशोधित निश्चित शुल्क का साप्ताहिक दरें संलग्न विवरण पत्र में दी गई हैं ।

सल्फिटेशन संयंत्र की मदद से काम कर रहे एककों के लिए निश्चित शुल्क की साप्ताहिक दरें

अपकेन्द्र का आकार					
ऊंचाई		व्यास		लागू होने की तारीख	
से अधिक से० मी०	से अधिक नहीं से० मी०	से अधिक से० मी०	से अधिक नहीं से० मी०	1-3-1975	30-4-1975
				रु०	रु०
--	22.9	--	45.7	1760/-	4400/-
22.9	30.5	45.7	61.0	2360/-	5900/-
30.5	45.7	61.0	76.2	3440/-	8600/-
अन्यथा अविनिर्दिष्ट				4560/-	11400/-

सल्फिटेशन संयंत्र की मदद के बिना काम कर रहे एककों के लिए निश्चित शुल्क की साप्ताहिक दरें ।

..	22.9	..	45.7	1180/-	2360/-
22.9	30.5	45.7	61.0	1560/-	3120/-
30.5	45.7	61.0	76.2	2320/-	4640/-
अन्यथा अविनिर्दिष्ट				3040/-	6080/-

निश्चित शुल्क पद्धति 1-3-75 से 30-4-75 तक स्थगित रही ।

दर्शायी गई दरें समेकित दरें हैं अर्थात् केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत मूल शुल्क और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क ।

केन्द्र-राज्य वित्तीय और आर्थिक संबंधों का पुनरीक्षण

941. **श्री एम० एल० गोविन्दन नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा इस बात पर व्यक्त खेद की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना अनवरत योजनाएं लागू करना और धान लाने ले जाने पर अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्धों को हटाना जैसे कई निर्णय कर रही है;

(ख) क्या केन्द्र राज्य वित्तीय और आर्थिक संबंधों के अविलम्ब पुनरीक्षण की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टों को देखा है।

(ख) और (ग) केन्द्र-राज्य के वित्तीय तथा आर्थिक संबंध संविधान के सम्बद्ध उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यदि समक्ष सद्भावना और सहयोग की भावना से काम लिया जाए तो केन्द्र-राज्य के वित्तीय और आर्थिक संबंधों में समय-समय पर उठने वाली समस्याओं का इन उपबन्धों को रूपरेखा के अन्दर ही संतोषजनक उत्तर पाना संभव है।

मजूरी, आय और मूल्य नीति के बारे में समिति के गठन के सम्बन्ध में श्रमिक संघों के साथ परामर्श

942. **श्री समर मुखर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी, आय और मूल्य-नीति सम्बन्धी समिति के गठन से पूर्व सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संघों से परामर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या परामर्श किया; और

(ग) यदि नहीं, तो श्रमिक संघों से परामर्श न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य, वेतन, आय और मूल्य विषयक उस अध्ययन दल का जिक्र कर रहे हैं, जिसे सरकार ने अक्तूबर, 1977 में स्थापित किया है। अध्ययन दल का गठन करने के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियन या अन्य किसी बाहरी संगठन की सलाह लेना आवश्यक नहीं समझा गया था।

देश में कराधान प्रणाली

943. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :**
श्री अनन्त दवे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने देश में कराधान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी,

(ख) क्या अध्ययन दल ने मूल्य के आधार पर लगाये जाने वाले कर की प्रणाली का सुझाव दिया था जो जर्मनी और अन्य अनेक यूरोपीय तथा दक्षिण अमरीकी देशों में प्रचलित हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) मूल्य सम्मिलित कर पर अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति को अपने उत्तर के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने कुछ पश्चिमी देशों में मूल्य सम्मिलित कर की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक दल प्रतिनियुक्त किया था जिससे इसे भारत में लागू करने के लिए इसकी उपयुक्तता का पता लगाया जा सके। उस दल ने भारत में मूल्य सम्मिलित कर प्रणाली को अंगीकार करने का सुझाव दिया है।

(ग) मामले का इस समय अध्ययन किया जा रहा है। सरकार अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की रिपोर्ट के भाग II के प्राप्त होने की भी प्रतीक्षा कर रही है इसलिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ दल की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया और इस मामले में किये जाने वाले संभावित निर्णयों के सम्बन्ध में संकेत देना बहुत जल्दी होगा।

भारत-नेपाल और भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी

944. श्री शंकर सिंह जी वाघेला :
श्री पी० के० कोडियन :
श्री कचरू लाल हेमराज जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1977 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चालू वर्ष में भारत-नेपाल और भारत-बंगला देश सीमा पर तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। परन्तु, सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी में कोई वृद्धि हुई है। हालांकि भारत-नेपाल सीमा सुगमता से पार किये जाने योग्य क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन चालू वर्ष में इस सीमा के आर-पार तस्करी में कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी, इस स्थिति से निपटने के लिए, भारत-नेपाल सीमा पर निवारक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है और उनकी अधिक प्रभावी ढंग से इधर-उधर तैनाती की गई है। सीमा के नजदीक नई निवारक जांच-चौकियां बनाई गई हैं। समस्त सीमावर्ती क्षेत्र के लिए बेतार संचार का जाल बिछाने की मंजूरी दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त, इन सीमाओं पर, सुगमता से पार किये जा सकने योग्य भू-मार्गों पर गश्त लगाने और अधिक सतर्कता बरतने जैसे नियमित तस्करी विरोधी उपायों को भी सुदृढ़ किया गया है।

Non-acceptance of currency notes by Jaunpur Branch of State Bank

945. **Shri Yadvendra Dutt** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the branch of Jaunpur State Bank had stopped accepting currency notes in the denominations of rupee one to five in August, 1977; and

(b) if so, the reasons therefor and whether besides the daily difficulties to the people and traders it had affected the credibility of currency ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) The State Bank of India had reported that at no stage acceptance of small denomination currency notes from the public was refused by its Jaunpur Branch. However, during the period 8th July to 2nd August, 1977 some restrictions on acceptance of small denomination currency notes of Re. 1 to Rs. 5 from local banks alone had to be put because of extreme congestion on the holding capacity of the currency chest of the Jaunpur Branch of State Bank of India. With the despatch of remittance from the branch to another branch on 3rd August, 1977 the aforesaid restrictions were removed. There is no question of the credibility of currency having been affected.

Seizure of ornaments from President and Chairman of J.K. Synthetics Ltd.

946. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether on 6th October, 1976 customs authorities had seized ornaments worth Rs. 10 lakhs from Shri Sita Ram Singhania and Gopal Krishna Singhania, President and Chairman of J.K. Synthetics Ltd., when they had gone to Mauritius by Air India plane;

(b) whether just after this news, Customs and Tax Officers had conducted raids on their houses; and

(c) if so, the value of the foreign goods seized as also the action taken by Government against them indicating the brief details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) According to information only Shri Sitaram Singhania was tried by a Mauritius Court for smuggling Jewellery worth over Mauritius Rs. 11 lakhs when he had gone to Mauritius by Air India flight No. 711 from Bombay on 8-10-76; the case resulted in his acquittal on 11-2-77 and the goods which were disclaimed were confiscated by the Mauritius Customs.

(b) No raids were conducted on the houses of S/Shri Sita Ram Singhania and Gopal Krishna Singhania although independently of the case cited above the houses of their respective fathers had been searched in November, 1976.

(c) Does not arise in view of (b) above.

U.S. Aircraft forced to land at Bapatpur

947. **Shri Yadvendra Dutt :**

Shri Ram Naresh Kushwaha :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a U.S. aircraft was forced to land at Bapatpur airfield on 10th September, 1977 for violating the flight regulations;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the punishment awarded to the offenders for violating orders ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir. A private American Registered Beech Type B-33 aircraft was asked to land at Varanasi (Bapatpur) aerodrome, on 9th September 1977. The aircraft landed there at 1532 IST on 9th September, 1977.

(b) The aircraft entered Indian air space without authorisation, and disregarded instructions issued by Delhi Area Control to route *via* Nuh and Aligarh.

(c) The matter is under consideration.

भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा ओवर-ड्राफ्ट लेना

948. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1977 के अन्त तक भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी और किन-किन राज्य सरकारों ने ओवर-ड्राफ्ट के रूप में धनराशि ली थी; और

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वे अपनी वित्त व्यवस्था की इस प्रकार योजना बनाएं कि इस प्रकार के उपाय से बचा जा सके?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 28 जून, 1977 को भारतीय रिजर्व बैंक से दस राज्यों अर्थात् बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ओवरड्राफ्ट के रूप में राशि ली हुई थी। इन ओवरड्राफ्टों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों और अदायगी की निर्धारित तारीख से पहले, केन्द्रीय करों का हिस्सा, राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा सहायक अनुदानों को देकर निपटा दिया गया था।

(ख) जी, हां।

बोनस के लिए इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

949. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने 20 प्रतिशत बोनस की अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल की है; और

(ख) यदि हां, तो मामले के पूर्ण तथ्य क्या हैं और क्या सरकार ने उनकी मांग पर कोई निर्णय लिया है, यदि हां, तो क्या?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 22 सितम्बर, से 2 नवम्बर, 1977 तक इंडियन एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों ने, जिनका प्रतिनिधित्व "एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज यूनियन" तथा "इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसियशन" करते हैं, कुछ आंदोलनकारी कार्य आरंभ कर दिये, जिनमें कुछेक कार्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत गैर-कानूनी हड़ताल के रूप में थे।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स एक गैर-प्रतियोगी (Non-competitive) उद्यम होने के कारण "पेमेंट आफ बोनस एक्ट, 1965" के अन्तर्गत नहीं आती है। तथापि, अधिनियम के उपबन्धों को भारत सरकार के विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत 'एक्स ग्रेशिया' आधार पर इण्डियन एयरलाइंस पर लागू कर दिया जाता है। अनुग्रहपूर्वक अदायगी का निर्धारण "पेमेंट आफ बोनस (अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स, 1977" द्वारा यथा संशोधित "पेमेंट आफ बोनस एक्ट" के उपबन्धों के अनुसार संगणित 'एल्लोकेबल सर्प्लस' द्वारा किया जाता है। 1976–77 के लाभ तथा हानि के लेखे के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स ने 20.73 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। परन्तु वर्ष के दौरान लिए गए तीन एयरबस विमानों तथा सहायक पुर्जों से संबधित मूल्यह्रास तथा विनियोजन भत्तों के समंजन के पश्चात् कोई "एल्लोकेबल सर्प्लस" नहीं रहा था। इन परिस्थितियों में, इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ज्ञापन संख्या 2(53)/77–बी०पी० (जी०एम०–1), दिनांक 12-9-1977 में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 8.33 प्रतिशत की दर से एक्स ग्रेशिया के पात्र हो गए तथा इस संबंध में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 14 सितम्बर, 1977 को अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे। उपर्युक्त स्थिति से संतुष्ट न होने के कारण, एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज यूनियन तथा इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसिएशन ने 22-9-1977 से मुख्यतः बम्बई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में आंदोलन आरंभ कर दिया।

इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक वर्ग ने एक परिपत्र निकाल कर उनको स्थिति से अवगत कराया तथा कुछ मीटिंगों में भी मामले पर विचार-विमर्श किया। इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप, यह सहमति हुई कि उत्पादकता से सम्बद्ध फार्मूले के सम्बन्ध में यूनियन के विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाईज यूनियन/इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों तथा प्रबंधकवर्ग के बीच नवम्बर, 1977 के दूसरे सप्ताह में एक संयुक्त बैठक होगी। एक संयुक्त बैठक पहले ही हो चुकी है तथा और आगे बातचीत आगे होगी। इस बीच, यूनियनें 8.33 प्रतिशत की दर से एक्स ग्रेशिया की अदायगी को स्वीकार करने पर सहमत हो गयी हैं तथा 3 नवम्बर, 1977 से हड़ताल समाप्त कर दी गयी है।

समुद्री उत्पादों, चमड़े, इमारती लकड़ी आदि के निर्यात से मजदूरों को लाभ

950. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने समुद्री उत्पादों, चमड़ा, चमड़े की वस्तुओं, इमारती लकड़ी, वन उत्पादों, हस्तशिल्प वस्तुओं आदि के निर्यात से मजदूरों तथा ऐसे ही अन्य वर्गों को होने वाले लाभ का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) क्या ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर कुछ उपकर लगाना और ऐसे मजदूरों के लिए कल्याण निधि स्थापित करना मंत्रालय के लिए सम्भव होगा, यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि की स्थापना हेतु इन वस्तुओं के निर्यात पर कोई उपकर लगाने की इस समय कोई भी प्रस्थापना नहीं है।

अशोधित खाद्य तेल का आयात

951. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित खाद्य तेल का बड़ी मात्रा में आयात किया गया है, यदि हां, तो साफ करने के लिए इसे राज्यवार किस प्रकार वितरित किया गया था;

(ख) पार्टियों के नामों सहित इनकी बिक्री के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी अनेक पार्टियों के पास शोधन क्षमता नहीं थी और उन्होंने इस तेल को पैकर कर उपभोक्ताओं को बेच दिया और अनुचित रूप से भारी लाभ कमाया;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) खाद्य तेल की कमी को दूर करने के लिए सरकार की खाद्य तेल संबंधी भावी नीति क्या है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने नवम्बर, 1976 से अक्तूबर, 1977 के तेल वर्ष के दौरान अब तक लगभग 98,000 मीटरी टन रेपसीड तेल आयात किया है। राज्य सरकारों को रेपसीड तेल उनकी मांग के अनुसार आबंटित किया जाता है; जो कच्चे रेपसीड तेल को परिष्कृत कराने की व्यवस्था स्वयं करती है। जिन राज्यों में तेल परिष्करण यूनिटें बिल्कुल नहीं है, उन्हें तेल गणेश फ्लोर मिल्स, जिसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, की यूनिटों द्वारा परिष्कृत कराकर वितरित किया जाता है। उपभोक्ताओं को परिष्कृत तेल का वितरण राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा लाइसेंस शुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये रेपसीड तेल के वितरण में कदाचारों की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। राज्य सरकारों के पास कदाचार रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जैसे संगत कानूनों के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां हैं।

(ङ) खाद्य तेलों के क्षेत्र में कुछ समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय खाद्य तेल नीति तैयार की जा रही है। खाद्य तेलों की उपलब्धता सुधारने के लिए दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय, जिसमें आयात भी शामिल हैं, किये जा रहे हैं।

Demand for allotment of Customs Goods by Apna Bazar Central Consumer's Co-operative Stores, Ltd. Junagadh, Gujarat

952. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Apna Bazar Central Consumers Coöperative Stores Ltd., Junagadh (Gujarat) has demanded the allotment of customs goods and if so, when the demand was made and the details thereof;

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the reasons for delay in sanctioning this ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a), (b) and (c) Yes, Sir. Since the general policy regarding disposal of seized confiscated smuggled good is under review, the request of the Apna Bazar Central Consumers Cooperative Stores Ltd., Junagadh would be examined after the general policy regarding disposal of such goods is finally decided.

Allotment of customs goods to Porbandar Central Consumer's Co-operative Societies Limited

953. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether six Porbandar Central Consumers Cooperative Societies Limited of Porbandar, the biggest city of Junagadh District in Gujarat, have made a demand to Government for the allotment of customs goods and if so, when the demand was made and the details thereof;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) the reasons for delay in according approval and when their demand would now be met ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a), (b) and (c) Only one organisation namely The Porbandar Central Consumers Co-operative Society Limited (Apex Organisation of the City Consumers), Porbandar made a request to Government for allotmnt of

confiscated goods. They were however, informed that since the sale of seized confiscated items was restricted to certain specified cities/towns only, their request could not be acceded to. The general policy regarding disposal of seized and confiscated smuggled items is under review and the request of the Porbandar Central Consumers Cooperative Society Limited would be considered after the general policy regarding disposal of such items is finally decided.

Export of Deoiled Cake or Solvent Extraction Groundnut Shells.

954. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to tate :

(a) whether any limit has been fixed in regard to the export of deoiled cake of solvent extraction shells of groundnut and if so, the Central Export Policy in this regard;

(b) the quantity of groundnut shells exported during the last three years and the quantity awaiting export and the reasons therefor; and

(c) the policy of the Government in regard to the export of groundnut shells in respect of the new crop and whether any limit of export is proposed to be fixed ?

The Minister of State in the Ministries of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) Export of Groundnut Extractions in the year 1977 is subject to a ceiling of 7.5 lakh tonnes. The export is canalised through Groundnut Extractions Export Development Association.

(b) There has been no export of groundnut shells from India. Groundnut shells are not awaiting shipment either. The export of groundnut extractions during the last three years, however, had been as follows :—

	Quantity (Lakh tonnes)	Value (Rs. crores)
1974-75	6.12	74.28
1975-76	5.98	55.72
1976-77	12.34	168.39

(c) Government policy in regard to the new crop is under consideration and has not yet been finalised.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

955. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री सौगात राय :

डा० बापू कालदाते :

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री एस० आर० दामाणी :

श्री सन्तोषराव गोडे :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से पूर्व वर्तमान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का क्षेत्र कितना था;

(ख) 31 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों का किस सीमा तक विस्तार किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान यदि और अधिक विस्तार के कोई लक्ष्य हों, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साधन उचित दर की दुकानें, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक की लाइसेंसशुदा दुकानें और सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले खुदरा केन्द्र हैं।

(ख) मार्च, 1977 के अन्त में 2,42,000 उचित दर की दुकानें थीं, जो अब बढ़कर 2,46,000 हो गई हैं। सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने वाले खुदरा केन्द्र भी 72,000 से बढ़कर लगभग 75,000 हो गये है।

(ग) चालू सहकारी वर्ष 1977-78 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा 1,250 नये खुदरा केन्द्रों की स्थापना की जानी है। ग्रामीण इलाकों, विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उचित दर की दुकानों और सहकारी खुदरा केन्द्रों की संख्या भी बढ़ायी जानी है।

भारत की बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने के इच्छुक देश

956. **श्री निहार लास्कर :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की ओर बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने की इच्छा प्रकट करने वाला स्वीडन का कोई पत्र सरकार को मिला है;

(ख) क्या कुछ अन्य देश भी भारत की ओर बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने के इच्छुक है; और

(ग) ऐसी कुल कितनी राशि है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। स्वीडन ने भारत सहित अनेक विकासशील देशों को जो विकास सहायता ऋण दिये हैं, उनको बट्टे खाते डालने का सामान्य निर्णय लिया है।

(ख) किसी और देश ने इसी तरह से ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में अंतिम निर्णय की सूचना नहीं दी है।

(ग) यह बताया गया है कि कुल राशि लगभग 96.53 करोड़ रुपये (52756 लाख स्वीडिश क्रोनर) की होगी।

एयर इंडिया के कर्मचारियों को धमकी

957. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में एयर इंडिया के कर्मचारियों को दी गयी धमकी को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एयर इंडिया ने विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से अपने कार्यालयों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संबंधित सरकारों तथा पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया है। विदेशी सरकारों के स्थानीय प्राधिकारियों ने अपने पुलिस बल को सतर्क कर दिया है तथा उन्होंने धमकियों का मुकाबला करने के लिए एयर इंडिया के कार्यालयों तथा उसके कर्मचारियों के निवास-स्थानों पर अपने निगरानी कार्य को तेज कर दिया है। एयर इंडिया ने अपने आप भी ऐसी धमकियों के खिलाफ अपने कार्यालयों तथा कर्मचारियों के संरक्षण के लिए कुछ सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए हैं।

(ख) अन्तरर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर सुरक्षा के सम्बन्ध में किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपायों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। तथापि, अपहरण से सुरक्षा के ऐसे मौजूदा उपायों को पहले ही कड़ा कर दिया गया है, जैसे परिचालन क्षेत्रों के लिए प्रवेश स्थलों का नियंत्रण, यात्रियों की शारीरिक तलाशी तथा उनके हाथ के सामान की छानबीन, बोर्डिंग कार्डों पर स्टैम्प लगाने में अधिक सावधानी तथा चौगिर्दी परिसीमा की पर्याप्त सुरक्षा, इत्यादि।

प्रवर्तन निदेशालय तथा राजस्व आसूचना द्वारा मारे गये छापे

958. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय तथा राजस्व आसूचना द्वारा 25 मार्च, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक मारे गये छापों के प्रत्येक मामलों के सम्बन्ध में नामों, पतों तथा पकड़ी गयी वस्तुओं के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) 25-8-77 से 31-10-1977 तक की अवधि के दौरान राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय द्वारा 80 तलाशियां ली गई थीं जिनमें मुद्रा और अपराध आरोपणीय कागजातों के अलावा 24, 54,116 रुपये मूल्य का सामान पकड़ा गया। 25-3-1977 से 30-9-77 तक की अवधि के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 432 तलाशियां ली गई थीं जिनमें अन्य कागजातों के अलावा, 18,93,837 रु० की भारतीय मुद्रा और 6,80,260 रु० (लगभग) मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई।

टिप्पणी : (1) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अक्तूबर, 1977 में ली गई तलाशियों से संबंधित आंकड़ों को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिये ये आंकड़ें 30-9-1977 तक के ही दिये गये हैं।

(2) इन तलाशियों से सम्बन्धित अधिकांश मामल जाच/न्याय निर्णय की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएं संकलित करने के लिये बहुत अधिक काम करना होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष पार्टी/पार्टियों के नाम बताएं, जिनकी तलाशियों के बारे में वे सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह एकत्र कर प्रस्तुत की जा सकती है।

कण्डला निर्बाध व्यापार जोन के लिये संसदीय अधिनियम

959. **श्री अनन्त दवे** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कण्डला निर्बान्ध व्यापार जोन के लिए 'संसदीय अधिनियम' का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०के० गोयल)
(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Tourist Hostel at Kushi Nagar (Deoria)

960. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is proposed to construct a tourist hostel at Kushi Nagar (Deoria) the reported place where Lord Buddha attained salvation;

(b) if so, the estimated cost thereof; and

(c) the time by which it would be ready ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) & (b) The Central Department of Tourism proposes to develop facilities at Kushinagar which will include different categories of accommodation. This development will be undertaken as soon as various formalities are completed, and the plans and estimates are prepared.

(c) It is expected that the proposed development will be completed in about 2 years from the time the work is initiated. This, however, would be dependent upon the availability of funds.

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पुलिस और सीमाशुल्क अधिकारी

961. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इन समाचारों की जानकारी है कि कुछ पुलिस और सीमाशुल्क अधिकारी तस्करी की गतिविधियों में स्वयं अन्तर्ग्रस्त थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) जी हां। अभी हाल ही में, बम्बई पुलिस के दो कांस्टेबल और बम्बई सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय के दो निवारक अधिकारी सोने और हाथ घड़ियों की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त थे। वे सभी गिरफ्तार कर लिये गये थे। दोनों सीमाशुल्क अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है। पुलिस कांस्टेबलों के तस्करी में अन्तर्ग्रस्त होने की बात, महाराष्ट्र सरकार की जानकारी में लायी गयी है। उपर्युक्त के अलावा, पहले भी कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए थे जिनमें निषिद्ध माल चोरी छिपे देश में लाने में सीमाशुल्क अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे। उनके विरुद्ध कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की गई थी।

अनिवार्य वस्तुओं तथा वनस्पति तेलों का मूल्य निर्धारण और भंडार सीमा

962. **श्री एस० एस० सोमानी :**
श्री के० मालन्ना :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री डी० जी० गवई :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवार्य वस्तुओं तथा वनस्पति तेलों के मूल्य हाल में सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दालों, खाद्य तेलों तथा वनस्पति के संबंध में थोक विक्रेताओं तथा फुटकर विक्रेताओं दोनों के लिए भंडार सीमा निर्धारित कर दी गयी है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में सरसों के तेल का अधिकतम फुटकर मूल्य निर्धारित किया है।

(ख) 30 सितम्बर, 1977 को जारी किये गये सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश के अनुसार कोई भी व्यवहारी (डीलर) सरसों के तेल को 10 रुपये प्रति किलोग्रामी की फुटकर कीमत से, जिसमें आधान (कंटेनर) की कीमत शामिल नहीं है, किन्तु कर सम्मिलित हैं, अधिक कीमत पर स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा न तो बेचेगा और न बेचने की प्रस्थापना करेगा। यह आदेश 30 सितम्बर, 1977 से लागू हुआ है।

(ग) जी हां। सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश तथा दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश दोनों को ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसके फैसले की प्रतिक्षा है।

Instruments to X-Ray Air Passengers at Airports

963. **Shri S.S. Somani :**
Shri C.K. Jaffer Shariff :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether India does not possess instruments which may help customs officials conduct quick searches on our passengers at airports;

(b) whether similar demand was made after armed hijackers boarded an Indian Airlines Boeing 737 at Delhi exactly one year ago and forced it to fly to Lahore; and

(c) if so, whether Government propose to import some new instruments from abroad to x-ray the air passengers at airports for the sake of their safety ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b) and (c) The Information is being collected, and will be placed on the Table of the Sabha.

Ban on Export of Vegetables

964. **Shri S.S. Somani :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have imposed restrictions on the export of vegetables abroad;

(b) if so, when and whether there has been any change in the prices of vegetables as a result thereof; and

(c) if so, the extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal) : (a) Yes, Sir. Export of fresh vegetables has been banned.

(b) & (c) The ban of export on fresh vegetables was imposed on 19-7-77 while export of potatoes and onions was stopped in March 77 and 13-5-77 respectively. The prices of vegetables were already high and there was a consistant higher trend. Had the Government not taken the action the rising prices of vegetables would have gone much higher. The action has helped in containing and in some respects in bringing down the prices of vegetables.

गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से अच्छी किस्म के बासमती चावल का निर्यात

965. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस अच्छे किस्म के बासमती चावल के निर्यात करने की अनुमति गैर-सरकारी व्यापारियों को देने का निर्णय किया है, जो पहले केवल राज्य व्यापार निगम या राजकीय अभिकरणों द्वारा निर्यात किया जाता था;

(ख) क्या इस निर्णय से चावल के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी; और

(ग) यह निर्णय लिये जाने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क), (ख) तथा (ग) बासमती चावल के निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत किये गये थे। इन निर्यातों का मार्गीकरण खत्म करने के लिये निर्णय ले लिया गया है क्योंकि निर्यातों के लिये, बड़ी मात्रा में इमदाद की आवश्यकता थी। बासमती चावल एक उच्च मूल्य की वस्तु है और यह आम खपत की वस्तु नहीं है। निम्न अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए ऐसी संभावना है कि निर्यात पिछले वर्षों की अपेक्षा कम होंगे। सामान्य जनता द्वारा उपभोग किये जाने वाले चावल की कीमत में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है।

Steps to Check Smuggling

966. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the new steps taken so far by Janata Government to check smuggling; and

(b) the results thereof ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) Government have launched three-pronged attack to check smuggling by strengthening the preventive and enforcement machinery, resorting to selective use of the provisions of COFEPOSA Act and by taking appropriate economic measures. These measures have had a salutory effect in curbing smuggling as evidenced by such indicators as decreasing trend in the value of contraband goods seized by Customs authorities, sharp increase in inward remittances (non-trade), steady strength of Indian rupee vis-a-vis foreign currency in unofficial market abroad, high prices and non-availability of contraband goods in main marketing centres in the country.

पर्यटन बढ़ाने के लिए प्रयास

967. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि न केवल विदेशी मुद्रा की आय के लिए बल्कि विश्व के लोगों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी पर्यटन-वृद्धि के लिए सर्वांगीण प्रयास किया जाये; और

(ख) प्रधान मंत्री के इस सुझाव की क्रियान्विति के लिए उनका क्या करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जिन देशों से पहले ही परम्परागत रूप में बड़ी संख्या में पर्यटक भारत आते हैं उनमें अभिवृद्धि अभियान को और गहन करके तथा जिन देशों से पर्यटकों के आने की काफी संभावनाएं हैं वहां भी नये कार्यालय खोलकर पर्यटन प्रोत्साही गतिविधियों को बढ़ाकर भारत के लिए यात्रा में रुचि को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिये देश के ही अन्दर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए, जिससे कि वे यहां के लोगों एवं संस्कृति से अच्छी प्रकार परिचित हो सकें, आकर्षक हवाई तथा रेल के रियायती किराये चालू किए गए हैं तथा आवास एवं भू-परिवहन के रूप में आधारभूत सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है। पर्यटक समूहों के अनुरोध पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। चुने हुए स्थानों पर देश के लोगों तथा भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए "मीट-दि-पीपल" कार्यक्रम भी चालू किए गए हैं।

कलकत्ता के निकट एक निर्यात-परिष्करण क्षेत्र

968. **श्री चित्त बसु** :
श्री सी० आर० महाटा :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के निकट एक निर्यात-परिष्करण क्षेत्र की स्थापना करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के निकट निर्यात परिष्करण क्षेत्र की स्थापना करने के बारे में 1973 में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्थापना भेजी थी। मई-जून, 1976 में केन्द्रीय सरकार ने यह सामान्य निर्णय किया कि देश में और कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित न किया जाये। इस निर्णय की सूचना जून, 1976 में पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दी गई थी। इसके बाद 24 जून, 1977 को पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1709 के उत्तर में यह बताया गया कि मई-जून, 1976 में कोई और मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित न करने का जो निर्णय किया गया था, उसमें संशोधन के लिये कोई भी प्रस्थापना इस समय विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्त बात को देखते हुए नमक झील क्षेत्र में निर्यात परिष्करण क्षेत्र की स्थापना करने का प्रश्न इस समय पैदा नहीं होता।

अन्तर्देशीय पर्यटन का विकास

969. **श्री चित्त बसु :**

श्री एम० एम० हनान अलहाज :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय पर्यटन के विकास के लिए सरकार के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तर्देशीय पर्यटन को सस्ता बनाने के लिये क्या विशिष्ट प्रयास किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) पर्यटन विभाग के मध्य एवं निम्न आय वर्ग के भारतीय तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटकों की सुविधा के लिए बहुत से पर्यटक बंगलों, यात्री लॉजों तथा युवा होस्टलों का निर्माण किया है, जो कि देश भर में पर्यटन महत्व के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। चुने हुए स्थानों पर शिविर स्थलों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम अपने आवास कार्यक्रम में ऐसे होटलों के निर्माण पर बल दे रहा है जो कि निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हाल ही में, नई दिल्ली में एक जनता होटल का निर्माण करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया है। इसका अभिप्राय कम किरायों पर होटल आवास उपलब्ध कराना है।

संबंधित राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण एवं अन्य प्राइवेट संगठन ऐसे क्षेत्रों में समाज सदनों (Community Centres) धर्मशालाओं, सरायों आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां ऐसे आवास की आवश्यकता है।

पटसन मिलों को निर्यात-सहायता का भुगतान

970. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात-राजसहायता के भुगतान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा पटसन मिलों को राशि दी जानी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस शीर्ष के अन्तर्गत दी जानी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल): (क) तथा (ख) निर्यात राजसहायता के रूप में पटसन मिलों को 11 नवम्बर, 1977 को 4,92,67,669 रु० की राशि देय थी। इस राशि का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) पटसन मिलों द्वारा सीधे किए जाने वाले निर्यातों के आधार पर राजसहायता . . . . . . 2,60,35,015 रु०

(2) शिपर्श के जरिए किए जाने वाले निर्यातों के आधार पर राजसहायता . . . . . 2,32,32,654 रु०

जैसे ही सम्बन्धित पार्टियों द्वारा आयात निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, कलकत्ता को आवश्यक जानकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाएंगे, यह वितरित कर दी जाएगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

971. श्री चित्त बसु :

श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री समर गुह :
श्री दुर्गा चन्द :
श्री के० मालन्ना :
श्री बलदेव प्रकाश :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री एस० एन० चतुर्वेदी :
श्री जेना बैरागी :
श्री सुशील कुमार धारा :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ख) मूल्य स्तर को नीचे लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल :) (क) पिछले लगातार सात सप्ताहों में समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में निरन्तर कमी हुई है—इन सप्ताहों में कुल मिलाकर 2.5 प्रतिशत की कमी हुई है। मार्च, 1977 के अन्तिम सप्ताह की तुलना में 5 नवम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले सप्ताह में सूचकांक केवल 1 प्रतिशत अधिक था। तथापि, पहले मूल्यों में बढ़ती का रुख रहा था। इसका मुख्य कारण मुद्रा पूर्ति तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में बहुत अधिक अन्तर होना कहा जा सकता है। वर्ष 1976-77 में राष्ट्रीय आय में लगभग 2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में मुद्रा पूर्ति में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यद्यपि इस वर्ष मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर पिछले वर्ष की दर से कम है तथापि, पिछले वर्ष मुद्रा पूर्ति में हुई वृद्धि का प्रभाव अभी चल रहा है। चावल, तिलहन, दालों तथा कपास जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी कमी हुई है। सीमेंट जैसे कुछ उद्योगों में बिजली की कमी का भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुधारने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय ये हैं—घाटे की वित्त व्यवस्था कम से कम करना, गैर विकासात्मक व्यय घटाना, प्रतिबन्धित ऋण नीति जारी रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक अनाज वितरित करना, गैर लेवी वाली चीनी अधिक मात्रा में देना, चाय पर निर्यात शुल्क लगाना, सब्जियों के निर्यात पर रोक लगाना, सीमेंट के निर्यात को बखेरना तथा उसमें कमी करना, वनस्पति उद्योग द्वारा आयातित तेल के प्रयोग में काफी बढ़ोतरी करना, शुरू में सीधे उपभोग के लिए परिष्कृत आयातित रेपसीड तेल 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा बाद में 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना तथा काफी मात्रा में खाद्य तेलों तथा कपास का आयात करना।

इस दृष्टि से कि चाय के मूल्यों में नीलामियों में हुई कमी उसके फुटकर मूल्यों में भी परिलक्षित हो, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन० सी०सी०एफ़०) से कहा गया कि वे खुली चाय बेचने का कार्य बढ़ा दें। उनकी खुली चाय के सम्मिलित

बिक्री अक्तूबर, 1977 में 1 लाख किलोग्राम से अधिक थी, जबकि जुलाई, 1977 में 2,000 किलोग्राम चाय की बिक्री हुई थी। वे देश के विभिन्न भागों में 65 शहरों में 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर चाय बेच रहे हैं। उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के विचार से गेहूं, धान, चना, कपास, मूंगफली तथा सूर्यमुखी बीज के समर्थन मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। जमा किये माल को बाहर निकलवाने के उपाय के रूप में दालों, खाद्य-तेलों तथा वनस्पति घी के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लिए स्टाक की सीमा नियत कर दी गई है। 30 सितम्बर, 1977 से सरसों के तेल का अधिकतम फुटकर मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम नियत किया गया है। (स्टाक सीमा तथा सरसों के तेल का मूल्य नियत करने संबंधी आदेशों को न्यायालयों में चुनौती दी गई है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने तथा उसमें सुधार करने के लिए एक व्यापक आधार वाली योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वनस्पति निर्माताओं की मिलों तथा व्यापारिक परिसरों पर मारे गये छापे

972. **श्री शंकरसिंहजी बघेला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख वनस्पति निर्माताओं की मिलों और व्यापारिक परिसरों पर वर्ष 1977 के दौरान अब तक मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न करें ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) वर्ष 1977 के दौरान वनस्पति निदेशालय के निरीक्षकों ने अनेक वनस्पति एककों के 700 निरीक्षण किये। उन्होंने 2500 नमूने लिये, जिनमें से 2300 का विश्लेषण किया गया है। 72 नमूने विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये। इन मामलों में यथावश्यक उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये इनकी जांच की जा रही है।

राज्य सरकार के अधिकारियों, जैसे खाद्य निरीक्षकों और आबकारी अधिकारियों द्वारा भी वनस्पति एककों का निरीक्षण किया जा सकता है तथा उन पर छापे मारे जा सकते हैं। इनका ब्यौरा इस मंत्रालय को नहीं भेजा जा रहा है।

विदेशों से भारतीयों द्वारा स्वदेश धन भेजा जाना

973. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल से सितम्बर, 1977 तक विदेशों से भारतीयों द्वारा कुल कितना धन स्वदेश भेजा गया और पहले दो वर्षों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों से और अधिक धन आकर्षित करने के लिए नये प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों (रेकार्ड) के अनुसार, पहली अप्रैल से सितम्बर, 1977 तक और उससे पहले के दो वर्षों की इसी अवधि में, विदेश से भेजी गई कुल रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1975	549.66
1976	774.03
1977	909.36

इससे यह पता चलेगा कि वर्ष 1977 के उपर्युक्त महीनों में भेजी गई कुल रकम, उससे पहले के वर्षों में इन्हीं महीनों में भेजी गई कुल रकमों से काफ़ी अधिक है।

ऊपर दिए गए आंकड़ें सकल निर्यात/भिन्न प्राप्तियों के सूचक हैं जिनमें सभी प्रकार की प्राप्तियां जैसे हवाई कंपनियों की प्राप्तियां, नौवहन प्राप्तियां, बीमा प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, पर्यटन प्राप्तियां आदि शामिल हैं। ये प्राप्तियां उन चार प्रकार की प्राप्तियों के शीर्षक के अलावा हैं जो "आवक प्रेषण" शब्द से सम्बद्ध हैं, अर्थात् :—

(1) परिवार भरणपोषण, (2) अनिवासियों की बचतें, (3) प्रवासी अन्तरण, और (4) मनीआर्डर प्राप्तियां।

(ख) और (ग) पहली नवम्बर, 1977 से एक नई योजना लागू की गई हैं जिसके अन्तर्गत निवासस्थानान्तरण पर देश लौटने वाले भारतीय उनके द्वारा सामान्य बैंकिंग माध्यम से भेजी गई विदेशी मुद्रा का 25 प्रतिशत भाग 10 वर्ष तक निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ला सकते हैं :

(क) उस व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसके पति और आश्रित बच्चों के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा;

(ख) उस व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसके पति और आश्रित बच्चों का विदेश में इलाज;

(ग) उस व्यक्ति के आश्रित बच्चों या प्रतिपाल्यों (वार्ड) की विदेश में शिक्षा;

(घ) विदेश में स्थायी रूप से रहने वाले निकट संबंधियों को, जन्मदिन, धार्मिक त्यौहार और विवाह जैसे अवसरों पर, उपहार राशि;

(ङ) आयात लाइसेंस की औपचारिकताओं का पालन करते हुए वृत्तिक इस्तेमाल के लिए विशेष उपकरणों का आयात।

यह भी फ़ैसला किया गया है कि भारतीय उद्भव के अनिवासी को व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए भारत में एक रिहायशी घर/फ्लैट या विशेष मामले में दो रिहायशी घर/फ्लैट खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।

बरगढ़ चीनी मिल्स, उड़ीसा द्वारा ऋण के लिये अनुरोध

974. **श्री गणनाथ प्रधान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित बरगढ़ चीनी मिल ने विस्तार कार्यक्रम के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण के लिए आवेदन किया है;

(ख) ऋण की कितनी राशि के लिए आवेदन किया गया है; और

(ग) मिल को कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है और इसको निकालने की तारीख क्या है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल):

(क) जी नही।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Cheaper Hotels for Tourists in Agra

975. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the action being taken by Government for the construction of cheaper hotels for tourists in Agra ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : Depending upon the funds being made available in the Sixth Plan, the question of providing inexpensive hotel accommodation in Agra would be considered.

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानें

976. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की संख्या में, जिन्हें जनता दुकानों के रूप में जाना जाता है, वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ऐसी उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओं की मदों में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी उचित दर दुकानों द्वारा कितने व्यक्तियों को माल का वितरण किया जाता है और ऐसी उचित दर दुकानों के माध्यम से वस्तुओं का कितनी अवधि के बाद वितरण किया जाता है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :
(क) ग्रामीण क्षेत्रों में 31-3-77 को 1,86,555 उचित दर की दुकानें थीं, जो 15-10-1977 को बढ़कर 1,90,600 हो गईं।

(ख) इस समय गेहूं, चावल, मोटे अनाज तथा लेवी चीनी का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में, जहां कहीं भी देशी खाद्य तेल की कमी पाई गई वहां स्थानीय मांग को देखते हुए आयातित रेपसीड तेल का वितरण भी उचित दर की दुकानों के माध्यम से शुरू किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 15-10-77 तक 3704 लाख ग्रामीण जनता उचित दर की दुकानों के अन्तर्गत लाई जा चुकी हैं। उचित दर की दुकानों के माध्यम से व्यक्ति उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण कितनी बार किया जाता है, इसका निर्धारण उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर करना होता है और कुछ राज्यों में सप्लाई साप्ताहिक या पाक्षिक तथा मासिक आधार पर की जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश के पर्यटक रुचि के स्थानों का विदेशों में प्रचार

977. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पर्यटक रुचि के स्थानों का विदेशों में प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गयी कार्यवाही का परिणाम क्या है;

(घ) हिमाचल प्रदेश को भारत के पर्यटक मानचित्र में शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) पर्यटकों के लिए भारत में उपलब्ध विविध आकर्षणों की ओर विशिष्ट रूप से ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत का विदेशों में हालिडे 'डेस्टीनेशन' के रूप में व्यापक प्रचार किया जा रहा है। हालांकि किसी राज्य विशेष के बारे में कोई विशिष्ट प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश के आकर्षणों का फोल्डरों, पोस्टरों आदि जैसी पर्यटक प्रचार सामग्री वितरित करके तथा "डाक्यूमेंटरी" फिल्मों के जरिये व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री कर के बजाय उत्पादन शुल्क वाली वस्तुएं

978. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे वस्तुएं कौन-कौन सी हैं जिन पर बिक्री कर के बजाय उत्पादन शुल्क लगा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क इस समय चीनी, तम्बाकू और (रेशमी कपड़ों से भिन्न) कपड़ों पर लगाया जाता है। संविधान के अनुसार बिक्री कर मुख्यत: राज्य सरकारों के कराधान का विषय है और इसलिये यह आवश्यक है कि राज्यों को, बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये कहा जाय। यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है और वित्त मंत्री, पहले ही 14 राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों के साथ, प्रारम्भिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान कर चुके हैं। सभी मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों के कुल कर-राजस्व में बिक्री कर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और यह आय का एक वर्धमान तथा लचीला साधन है, इसलिये यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों को इस समय तथा भविष्य में भी किसी प्रकार की वित्तीय हानि न उठानी पड़े। मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों ने बताया कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वे अपनी विस्तृत तथा औपचारिक प्रतिक्रिया कुछ समय बाद भेज देंगे। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा की जा रही है।

Setting up of branches of nationalised Banks at Development Block Headquarters

†979. **Shri Hukamdeo Narain Yadav** : Will the Minister of Finance be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal to set up a branch of nationalised banks at the Development Block headquarters and if so, the time by which the branches are likely to be opened; and

(b) whether the branches already existing in Block headquarters cover only about dozen villages under the Block and not the entire Block and if so, whether Government pro pose to improve upon this rule ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) In pursuance of the overall objectiv of providing banking facilities in the hitherto unbanked areas, banks have been advised to ensure that latest by end-June 1978, each community block in the country is provided with at least one commercial bank branch.

(b) Since the geographical coverage of a bank branch is necessarily limited by its capacity to supervise the utilisation of the credit extended by it, extension of banking facilities to larger number of villages will have to be achieved through the opening of more branches in underbanked areas, in accordance with a phased programme. Towards this objective, the Reserve Bank have advised the banks that beginning with January 1, 1977 they would have to open at least four brances at unbanked rural centres to become entitled to open a branch at a metropolitan centre and another one at a banked centre. Public sector banks have also been advised to devote more attention while drawing up their programme of branch expansion of unbanked rural centres, to the districts where the coverage of the rural/semi-urban branches is relatively poor.

Opening of cheap residential Hotels

980. **Shri Hukamdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to open cheap residential hotels and if so, the places where such hotels will be opened;

(b) whether Government propose to have the restrictions imposed on the construction of five-star hotels and providing loans therefor from banks and other public financial institutions; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) It is proposed to construct inexpensive hotels at metropolitan cities (Delhi, Bombay, Calcutta and Madras) and other selected tourist centres. The number and location of such hotels to be constructed in the Central sector will depend upon the resources made available for this purpose during the Sixth Five Year Plan, which is under discussion with the Planning Commission.

(b) and (c) In the context of foreign tourists visiting India, hotels in the 5-star category are also required. As such there is no proposal to impose restrictions on the construction of 5-star hotels and for providing loans therefor from banks and other public financial institutions at present.

Loan to farmers and others by branches of S.B.I. in Madhubani and Darbhanga Districts, Bihar

981. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether the branches of the State Bank of India in Block Development headquarters in Madhubani, and Darbhanga districts in Bihar do not advance loan to farmers and others and demand as much as 10 per cent of the loan as gratification; and

(b) if so, whether Government propose to inquire into these affairs and if not the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) The branches of the State Bank of India in Darbhanga and Madhubani Districts have by the end of September, 1977 disbursed loans to the priority sectors including agriculture, to the extent of Rs. 105.65 lakhs and Rs. 33.40 lakhs respectively. Loans to eligible applicants are disbursed expeditiously, and no gratification is asked for.

(b) If any specific cases are brought to the notice of the Government, suitable action will be taken.

Demonetisation of Currency

982. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :**
Dr. Ramji Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to demonetize currency notes by accepting the recommendations of the Wanchoo Committee in order to unearth black money ; and

(b) the total estimated amount of black money in the country and whether Government have under consideration any proposal to unearth it ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) No such proposal is under consideration at present.

(b) The Government have not made any estimate of black money in the country. However, Wanchoo Committee estimated the income on which tax was evaded for 1968-69 at a figure of Rs. 1400 crores.

The process of unearthing black money is a continuous one. Necessary steps as called for, are taken by the Government from time to time. The Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 introduced a number of amendments in the statute to facilitate unearthing of black money and prevention of its proliferation. The Smugglers and Foreign Exchang-Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 provides for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators.

The Intelligence Wing of the Income-tax Department has been streamlined to enabit to effectively scout for information relating to tax evasion. Intensive and systematic surveys are being undertaken to discover new income-tax/wealth-tax assessees and to locaconcealed income/wealth in the cases of existing assessees.

बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना और सरकारी तथा गेर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

983. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जून, 1977 तक गत तीन वर्षों के दौरान कितनी नई शाखायें खोली गईं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश की विभिन्न विकासशील गतिविधियों अर्थात् कृषि, लघु उद्योग और व्यावसायिक व्यक्तियों तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों आदि को उन्होंने कितनी धन राशि ऋण के रूप में दी ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध I में दी गयी है।

(ख) उपेक्षित क्षेत्रों को दिये गये आग्रिमों की जून, 1975, जून, 1976 और मार्च, 1977 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के संबंध में उपलब्ध, बैंक समूहवार आंकड़े अनुबन्ध II में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1121/77]

पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत को दिया गया ऋण

984. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी भारत को ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और कितनी राशि दी गई है; और

(ग) यह राशि किन परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी हां। भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के बीच चालू वर्ष में सहायता दिये जाने के संबंध में हुए वार्षिक द्विपार्शिवक वार्तालाप के सम्पन्न होने पर नई दिल्ली में 14 अक्टूबर, 1977 को दोनों सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य ने चालू वर्ष के लिए भारत को 36 करोड़ ड्यूशमार्क (135.72 करोड़ रुपए) की राशि ऋण के रूप में देने का वचन दिया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	करोड़ रुपए	लाख ड्यूश-मार्क
परियोजनाएं	88.595	2350
विकास बैंक (आई०सी०आई०सी०आई० तथा आई०एफ०सी०)	4.147	110
पूंजीगत माल	3.393	90
वस्तुएं	28.275	750
ऋण राहत	11.310	300
जोड़	135.720	3600

(ग) ऊपर दिए गए प्रयोजनों के अलावा, 2350 लाख ड्यूशमार्क की परियोजना संबंधी राशि निम्नलिखित परियोजनाओं पर उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात् (i) नेवेली लिगनाइट निगम (600 लाख ड्यूशमार्क), (ii) गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कंपनी (550 लाख ड्यूशमार्क), (iii) ट्रोम्बे बिजलीघर (850 लाख ड्यूशमार्क) तथा (iv) जर्मन संघीय गणराज्य से समुद्रवैज्ञानिक अनुसंधान जलयान की प्राप्ति (350 लाख ड्यूशमार्क)।

विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटन के सम्बन्ध में दृष्टिकोण बनाने हेतु समिति के निदेश पद

985. **श्री राजकेशर सिंह :**
श्री वसन्त साठे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटन के संबंध में सरकारी दृष्टिकोण बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) क्या समिति का गठन हो गया है, और यदि हां, तो उसके निदेशपद क्या हैं तथा उसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) सरकार का विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटन के सम्बन्ध में पर्यटन विषयक राष्ट्रीय नीति निर्धारण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। इस समिति के विचारणीय विषयों तथा गठन के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में निर्णयों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी।

मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने संबंधी कार्यवाही

986. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कमी की समस्या और ऊंची ब्याज दर तथा पूंजी परिव्यय में कमी की वजह से देश में विभिन्न मदों की कीमतों पर कहां तक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) उक्त समस्याओं का समाधान करने तथा मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) वस्तुओं की कीमतों पर किसी कारण विशेष का कितना प्रभाव पड़ा है, यह अलग करके बतलाना संभव नहीं है। किन्तु यह संभव है कि विद्युत में की गई कटौतियों के कारण जिनसे उत्पादन में कमी होती है, बाजार में भी अस्थायी रूप से वस्तुओं की कमी होने की प्रवृत्ति पैदा हो गई हो और इस कारण मूल्यों में वृद्धि हुई हो। विद्युत में कमी की इस समस्या को, अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की क्षमता पैदा करके, वर्तमान बिजलीघरों के कार्यचालन में सुधार करके तथा प्रेषण और वितरण में होने वाली हानियों को कम करके, हल किया जा रहा है।

जहां तक ब्याज और मूल्यह्रास का संबंध है उत्पादन लागत पर उनका प्रभाव काफी कम है। फिर भी, ब्याज दर के स्तरों की बराबर समीक्षा की जाती है तथा स्थिति के अनुसार जब और जहां आवश्यक हो फेर-बदल किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मई, 1977 में, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को कम से कम तीन वर्षों की अवधि वाले सावधि ऋणों पर ब्याज की दर के उस समय के 14-15 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से घटा कर 12.5 प्रतिशत करने की हिदायत की थी। जमा राशियों की ब्याज दरों के ढांचे को भी युक्तिसंगत बनाया गया तथा बैंकों के, जमा रकमों पर ब्याज संबंधी बचत के लाभ को उधारकर्ताओं को देने की सलाह दी गई है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

987. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री के० ए० राजन :
श्री एस आर० दामाणी :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :
श्री मनीराम बागड़ी :
श्री यशवन्त बोरोले :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
डा० हेन्री आस्टिन :
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री वसन्त साठे :
श्री समर मुखर्जी :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारह महीने की अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अगस्त, 1977 में 312.50 तक वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार को अपने कर्मचारियों को अगस्त, के महीने से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने महंगाई भत्ते को तत्काल मंजूर करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): (क) और (ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत अगस्त, 1977 के अन्त में 312 अंकों को पार कर जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-9-77 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक किश्त देने का निर्णय किया है।

(ख) जी, हां।

वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

988. **श्रीमती पार्वती कृष्णन:**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:
श्री के० राममूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को, श्रमिक संघों के अधिकारों और बोनस के अधिकार का उन्हें पुनः दिये जाने सम्बन्धी अपनी मांगों के समर्थन में पूरे देश में सितम्बर, 1977 में सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगे पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके अधिकांश कामगार कर्मचारी और बड़ी संख्या में वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी निम्नलिखित मांगें मनवाने के लिए 27 सितम्बर, 1977 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे:—

वर्ग	मांग
(1) भारतीय रिजर्व बैंक के श्रेणी 2, 3, 4 के कामगार कर्मचारी।	उनके अखिल भारतीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की गई वेतनमानों के संशोधन सहित, मांगों के घोषणा पत्र पर बातचीत द्वारा समझौते की मांग।
(2) राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक समूह के अधिकारी।	बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों के मानकीकरण विषयक पिल्लै समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के विरुद्ध मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शन।
(3) कई वाणिज्यिक बैंकों के अन्य कर्मचारी	मजदूरी के संशोधन, बोनस की अदायगी और काम के समय में व्यवसाय संघ का काम करने के लिए पदाधिकारियों को छोड़े जाने (जिसका उल्लेख व्यवसाय संघ अधिकारों की बहाली के रूप में किया जाता है) की मांग। 13 सितम्बर, 1977 को भारतीय रिजर्व बैंक और कई वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों ने क्रमशः 1 घंटा और 2 घंटा की विलम्ब से हाजिरी के कार्यक्रम में भी भाग लिया।

भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ का विचार है कि इन संस्थाओं के कामगार कर्मचारियों की मजदूरी में किसी प्रकार का संशोधन करना "राष्ट्रीय मजदूरी नीति निर्धारण" तक मुल्तबी रखा जाना चाहिये जिस पर कि अभी सरकार विचार कर रही है।

अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों के मानकीकरण के बारे में सरकार पिल्लै समिति की सिफारिशों को कुछ आशोधनों के साथ स्वीकार कर चुकी है और उनके कार्यान्वयन की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दे चुकी है।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में प्रतिवेदन

991. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अप्रत्यक्ष कर-समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनमें से कितनी स्वीकार की गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को अभी हाल ही में अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की अन्तिम रिपोर्ट का पहला भाग प्राप्त हुआ है। परन्तु अन्तिम रिपोर्ट का दूसरा भाग अभी प्राप्त होना है।

(ख) चूंकि रिपोर्ट का सम्बन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ, कराधान प्रस्तावों से है, अतः रिपोर्ट की सामग्री को फिलहाल गोपनीय माना जा रहा है।

(ग) रिपोर्ट के पहले भाग का इस समय अध्ययन किया जा रहा है और उस रिपोर्ट में अन्तर्निहित किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का संकेत देना बहुत जल्दी होगा।

पूर्व यूरोपीय देशों में नियुक्त भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन

992. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व यूरोपीय देशों में नियुक्त भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों का तीन-दिवसीय सम्मेलन 24 अक्तूबर से बुलाया था जिसमें उस क्षेत्र में भारतीय व्यापार को मिली सफलता पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) जी हां,

(ख) तथा (ग) बैठक में पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की गई तथा उसमें द्विव-मार्गी व्यापार में संतुलन लाने के तरीकों पर, पूर्व यूरोप में स्थित निर्यात संवर्धन कार्यालयों की भूमिका तथा उसके कार्यों पर और पूर्व यूरोप को हमारे निर्यात बढ़ाने के लिये आवश्यक संवर्धनात्मक उपायों पर विचार किया गया।

विदेशी मुद्रा संसाधनों से प्राप्त की गई राशि

993. **श्री ओ० वी० अलगेशन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा संसाधानों से ली जाने वाली 800 करोड़ रुपये की राशि में से अब तक कितनी राशि ली गई है; और

(ख) इस प्रकार से ली गई राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया और उसका मुद्रास्फीती पर क्या प्रभाव पड़ा?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) हालांकि सरकार ने आम उपभोग की वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल, कपास आदि के आयात के लिए काफी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा संसाधनों का उपयोग करने की व्यवस्था की थी लेकिन उससे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में अब तक कोई निवल कमी नहीं हुई है। तथापि, आम उपभोग की वस्तुओं के पर्याप्त आयात से और उदार आयात नीति अपनाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति-कारी दबावों को रोकने में सहायता मिली है।

विभिन्न स्रोतों से औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध किया जाना

994. **श्री ओ० वी० अलगेशन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में विभिन्न स्रोतों तथा (1) सरकार (क) केन्द्रीय तथा (ख) राज्य (2) वित्तीय संस्थानों (3) वाणिज्यिक बैंकों (क) राष्ट्रीयकृत और (ख) गैर-राष्ट्रीय कृत (4) सहकारी संस्थानों, (5) निजी तौर पर ऋण देने और (6) अन्य किसी प्रकार से;

(ख) बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र (ख) छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र (ग) कुटीर उद्योगों तथा (घ) कृषि क्षेत्र को कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया; और

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष उक्त चार क्षेत्रों से संबंधित उत्पादन का कुल मूल्य कितना है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) 1974-75 और 1975-76 के दौरान बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और कृषि संबंधी क्षेत्रों के संस्थागत स्रोतों के संबंध में यथा उपलब्ध सूचना अनुबन्ध I से III में दी गयी है। (ग्रंथालय में रखे गये। दिखिये संख्या एल० टी० 1122/77) सावधिक ऋण देने वाले संस्थानों को छोड़कर 1976-77 के लिए पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

(ग) 1974-75 के लिए कृषि, मध्यम और बड़े दर्जे के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग के उत्पादन के मूल्य संबंधी उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपये)
कृषि*	27,476
मध्यम और बड़े उद्योग**	20,389
छोटे पैमाने के उद्योग**	5,710

स्रोत:–*1960-61 से 1974-75 के राष्ट्रीय आय आंकड़े (सी० एस० ओ० द्वारा)

**1974-75 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण : फैक्टरी सेक्टर के लिए सारांश परिणाम (सी० एस० ओ० द्वारा)

बम्बई हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जापान की सरकार से शिकायत

995. **श्री के० मालन्ना :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्र** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जापान सरकार से, जब बम्बई मे जहाज में अपहरणकर्ता सवार हो गये थे, बम्बई हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने स्वंय कोई जांच कराई थी कि बम्बई हवाई अड्डे पर अपहरकर्ता किस प्रकार जहाज में सवार हुए थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता तथापि, भारत सरकार ने मामले की जांच का पहले ही आदेश दे दिया है तथा यह अभी पूरी नहीं हुई है।

"वर्क्स आफ माओत्सेतुंग" और "पीकिंग रिव्यू" पत्रिका पर प्रतिबंध

996. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रीय सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिघोषणा के अनुसार "वर्क्स आफ़ माओत्सेतुंग" और "पीकिंग रिव्यू" पर प्रतिबन्ध लगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस साहित्य पर से प्रतिबन्ध उठा लेने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) "वर्क्स आफ़ माओत्सेतुंग" और "पीकिंग रिव्यू" पत्रिका का आयात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत निषिद्ध है।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ?

प्लास्टिसाइजर्स का आयात

998. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिसाइजर्स का बड़े पैमाने पर आयात करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप उद्योग में पर्याप्त क्षमता फ़ालतू हो गई है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ;

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) :

(क) प्लास्टिसाइजर्स की अधिकतर मदें पहले ही आयात के लिए गैर अनुमेय मदों की सूची में हैं। तथापि, सामान्य नीति के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता कच्चे माल तथा संघटकों के अपने

लाइसेंसों के मूल्यों के 10 प्रतिशत तक गैर-अनुमेय मदों का आयात कर सकते हैं। जहां तक पंजीकृत निर्यातकों का संबंध है, प्लास्टिसाइजर्स के आयात केवल विशेष मदों के निर्यातों के आधार पर ही करने की अनुमति है। सरकार को बड़े पैमाने पर इस प्रकार के किन्हीं भी आयातों की जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा से तोरी के तेल का आयात

999. **श्री के० लकप्पा :** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा से तोरी के तेल का आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी मात्रा में तोरी के तेल का आयात किया गया ;

(ग) क्या यह तेल देश में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ और बाद में उसे रोक दिया गया ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) तथा (ख) रिवाइज्ड इंडियन ट्रेड क्लासिफ़िकेशन में रेपसीड तेल अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। यह मिश्रित मद "सरसों का तेल (रेप तथा कोलज़ा तेलों सहित)" के अन्तर्गत आता है। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जिनको संशोधित किया जा सकता है सरसों के तेल के लिए जिसमें रेप तथा कोलज़ा तेल शामिल हैं 1976-77 के दौरान सं० रा० अमरीका से कोई आयात नहीं किए गए तथा कनाडा से 9.17 करोड़ रु० मूल्य का 179 लाख किग्रा तेल आयात किया गया। अप्रैल-जून 1977 के लिए 'डैली ट्रेड रिटर्नस" से रेपसीड तेल के सम्बन्ध में हाथ से संकलित किए गए रेपसीड तेल के आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान कनाडा से 0.91 करोड़ रु० मूल्य का 14 लाख किग्रा रेप सीड तेल आयात किया गया था। इस अवधि के दौरान सं० रा० से रेपसीड तेल के कोई आयात नहीं किए गए।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उचित दर की दुकानों से साफ़ किया हुआ रेप सीड तेल बराबर वितरित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पता लगाया गया हशीश तेल के तस्करों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

1000. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के राजस्व आसूचना निदेशालय ने भारत के रास्ते नेपाल से अमरीका को हशीश और हशीश तेल ले जाने वाले तस्करों के एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक अमरीका राजनयिक अपनी (राजनयिक की) सेवाओं का प्रयोग करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से न्यूयार्क के लिए निषिद्ध वस्तु भेजने के गिरोह में अन्तर्ग्रस्त था ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन व्यक्ति गिरफतार किये गये तथा उस पर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है। ?

वित मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) हाल ही में, अमेरीका की ड्रग एन्फ़ोर्समेण्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से राजस्व आसूचना निदेशालय ने हशीश और हशीश तेल के तस्करों के एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पता लगाया है जो भारत के रास्ते नेपाल से अमेरीका के बीच कार्यशील था। इन कार्यवाहियों में 14 अक्टूबर, 1977 को, 41.1 किलोग्राम हशीश, 36.05 किलोग्राम हशीश तेल और 0.25 किलोग्राम गांजा जिसका कुल मूल्य लगभग 45 लाख रुपये था, पकड़े गये थे। अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना, मिस्टर रोबर्ट रसल इर्विन और उसकी पत्नी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा, काठमाण्डू के निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को भी भारत में गिरफतार किया गया था:—

1. खगेन्द्र शेरचन
2. मोहन दास श्रेष्ठ
3. भरत राय

उन्हें 29 अक्तूबर 1977 तक सीमाशुल्क की हिरासत में रखा गया था। उन्हें 29 अक्तूबर, 1977 से विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है।

जम्मू विमान क्षेत्र के विस्तार के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर की शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION RE. EXTENSION OF JAMMU AIRPORT

15 जुलाई, 1977 को लोक सभा में मौखिक प्रश्न सं 492 के संबंध में श्री मोहम्मद शा ी कुरै ी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि :

"उस मार्ग पर अभी जांच चल रही है। उस पर 27 लाख 23 हजार रुपए का घाटा होता है। अगर बोइंग चलायेंगे तो यह घाटा बढ़कर 1 करोड़ 65 लाख 45 हजार रुपये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि यह योजना तत्काल लागू की जा सकती है।"

अब यह पता चला है कि जहां तक घाटे के आंकड़ों का संबंध है, यह स्थिति पूर्ण रूप से सही नहीं है। सही उत्तर निम्न प्रकार है:—

"उस मार्ग पर अभी जांच चल रही है। एच० एस० 748 विमान का जम्मू से परिचालन करने से जुलाई, 1974 में 37.23 लाख रुपए प्रति वर्ष की हानि होने का अनुमान लगाया गया था। यदि जम्मू से बोइंग विमान का परिचालन किया जाता है, तो यह हानि 1,62,45,000 रुपए हो जाने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि यह योजना तत्काल लागू की जा सकती है।"

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री गोरी शंकर राय, दो मंत्रियों की अपीलों को ध्यान में रखते हुए क्या आप अपनी स्थिति पर पुनः विचार करेंगे?

Shri Gauri Shankar Rai (Gazipur) : Second motion can be moved under rule 226. According to the convention of the House, second substantive motion can also be moved. There is a precedent according to which the Hon. Speaker allowed Dr. Ram Subhag Singh to move another motion when Dr. Lohia raised a question of privilege on 5th April, 1970.

There is specific provision for alternative motions in rule 226. My contention is that you allow my motion even if Shri Limaye's motion is not allowed and that is why I felt need of another resolution. How can alternative resolution be passed without substantive motion. There is a clear ruling for it. I wanted it to come on agenda.

I have not moved my resolution in haste. This resolution pertains to the contempt of the House. You have allowed them. I have moved two resolutions.

This house is highest court of the land and is competent of punishing anybody. Shrimati Indira Gandhi cannot be punished within the framework of constitution and law. Whole of the country wants Shrimati Indira Gandhi to be punished because she murdered the spirit of parliamentary conventions. She is also guilty of attempting to impose family dictatorship in the country.

श्री वसंत साठे (अकोला): यदि आप को साहस हो तो उन्हें यहां ले आयें और सुनवायी करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि दोनों पक्ष भी सहमत हों तो मैं नहीं मानूंगा।

श्री वसंत साठे : मामला सदन के सामने हैं । सदन ही इसका निर्णय कर सकता है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : हम तीन दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब और कितना समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पक्ष को भी बोलने का पूरा अवसर दूंगा।

Shri Gauri Shankar Rai : I was saying that whole of the country wants Shrimati Gandhi to be punished. Some of senior members want that we should hear her.

In spite of all these things I withdraw my resolution.

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन श्री राय को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देता है।

जो माननीय सदस्य वापस लेने के पक्ष में हैं, वे खड़े हो जायें।

(अनेक माननीय सदस्य खड़े हुये)

(Several hon. Members rose)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी गई।

संशोधन संघ की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave withdrawn

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मैं अपना संशोधन संख्या 4 पेश करता हूं।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं।

My amendment seeks to have the report submitted by 19th December instead of period of 6 months as proposed by the mover of the resolution. Any more delay in this behalf will not be proper. The delay will not benefit. The congress party in confusing the country in the matter of crimes and offences. Moreover, the importance of the matter will be minimised with the passage of time. The House will be able to decide the matter within this session if the report is available by 19th December, 1977.

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामानन्दन मिश्र ने भी एक संशोधन पेश किया है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : मेरा सुझाव है कि 'श्रीमती गांधी' शब्दों के बाद 'और अन्य' शब्द निकाल दिये जायें। यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया अनिवार्यतः न्यायिक प्रक्रिया है। हमें यह स्पष्ट पता होना चाहिये कि इसमें किन-किन लोगों का हाथ था और हमें सभा में यह भी निर्णय करना है कि क्या इन लोगों को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश किया जाये। प्रस्ताव तथ्य परक और स्पष्ट नहीं है। दूसरे जो व्यक्ति अपराध की जड़ हैं, उसे निश्चित रूप से बताया जाये। उन लोगों पर अपराध नहीं लगाया जा सकता जिन्होंने केवल आदेश का पालन किया। आदेशों का पालन स्पष्टतः विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री श्यामानन्दन मिश्र का संशोधन स्वीकार कर रहे हैं ?

Shri Madhu Limaye : The amendment seeking the Committee report during the current session can not be accepted. The period can be reduced by one month at the most.

I have mentioned the names of other persons, besides, Shrimati Gandhi, in my motion. These persons include former Director of C.B.I. I do not want to spare him. That is why I have added the words "and others".

Shri Kanwar Lal Gupta : I have added the names of Dr. Sen, Shrimati Gandni and Shri R.K. Dhavan in my motion. I hope both the motions will come before the Committee.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री निर्मल चन्द्र जैन का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री श्यामनन्दन मिश्र का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा अपना संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave, withdrawn.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा अपना संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सभा के विशेषाधिकार को भंग और उसका अवमान करने का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाये कि वह छः महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन दे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 197 की ओर दिलाता हूं। कल मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना * * *

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाये

***कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मूंगफली तेल (परिष्करण और मूल्य का विनियमन) आदेश, 1977

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत परिष्कृत मूंगफली तेल (परिष्करण और मूल्य का विनियमन) आदेश, 1977 की एक प्रति जो दिनांक 1 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 602 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1091/77]

जम्मू हवाई अड्डे का विस्तार करने के बारे में प्रश्न सं० 492 के उत्तर की शुद्धि

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

जम्मू हवाई अड्डे का विस्तार करने के बारे में डा० कर्ण सिह के तारांकित प्रश्न संख्या 492 पर श्री मोहम्मद शफी कुरेशी के अनुपूरक प्रश्न के 15 जुलाई, 1977 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1092/77]

विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़ों का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन का वर्ष, 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा 1972-73 से 1975-76 तक के प्रमाणित लेखे, टेक्सटाइल समिति (न्यायाधिकरण को अपील), संशोधन नियम 77 आदि

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं श्री आरिफ बेग की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अक्तूबर, 1975 की पैंकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (नवम्बर, 1975 में आबंटित)

(दो) नवम्बर, 1975 की पैंकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (दिसम्बर, 1975 में आबंटित)

(तीन) दिसम्बर, 1975 की पैंकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (जनवरी, 1976 में आबंटित)

(चार) जनवरी, 1976 की पैंकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (फरवरी, 1976 में आबंटित)

(पांच) फरवरी, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटित दिखाने वाला विवरण (मार्च, 1976 में आबंटित)

(छः) मार्च, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (अप्रैल, 1976 में आबंटित)

(सात) अप्रैल, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (मई, 1976 में आबंटित)।

(आठ) मई, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (जून, 1976 में आबंटित)

(नौ) जून, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आवंटन दिखाने वाला विवरण(जुलाई, 1976 में आबंटित)

(दस) जुलाई, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (अगस्त, 1976 में आबंटित)

(ग्यारह) अगस्त, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (सितम्बर, 1976 में आबंटित)

(बारह) सितम्बर, 1976 की पैकिंग से विभिन्न राज्यों तथा फुटकर दुकानों को नियंत्रित कपड़े का किस्मवार आबंटन दिखाने वाला विवरण (अक्तूबर, 1976 में आबंटित)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1093/77]

(2) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1094/77]

(3) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(तीन) समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(चार) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(4) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1095/77]

(5) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22) की उपधारा (3) के अन्तर्गत टैक्स-टाइल समिति (न्यायाधिकरण को अपील) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० ना० 1138 में प्रकाशित हुए थे

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1096/77]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रुई नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 85 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977, जो दिनांक 10 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 322(ङ) में प्रकाशित हुआ था

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1097/77]

(7) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पटसन उत्पाद विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1098/77]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1099/77]

व्यापार तथा वाणिज्यिक चिह्न अधिनियम, 1958 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं आदि

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यापार तथा वाणिज्यिक चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत व्यापार चिह्न पंजीयन कार्यालय, बम्बई के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1100/77]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) परिष्कृत मूंगफली तेल (परिष्करण और मूल्य का विनियमन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1977, जो दिनांक 18 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 619(ङ) में प्रकाशित हुआ था

(दो) दालें और खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 701(ङ) में प्रकाशित हुआ था

(तीन) सरसों का तेल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1977, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 702(ङ) में प्रकाशित हुआ था

(चार) दालें और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 719(ङ) में प्रकाशित हुआ था

(पांच) विलायक निस्सारित तेल, तेल रहित भोजन तथा खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 637(ङ) में प्रकाशित हुए थे

(छः) वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल उत्पाद का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश 1977, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 641(ङ) में प्रकाशित हुआ था

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1101/77]

(13) (एक) बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट तथा माप मानक (पैक की हुई वस्तुयें) नियम, 1977, जो दिनांक 26 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 622(ङ) में प्रकाशित हुए थे

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1102/77]

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के भारत के समाचार पत्र, 1976 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(14) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के भारत के समाचार पत्र 1976 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1103/77]

कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम, बम्बई, दिल्ली वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन आदि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पुनर्वित्त तथा विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषिक पुनर्वित्त निगम, बम्बई के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षक लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1104/77]

(2) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षक का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन जो दिनांक 8 सितम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०-6/2/77-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1105/77]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1106/77]

(4) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 46 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1046 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कृषिक पुनर्वित निगम (बाण्डों का निगम और प्रबन्ध) विनियम, 1969 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1107/77]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (17वां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1047 में प्रकाशित हुए थे

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (18वां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1048 में प्रकाशित हुए थे

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (19वां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 554(ङ) में प्रकाशित हुए थे

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (23वां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1446 में प्रकाशित हुए थे

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (24वां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1447 में प्रकाशित हुए थे

(छः) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (25वां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1448 में प्रकाशित हुए थे

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1108/77]

(6) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 640(ड़) में प्रकाशित हुए थे

(दो) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1977, जो 9 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 665(ड़) में प्रकाशित हुए थे

(तीन) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 22 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 677(ड़) में प्रकाशित हुए थे

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 720(ड़) में प्रकाशित हुए थे

(पांच) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 730(ड़) में प्रकाशित हुए थे

(छः) अधिसूचना संख्या सां० आ० 3447 से 3476 जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1109/77]

(7) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 721(ड़) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1110/77]

(8) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 597(ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1111/77]

(9) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास बांड नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 598(ड़) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1112/77]

(10) सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम 1977, जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2443 में प्रकाशित हुई थी

(दो) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1977, जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2444 में प्रकाशित हुई थी

(तीन) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्ति-युक्तकरण) संशोधन स्कीम, 1977, जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2445 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1113/77]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 1043 जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(दो) सा० सां० नि० 583(ङ) और 584(ङ) जो दिनांक 22 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तीन) सा० सां० नि० 594(ङ) जो दिनांक 26 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(चार) सा० सां० नि० 1131 जो दिनांक 27 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पांच) सा० सां० नि० 612(ङ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(छः) सा० सां० नि० 1282 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(सात) सा० सां० नि० 1317 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(आठ) सा० सां० नि० 1318 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(नौ) सा० सां० नि० 628(ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(दस) सा० सां० नि० 635(ङ) और 636(ङ) जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ग्यारह) सा० सां० नि० 1365 और 1366 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(बारह) सा० सां० नि० 644(ङ) और 645(ङ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तेरह) सा० सां० नि० 652(ङ) जो दिनांक 26 अक्टूबर 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(चौदह) सा० सां० नि० 666(ङ) और 667(ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पंद्रह) सा० सां० नि 669(ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० सां०नि० 671 (ङ) और 672 (ङ) जो दिनांक 2 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० सां० नि 673 (ङ) और 674 (ङ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० सां० नि० 684 (ङ) जो दिनांक 7 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा० सां० नि० 687 (ङ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० सां० नि० 702(ङ) जो दिनांक 15 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1114/77]

(12) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 568(ङ) जो दिनांक 12 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 569 (ङ) से 572 (ङ) जो दिनांक 12 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 1101 जो दिनांक 20 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 623 (ङ) जो दिनांक 28 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 642 (ङ) और 643 (ङ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 668 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 1526 जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 686(ङ) जो दिनांक 8 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1115/77]

(13) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 320/77-सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 1122-ए/77)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं:

(1) कि राज्य सभा 17 नवम्बर, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 नवम्बर, 1977 को पास किये गये लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (अर्जन) और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(2) कि राज्य सभा ने 17 नवम्बर, 1977 की अपनी बैठक में स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन(विधयेक, 1977 पास किया है।

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक

REQUISITIONING AND ACQUISITIONING OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

सचिव : महोदय, मैं स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन(विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

12वां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रेल) में सम्मिलित नई लाइनों तथा लाइन क्षमता निर्माण कार्यों से संबंधित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

दूसरा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

सोमवार, 21 नवम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 21 नवम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायगा:—

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 और 1973-74 के 20वें, 21वें तथा 22वें प्रतिवेदनों पर आगे चर्चा।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में उनके लिये आरक्षित कोटे के अनुसार नौकरी देने के सम्बन्ध में नियम 193 के अधीन आगे चर्चा।

(3) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर विधेयक, 1977 (विचार तथा पास करना)

(4) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक, 1977 **विचार तथा पास करना)**

(5) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 (**विचार तथा पास करना**)

(6) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977 **(विचार तथा पास करना)**

(7) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1977 **(विचार तथा पास करना)**

(8) स्मिथ स्टनीस्ट्रीट एंड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1977 **(विचार तथा पास करना)**

(9) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1977 **(विचार तथा पास करना)**

(10) ग्रेशम एंड क्रबन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1977 **(विचार तथा पास करना)**

2. मंत्री ने यह भी घोषणा की कि दो गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेल मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा का प्रस्ताव बुधवार, 23 नवम्बर, 1977 को लिया जायगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, फरक्का समझौते पर क्या अगले सप्ताह चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय : अगले सप्ताह उस पर चर्चा नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में ध्यान आकर्षण की सूचना दी थी। उसके लिये समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय विचाराधीन है। मैं आपको सूचित कर दूंगा।

अब सभा स्थगित होती है और मध्याह्न भोजन काल के बाद 2.05 बजे पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till five minutes past fourteen of the clock.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

श्री वयालार रवि : मैंने नियम 377 के अधीन एक सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आपको अनुमति नहीं दी जाती तब तक आप अपना मामला नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शांति भूषण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यादेश, अधिवक्ता (संशोधन) 1977 के बारे में विवरण

STATEMENT RE. ADVOCATE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1977

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

BANKING SERVICE COMMISSION (REPEAL) BILL

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. BANKING SERVICE COMMISSION (REPEAL) ORDINANCE, 1977

श्री एच० एम० पटेल : मैं बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक

ENEMY PROPERTY (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शत्रु-सम्पति अधिनियम, 1968 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 का संशोधन करने वाले विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1977 के बारे में विवरण

STATEMENT RE. ENEMY PROPERTY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1977

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : Sir, I beg to lay on the Table an explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Enemy Property (Amendment) Ordinance, 1977.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTER UNDER RULE 377

लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज आदि के बारे में लोक सभा की कार्यवाही का आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा समाचार प्रसारण :

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : A big rally was organised on 14th November, 1977 by "Jagrook Janata Paksha" at Boat Club which was addressed among other leaders, by the Health and Family Welfare Minister, Shri Raj Narain. But All India Radio and Television did not cover it at all.

Similarly, when Shri Raj Narain moved for the consideration of Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provision Bill, he had proposed that lady Hardinge Hospital should be named as Sucheta Kriplani Hospital. This news was not properly broadcast by All India Radio. It did not convey the real sentiments behind this proposal. Likewise, it is not understood why Braj Madhuri programme, which was being relayed by Mathura Radio Station since long, has now been discontinued.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें तथा 22वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

तथा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षित किए गए पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा—जारी

MOTION RE : TWENTIETH, TWENTY FIRST AND TWENTY SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

AND

DISCUSSION ON THE EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA—*Contd.*

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपतूर) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए अस्पृश्यता अधिनियम ही काफी नहीं हैं। यह इन लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी व्यक्तियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों पर केवल दूसरे दर्जे के न्यायालयों में ही मुकदमा चलाया जाता है। ऐसे अपराधियों पर प्रथम श्रेणी तथा सैशन न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाने चाहिएं।

दूसरी बात यह है कि हमें जाति प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाना है। हम देखते हैं कि आज भी केन्द्र तथा राज्यों में कई मंत्री अपने नामों के बाद अपनी जाति लिखते हैं। यहां तक कि देश के राष्ट्रपति जी भी अपने नाम के बाद अपनी जाति लिखते हैं। हमारे दल, अन्नाद्रमुक ने इस बारे में एक निर्णय लिया है। हरिजन अपने नाम के आग अपनी जाति के बारे में कुछ नहीं लिख सकते। अतः सरकार को नामों के पश्चात् जाति-सूचक उपनामों को लगाने की प्रथा को समाप्त करने के बारे में तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

चुनाव लड़ने का अधिकार केवल उसी प्रत्याशी को दिया जाना चाहिए जो कि अपने नाम के आगे अपनी जाति न लिखे। आज भी देश में अस्पृश्यता चल रही है। हमें इस बुराई को दूर करना चाहिए।

जब तक हम अपने नामों के आगे अपनी जाति लिखने की प्रथा समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हर प्रकार सहायता की जा रही है। वहां हरिजनों के उत्थान के लिए लाखों रुपये व्यय किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वृद्ध लोगों को पेंशन दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए।

हरिजनों पर कई प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं किन्तु पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह हरिजनों की रक्षा करने के लिए उपाय करें। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, गांव में सार्वजनिक कुओं से उन्हें पानी नहीं निकालने दिया जाता। हम उनके कल्याण तथा उत्थान के लिए बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं किन्तु उन बातों को कार्यान्वित नहीं करते। सरकार को उन्हें पीने का पानी, आवास, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं। प्रायः देखा जाता है कि हरिजनों की कठिनाइयों के बारे में सभा में जब भी सदस्य अपने विचार प्रकट करते हैं तो उन्हें सुनने के लिए यहां कोई सम्बंधित मंत्री नहीं होता उनके हितार्थ कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं यदि उनकी ऐसी ही अपेक्षा की जाती रही तो एक दिन यह समस्या क्रांति के रूप में बदल जाएगी। कल सभा में केवल 35 सदस्य उपस्थित थे और आज 36 या 37 हैं······ (**व्यवधान**)

हमें अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। अधिकांश हरिजन झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए पक्के मकान बनाए जाने चाहिएं, साथ ही उन्हें भूमि भी दी जानी चाहिए।

श्री सूरजभान : आपके राज्य में सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की क्या स्थिति है? वहां उनके लिए पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में उनके लिए आरक्षण की प्रतिशतता अधिक है।

श्री मोहन रंगम : आपके आंकड़े गलत हैं। आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मेरा सरकार से तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस मामले में तत्काल ठोस कदम उठाएं।

Shri R.N. Rakesh (Chail) : It is true that there has been a change of government, but the condition of scheduled castes and scheduled tribes people has not changed. They are being subjected to atrocities even now as in the previous regime and are not getting a fair deal.

During emergency out of 148 persons, who were branded as Naxalites and were shot dead. Under the present regime also, in Dharampur incident, many Harijans have been killed. The report submitted by Minister of state for Home Affairs in this case is misleading.

Reports are pouring in from every part of the country that atrocities are being committed on Harijans. Even police servants belonging to this community are being harassed.

I support the demands of the neo-Buddhists who are staging a protest at Boat Club. The facilities previously enjoyed by them as SC/ST should be restored to them.

The quota fixed for Scheduled Castes and Scheduled tribes people for recruitment in different Government services and public sector undertakings is not being filed up. In the matter of promotions also, they are being ignored. Government should see that scheduled castes and scheduled tribes people get due representation in all the services according to quota fixed for them.

As regards their representation in political assignments, the situation is totally disappointing. There is only one Governor in Uttar Pradesh belonging to this Community out of 20 Governors. In the case of High Commissioners and Ambassadors also, their representation is almost negligible. There is no Harijan Chief Minister in any State.

Government should safeguard the interests of scheduled castes and scheduled tribes people in every field. They should not be neglected.

Shri Somji Bhai Damer (Dohad) : From the report it has been seen that there is no representation of Adivasis in Class I and Class II services. The rules for recruitment of Adivasis and Harijans are not proper. These people are being rejected on the ground of their not being found suitable for the different posts.

There is no representation of Adivasis and Harijans in various Commissions such as U.P.S.C. Railway Service Commission and States Public Service Commissions.

The Adivasis and Harijans are being exploited since times inmemorial. The Adivasis think today that they have gained nothing by the country getting independence.

To improve the lot of the Adivasis it is desirable to form separate Adivasis states in the country after conducting a scientific survey in this regard.

The Adivasis are being uprooted from forest areas without any alternative land or house being given to them. They are being deprived of their source of livelihood. A Corporation should be formed for the proper use of wood etc. which is available from forests. Furniture and other finished goods should be got prepared from the wood which would give employment to the Adivasis residing there.

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav (Khagaria) : The discontent and agitation we found in Harijans today is due to utter disregard of their interests by the previous regime during the last 30 years. Has the previous government given them due representation in different services. Their lot would have been better even than that of us. But it is unfortunate that in the name of reservation for them they are all along politically exploited.

The figures indicated that even drinking water facilities are not provided during the last 30 years in about 2 lakh colonies which are mostly inhabited by Harijans. This question should be given top priority by the present Government.

The charge that in the present regime atrocities on the Harijans have increased is not based on facts. The present Government has done much during the short period about 8 months for the welfare of scheduled castes people.

The previous regime gave wide publicity to the work of distribution of land to Harijans. Most of this land is uncultivable and in many cases, the distribution is only on paper. These things are now being set right by the Janata Government.

There is no denying the fact that bureaucracy is the greatest inpediment in the way of betterment of the lot of the scheduled castes and scheduled tribes people. The measures devised for the welfare of these people are not being implemented properly by the bureaucracy. Government should exercise strict check on bureaucracy.

As in the case of reservation for Harijans for Parliament and Assembly elections, there should also be provision for reservation for them in elections for Gram Panchayats and Municipalities.

There should be provision for reservation for Harijans in the matter of recruitment in Public undertakings, semi-public undertakings and private sector undertakings. The back log of vacancies reserved for Harijans should be cleared.

समुद्री तूफान के कारण दक्षिण रेलवे पर रेलपथ को हुई क्षति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. DAMAGE TO RAILWAY TRACK ON SOUTHERN RAILWAY DUE TO CYCLONE

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (समुद्री तूफान जिसके कारण गत 11 नवम्बर को तमिलनाडु के कुछ हिस्से प्रभावित हुए और दक्षिण रेलवे के रेलपथ को व्यापक क्षति पहुंची और रेल सेवाएं ठप्प हो गयीं, उनके तथा सामान्य बाढ़ सहायता कार्यों के लिए महत्वपूर्ण सीधे संचार साधनों को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा अपनाये गये उपायों के बारे में सदन को अवगत कराने के लिए वक्तव्य देने के वास्ते मैं उपस्थित हूं।

मैंने, कल रेलवे बोर्ड के सदस्य इंजीनियरी और दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक के साथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन स्थानों का हवाई सर्वेक्षण किया जहां पर रेलपथ टूट गया है और संचार साधन भंग हो गये हैं। मैंने पैदल जाकर तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में, विशेषकर श्रीरंगम् में रेलवे बस्तियों और स्टेशनयार्डों का भी निरीक्षण किया। अपने हवाई सर्वेक्षण के दौरान मैंने तिरुचिरापल्ली से तंजाऊर, नागपट्टणम, नागोर, कोडिक्करे, कारैक्कुडी, डिण्डीगुल, समुद्रम, करुर तक और वापस तिरुचिरापल्ली तक के खंडों को देखा।

समुद्री तूफान के कारण सर्वत्र विनाश लीला दिखायी दे रही थी। रेल संचार लाइनें बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी, कावेरी बेसिन की नदियों और नालों में उफान आ गया और रेलपथ बाढ़ में डूब गया और कई स्थानों पन टूट-फूट गया जिससे 11 नवम्बर की रात से रेल सेवाएं प्रभावित हुई। रेलपथ और स्टेशन इमारतों आदि को विशेषकर नागपट्टणम, तिरुवारुर, कोडिक्करै, कुडूर, करुर और गोल्डनरॉक में, भारी क्षति पहुंची। अमरावती नदी के एक बड़े पुल को, जिसमें 50-50 फीट के 20 स्पैन हैं, गम्भीर रूप से क्षति पहुंची है तथा गर्डरों सहित छः खम्भे और उनसे लगे गर्डर और रेल लाइन बह गयी हैं। विष्णुपुरम्-तिरुचिरापल्ली के बीच मुख्य लाइन और तिरुचिरापल्ली-डिंडीगुल, तिरुच्चिरापल्ली-करूर तथा डिण्डीगुल-पलनी खण्डों की कार्ड लाइन में अनेक स्थानों पर रेल पटरी पानी में डूब गयी हैं। तिरुचिरापल्ली के चारों ओर रेल पटरियों की व्यापक क्षति के कारण यह नगर चारों ओर से अलग-थलग हो गया है। रेल कर्मचारियों की अनेक बस्तियों में पानी भर गया है और उन्हें मजबूरन रेलवे प्लेटफार्मों आदि पर शरण लेनी पड़ी है। इससे रेल कर्मचारियों के लगभग 25,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। तूफान के कारण रेलवे को लगभग 1.5 करोड़ रू० की क्षति होने का अनुमान है।

उपर्युक्त क्षति के परिणामस्वरूप 12 तारीख से निम्नलिखित खण्डों पर गाड़ियों का संचालन स्थगित करना पड़ा :—

(i) तिरुचिरापल्ली—ईरोड (बड़ी लाइन)।
(ii) वृद्धाचलम—तिरुचिरापल्ली (मीटर लाइन)।
(iii) तिरुचिरापल्ली—डिण्डीगुल (मीटर लाइन)।
(iv) डिण्डीगुल—पलनी (मीटर लाइन)।
(v) वृद्धाचलम–सेलम (मीटर लाइन)।
(vi) मयूरम–करैकुड्डि (मीटर लाइन)।
(vii) तंजाऊर–नागौर (मीटर लाइन)।
(viii) तंजाऊर–मयूरम (मीटर लाइन)।
(ix) तिरुत्तुरपुंडि—कोडिक्करै (मीटर लाइन)।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेल कर्मचारियों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप, जो चौबीसों घंटे काम पर लगे हुए हैं, यह सम्भव हो पाया है कि मद्रास और तिरुचिरापल्ली के बीच और करैंकुड्डि होकर मदुरै तथा मानामदुरै के बीच सीधी संचार व्यवस्था कल से चालू हो गई है। यह संचार व्यवस्था, जो बहुत ही कम समय में फिर से चालू की गई है, सिविल प्राधिकारियों को आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्यान्न, पेट्रोल, तेल, स्नेहक पदार्थों आदि के वितरण में काफी सहायक होगी। इन खंडों में सवारी गाड़ियों की सीमित सेवाएं भी शुरू की गई हैं।

तिरुचिरापल्ली—डिण्डीगुल खंड में रेलपथ कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है जिसमें 50 कि०मी० के फैलाव में औसतन 5 कि०मी० के दरार पड़ गए हैं जिन्हें फिर से ठीक करने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा। ईरोड और तिरुचिरापल्ली के बीच बड़ी लाइन खंड पर अमरावती नदी पर अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह निर्माणकार्य 4 सप्ताह में पूरा कर दिया जाएगा ताकि इस खंड पर रेल यातायात फिर से आरम्भ किया जा सके। बाढ़ग्रस्त रेलवे बस्तियों के निरीक्षण के बाद मुझे सन्तोष हुआ है कि रेल प्रशासन ने प्रभावित रेल कर्मचारियों के कष्टों को दूर करने के लिए तत्काल राहत कार्य किए हैं। ज़रूरतमंद कर्मचारियों को अग्रिम वेतन दिया गया है और मैंने रेल मंत्री सहायता कोष और अन्य रेलवे कल्याण निधियों से एक लाख रुपये की स्वीकृति भी दी है। जिसका उपयोग सबसे अधिक प्रभावित चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की सहायता के लिए किया जाएगा।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के बाद मद्रास लौटने पर मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन से मिला और रेल संचार साधनों को पुनः चालू करने की प्रगति से उन्हें अवगत कराया। मैंने उन्हें आश्वस्त भी किया है कि भारत सरकार तूफान तथा बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तमिलनाडु की जनता तथा सरकार की सभी सम्भव सहायता करेगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मेरे कुछ और सहयोगी इस राज्य का दौरा कर रहे हैं और एक सरकारी दल भी बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने तथा सहायता देने की सिफारिश करने के लिए वहां जाएगा। जहां तक रेल प्रशासन का सम्बन्ध है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सामान्य रेल सेवाएं यथासंभव शीघ्र फिर से चालू करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावडा : एक चिन्ताजनक समाचार यह है कि आज मद्रास में एक समुद्री तूफाय आने वाला है...... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

प्रो० मधु दंडवते: : श्री मुकर्जी की चिन्ता उचित ही है। वहां भी लोग काफी चिंतित हैं। कल मद्रास में इसी तरह की चेतावनी दी गई। ताज़ी जानकारी के अनुसार तूफान मद्रास से 250 मील की दूरी पर है। मुझे यह जानकारी 10 मिनट पहले मिली है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव
तथा
सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के बारे में चर्चा—जारी

MOTION RE : REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND DISCUSSION ON EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA—*Contd.*

Shri Ram Sevak Hazari (Rosera) : It has been stated in the reports of Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes that neither the Central nor State Governments

have filled up the posts that were reserved for scheduled castes and scheduled tribes. The previous Government had made only a loud publicity that they had given lands to Harijans and released the labourers from bondage. In fact, lands had been distributed only on paper, and even if any lands had been given, they were not cultivable. The Harijans have not been given what was due to them. The atrocities being committed on Harijans are the legacy of the previous Government. If Government are really sincere to help the scheduled castes people, they will have to take steps to recover good cultivable lands from land lords and distribute them among Harijans.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छठा प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से जो 16 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 16 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नारियल विधेयक, 1977

COCONUT BILL, 1977

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

कि नारियल की खेती के विकास, अभिवृद्धि और संरक्षण तथा नारियल-आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक बोर्ड गठित करने और इन प्रयोजनों के लिए एक नारियल नीति बनाने हेतु उपकर लगाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि नारियल की खेती के विकास, अभिवृद्धि और संरक्षण तथा नारियल-आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक बोर्ड गठित करने और इन प्रयोजनों के लिए एक नारियल नीति बनाने हेतु उपकर लगाने और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

शिशु, छात्र और युवजन (अधिकार और कल्याण) विधेयक, 1977

CHILDREN, STUDENTS & YOUTH (RIGHTS & WELFARE) BILL, 1977

श्री० सी के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिशुओं, छात्रों और युवजनों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके कल्याण का ध्यान रखने और उपकर उद्ग्रहण करने के लिए और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि शिशुओं, छात्रों और युवजनों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके कल्याण का ध्यान रखने और उपकर उद्ग्रहण करने के लिए और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977

नये अनुच्छेद 342क का अन्तःस्थापन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

नये अनुच्छेद 326क का अन्तःस्थापन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

------

24 LSS/77—10

आयकर (संशोधन) विधेयक

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

(धारा 10 का संशोधन)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली) सदर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1977

THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS (ALTERATION OF NAME) BILL, 1977

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अण्डमान और निकोबार द्वीपों का शहीद और स्वराज्य द्वीप के रूप में पुनर्नामकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अण्डमान और निकोबार द्वीप का शहीद और स्वराज द्वीप के रूप में पुनर्नामकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते विधेयक, 1977

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS BILL, 1977

श्री पी० के० देव (कालाहंडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों का सम्बन्धी निधि का समेकन तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी विधि का समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1977

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1977

नई धारा 235 का अन्तःस्थापन

Shri Om Prakash Tyagi (Bahreich) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the High-court Judges (conditions of service) Amendment Act, 1954.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1977

THE NATIONAL HIGHWAYS (AMENDMENT) BILL, 1977

धारा 2 का संशोधन

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अष्टम अनुसूची का संशोधन

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1977

THE INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1977

(धारा 12 का संशोधन)

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1977

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 1977

(धारा 2 का संशोधन)

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE AMENDMENT BILL, 1977

(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० टी० कोसलराम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977
THE TOBACCO BOARD (AMENDMENT) BILL, 1977

(धारा 4 का संशोधन)

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977

(अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन)

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 177
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेंडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० टी० कोसलराम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन)

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पूर्ण सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977

(भाग 17 के अध्याय 1 का प्रतिस्थापन आदि)

श्री के० रामर्मूति (धर्मपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० रामर्मूति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक जांच
DECLARATION AND PUBLIC SCRUTINY OF ASSETS OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL

श्री पी० के० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों और संसद् सदस्यों की आस्तियों की घोषणा। और सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक जांच का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण और उनके वार्षिक लेखों का प्रकाशन विधेयक

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES AND PUBLICATION OF THEIR ANNUAL ACCOUNTS BILL

श्री पी० के० देव: मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजनीतिक दलों का सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उनके संपरिक्षित वार्षिक लेखाओं के प्रकाशन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक दलों का सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उनके संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं के प्रकाशन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 18 का संशोधन, अनुच्छेद 32 का लोप आदि)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 18, OMISSION OF ARTICLE 32A, ETC.)

Shri Mritunjay Prasad Verma (Siwan) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Mritunjay Prasad Verma : I introduce the Bill.

फसल बीमा निगम विधेयक

CROP INSURANCE CORPORATION BILL

श्री के० राममूर्ति: मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से छोटे कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फ़सल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ फ़सल बीमा निगम की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि से छोटे कृषकों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से फ़सल बीमा कारबार करने के प्रयोजनार्थ फ़सल बीमा निगम की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० राममूर्ति: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL

श्री जी० एस० रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री जी० एस० रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (निरसन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (REPEAL) BILL

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 311)

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

आपात विधियां (निरसन) विधेयक

EMERGENCY LAWS (REPEAL) BILL

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 और भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 और भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted :

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)

CONSTITUTION BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 352)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कामत का विधेयक : इस के लिए दो घंटे का समय निर्धारित था जो समाप्त हो चुका है। कुछ सदस्यों की राय है कि इस पर और चर्चा होनी चाहिए। अतःएव सदन की अनुमति से इस पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय और बढाया जा रहा है। श्री कामत इस समय विदेश में हैं। वहां से उनकी वापसी पर मंत्री महोदय उत्तर देंगे। तब तक के लिए, आज की चर्चा के बाद, इस पर चर्चा स्थगित रखी जायेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I congratulate Shri Kamath for introducing this Bill. There is provision for proclaiming emergency in the Constitution from the very beginning.

[श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए]

[SHRI TRIDIB CHAUDHURI IN THE CHAIR]

When this Provision was being included, Shri Kamath was the only man who had said that emergency can be misused at some time. But in 1975 the constitution was destroyed by constitutional means. Emergency was declared and it was not even challenged. Dictatorship played its game fully during 19 or 20 months. Fundamental rights were gone and nobody knew what was going to happen the next hour.

Now that the situation has changed after a peaceful revolution, we must consider the whole situation afresh, I am not in favour of omitting the provision of emergency altogether. Emergency should be declared in two situations : firstly, if there is any external aggression and, secondly, when there is any armed rebellion. In case of an armed rebellion, the emergency can be declared only in the State where it has taken place.

We should try to incorporate such provision as may make it impossible for any one person to proclaim emergency. Nobody should be allowed to become dictator. If an ordi nance is issued proclaiming emergency, the same should be presented before the House for approval within three months and the motion should be passed by not less than three-fourth majority. The approval of the House must be taken after every six months. Even in emergency, fundamental rights should remain intact.

With these words I support the Bill.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Article 352 was Cnshrined in the constitution after careful thinking. But Congressmen destroyed the spirit of the Constitution later on. In fact, emergency was never lifted in the country. It was lifted only when Janata Government came into power.

The emergency was declared only to keep intact their dictatorship. But unfortunately there was no provision to punish those who misused this provision. I think internal dis-

disturbances are ordinary things which happen in almost all the countries and they do not invite emergency. Emergency should be declared in case of an armed insurrection. Parliament's approval must be taken within 14 days of proclamation, so that no new Indira Gandhi appears in India in future.

A competent Government should be able to deal with the odds without distorting the provisions of the Constitution because extraordinary conditions do not create or enlarge constitutional powers. So I request you to accept the suggestions made by Shri Kamath.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिस पर सभा को खुल कर अपने विचार प्रकट करने चाहियें। हमने देखा है कि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया गया है। देश में जाली आपातकालीन स्थिति लागू करने के लिए एक तानाशाह द्वारा इसे माध्यम बनाया गया। संसद को मात्र रबड़ की मोहर बना दिया गया और न्यायपालिका को प्रायः समाप्त ही कर दिया गया। एक व्यक्ति और उसके परिवार की इच्छाओं, उनके भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आगे कार्यपालिका को झुकने पर मजबूर कर दिया गया। उद्योग, व्यापार और कार्मिक संघ आन्दोलन में आपात स्थिति के दौरान क्रूर तरीके अपनाये गये। अतः हमें यह विचार करना है कि तानाशाही कायम करने में सहायक इस उपबंध को रखा जाये या नहीं।

'आंतरिक अशान्ति' शब्द की व्याख्या कहीं नहीं की गई है। प्रत्येक स्थिति का सम्बन्ध आंतरिक अशान्ति से जोड़ा जा सकता है। सन् 1971 में घोषित आपात स्थिति को समाप्त करने की मांग हम बराबर करते रहे लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऊपर से यह दूसरी आपात स्थिति और लाद दी गयी।

आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा एक परिवार के हितों के लिए की गई। निर्मम विधानों को पास कराने के लिए संसद को मात्र माध्यम बनाया गया। हम तो चाहते हैं कि संविधान से इस उपबंध का पूर्ण लोप कर दिया जाये। श्री कामत ने भी बगावत शब्द की व्याख्या नहीं की है। इसलिए उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। आपात स्थिति के उपबंधों के कारण विकृत दृष्टिकोण का विकास हुआ। तत्कालीन सरकार के महान्यायवादी ने भी कहा कि देश में स्वतंत्रता का और जीवन का अधिकार नहीं। सरकार को संविधान का यह कलंक यथाशीघ्र मिटाना चाहिये।

अनुच्छेद 352 को संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से संविधान में समाविष्ट किया था देश में कभी भी उसी भावना से उसका उपयोग नहीं किया गया। आपात स्थिति लागू करते समय यह झूठी भावना पैदा की गई कि देश में ऐसी गड़बड़ी है कि प्रशासन चलाना असम्भव हो गया है और देश की सुरक्षा और अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। अतः भारत सरकार को भारत के संविधान में तत्काल आवश्यक परिवर्तन कर के इस उपबंध का लोप करना चाहिये। हमे उस शक्ति को समाप्त करना चाहिये जिसका दुरुपयोग हुआ है। इस उपबंध को यथाशीघ्र निकाला जाये।

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुच्छेद 352 को विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इसका किस हद तक दुरुपयोग हुआ है, संविधान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री कामथ ने संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया था कि संविधान तथा कथित सेना विद्रोह द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता पर सत्ताधारियों द्वारा अहिंसात्मक रूप से बड़ी अच्छी तरह इसे नष्ट किया जा सकता है।

अतः मैं इस अनुच्छेद के दुरुपयोग सम्बन्धी प्रावधान के बारे उनसे पूर्णतः सहमत नहीं हूं । कई देशों के संविधान में आपातस्थिति का उपबंध ही नहीं है । लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे देश पर दो बार पड़ौसी राज्यों का आक्रमण हो चुका है । संविधान में विदेशी आक्रमण के समय आपात्तस्थिति घोषित करने के लिए कोई न कोई उपबंध करना आवश्यक है । यदि अनुच्छेद 352 को बनाए रखना है तो इसका उपयोग केवल विदेशी आक्रमण के अवसर पर किया जाए । अन्य किसी स्थिति में आपात्तस्थिति के विशिष्ट उपबंध का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

देश में आपात्तस्थिति लागू करने की स्थिति वास्तव में पैदा हुई थी या नहीं, इस बारे में राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । संविधान में इस उपबंध को स्थान दिया गया है । अनुच्छेद 352 को पुनः बनाते समय सरकार को उस उपबंध का लोप करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति की संतुष्टि को चुनौती नहीं दी जा सकती । न्यायालयों को यह जांच करने का अधिकार होना चाहिए कि क्या वास्तव में देश में ऐसी स्थिति थी जिनसे विवश होकर आपात्तस्थिति लागू करनी पड़ी थी ।

सभापति महोदय : यदि सभा की इच्छा हो तो विधेयक पर चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ाया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : अतः समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है ।

Chawdhury Balbir Singh (Hoshiarpur): The Bill moved by Shri Kamath seeks a provision under which emergency can only be imposed at the time of external aggression. Countrymen supported the Government during 1962, 1965 and 1971 wars even if emergency was imposed during those wars. No member of the opposition was put behind the bars during these war emergencies as was done during the emergency imposed on 25th June, 1975.

Any future Prime Minister can also abuse the provision of imposing emergency during war. Objective behind the Bill of Shri Kamath is good but we have to think.

श्री पी० के० देव : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है । अब गणपूर्ति है ।

Chawdhury Balbir Singh : I was saying that I am against imposing emergency in the wake of internal armed aggression. I have already stated that countrymen wholeheartedly supported the Government at the time of wars in 1962, 1965 and 1971. They supported the Government to the extent that Shri Atal Bihari Vajpayee equated Shrimati Indira Gandhi with Godess Durga.

The Minister of External Affair (Shri Atal Bihari Vajpayee) : This is not a fact that I equated Shrimati Indira Gandhi with Durga during Bangla Desh war.

Chawdhury Balbir Singh : Countrymen generally stand behind the Government time of national crisis caused due to external aggression. In 1971 people of Punjab supported the Government wholeheartedly and my own son fought at the war front.

[श्री एम० सत्यानारायन राव पीठासीन हुये
SHRI M. SATYANARAIN RAO IN THE CHAIR]

Congressmen and Shri Sanjay Gandhi were making money when jawans were fighting to the last at the war fronts. They were making money when our sons were making sacrifices at the fronts. Emergency is a serious evil. It has been misused. It should never be allowed to be imposed again. We should never take the shelter of emergency which endanger the liberty of crores of citizens.

The Solicitor General pleaded before the Supreme Court that a citizen has no right to security of life during emergency. This type of emergency should never be imposed even if there is internal or external aggression.

I would suggest that the words "internal aggression" and "armed insurrection" appearing in the bill moved by Shri Kamath should be dropped.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : इस विधेयक द्वारा श्री कामथ ने माननीय सदस्यों को आपातकालीन स्थिति पर चर्चा करने का अवसर दिया है। इस विधेयक द्वारा वे आपातकालीन स्थिति लागू करने अथवा न करने सम्बन्धी अधिकार सदन को देना चाहते हैं। वे "डिसटर्बेंस" शब्द के स्थान पर "आर्मड इनसरेक्शन" प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। पवित्र उद्देश्य होने के बावजूद भी आपातकालीन स्थिति का कार्यपालिक तथा राजनैतिक नेतृत्व दुरुपयोग करता ही रहा है। मेरे विचार में तो आपातकालीन स्थिति की घोषणा बाहरी हमले की दशा ही में होनी चाहिये।

चुनाव के दौरान जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि सत्तारुढ़ होने पर यह पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि भविष्य मे फिर कभी आपातकालीन स्थिति लागू न हो। उन्होंने घोषणा की थी कि वे ऐसा संशोधन लायेंगे जिसके अनुसार भविष्य में कोई भी शासक आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा न कर सके। अब जनता पार्टी अपने वचन से पीछे हट रही है।

आपातस्थिति के दौरान सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करके प्रजातांत्रिक अधिकारों में कमी कर दी। वर्ष 1948-51 में भी साम्यवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया और साम्यवादी दल पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

जनता सरकार के शासन में भी 29,000 कैदी बिहार में बिना मुकदमा चलाए जेलों में पड़े हैं। आपातस्थिति के बिना भी बुर्जुआवादी सत्ता में है। हमारे विचार में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसमें सशस्त्र विद्रोह के नाम पर आपातस्थिति की घोषणा की जा सके।

हम आपातस्थिति की घोषणा का समर्थन केवल एक ही शर्त पर कर सकते हैं और वह यह कि इसकी घोषणा बाहरी खतरे के संदर्भ में की जाए।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : किसी भी सत्तारुढ़ सरकार को बाहरी खतरे या आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए कुछ अधिकार होने चाहियें। समाज की यह सामान्य नीति होती है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 352 में उपबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 352 आपातस्थिति तथा अन्य कार्यवाहियों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है।

हमें तो डर गत 20 महीनों का है जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के दौरान आपातस्थिति रही है। अब तो प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 352 को इसी रूप में रखा जाये अथवा इसका संशोधन किया जाये। जैसा कि श्री कामथ चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यदि इंदिरा गांधी जैसे लोग पुनः सत्ता में आते हैं तो वे फिर उन्हीं बातों को दोहरायेंगे। इंदिरा गांधी ने यह सब कुछ अनुच्छेद 352 के बल पर नहीं किया बल्कि उनको संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त था और उसी के बल पर उन्होंने यह सब किया। जब कभी उनकी इच्छा हुई उन्होंने संविधान में परिवर्तन तथा संशोधन किए। दंड संहिता चुनाव नियमों आदि में भी उन्होंने परिवर्तन किए। इसलिए यदि हम श्री कामथ द्वारा सुझाये गए इन संशोधनों को स्वीकार भी कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी जैसे लोग उसी तरह की कार्यवाही कर लेंगे।

इस लिए हमें मूल अनुच्छेद 352 में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि संविधान में किसी तरह का परिवर्तन करने के अच्छे परिणाम निकलेंगे।

अतः हमारे विधि मंत्री को संविधान में संशोधन करने का विचार नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह तानाशाह बनने का अवसर न मिले ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : सरकार संविधान संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश कर देगी । सरकार ने संविधान में संशोधन करने के लिए पहले ही हमारे दल को प्रारूप प्रस्ताव परिचालित कर दिए हैं। और हमारा दल इस पर विचार विमर्श कर रहा है। श्री कामत द्वारा प्रस्तावित सशोधन लगभग वैसे ही है, " जैसे कि सरकार चाहती है उनमें कुछ फेरबदल आदि किया गया है । मैंने विधि मंत्री तथा जनता पार्टी के अन्य नेताओं को यह कहते सुना है कि जो कुछ आपात स्थिति के दौरान हुआ है, अब वैसा नहीं होने दिया जायेगा। उस समय जो भय का वातावरण था, उसे दूर कर दिया जायेगा। किन्तु ऐसा लगता है कि सरकार संविधान में यहां वहां कुछ फेरबदल कर के देश में आंतरिक आपात स्थिति के उपबन्ध को बनाये रखना चाहती है। अतः ऐसा लगता है कि जनता पार्टी तथा इसकी सरकार यह महसूस करने लगी है कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह के उपबन्ध की आवश्यकता है। किसी भी सरकार को इस तरह की शक्तियों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु इस बात का क्या प्रमाण है कि सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक दलों तथा देशवासियों के विरुद्ध नहीं करेगी। केवल संवैधानिक संरक्षणों से इस उपबन्ध का दुरुपयोग नहीं रोका जा सकता । यदि श्री कामत का विधेयक पारित भी हो जाता है तो जनता सरकार को किसी व्यापक आन्दोलन को सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा देने से कौन रोक सकता है। यह तो सरकार विपक्ष तथा जनता की शक्ति पर निर्भर करता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से रोके। अकेले संवैधानिक उपबन्धों से कुछ नहीं हो सकता ।

"आंतरिक गड़बड़" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि सभा में आप का बहुमत होगा तो आप किसी भी गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा दे देंगे। यदि जनता सतर्क रहे, विपक्ष जिम्मेदारी से कार्य करे तो इस देश में ऐसी स्थिति पुनः पैदा नहीं हो सकती। हमारा दल भी आंतरिक गड़दबड़ी पैदा कर सकता है, किन्तु हम ऐसा नहीं करना चाहते। क्योंकि नई सरकार सत्ता में आई है और हम चाहते हैं कि यह अपने पूरे कार्यकाल तक काम करे तथा जनता को दिए गए अपने वचनों को पूरा करे। किसी लोकतांत्रिक देश की रक्षा तभी की जा सकती है जब कि वहां का समाज, राजनीति तथा लोकतांत्रिक विचारों के हों। आंतरिक आपात स्थिति के बारे में संविधान में परिवर्तन करने या संशोधन करने का हम विरोध नहीं करेंगे ।

सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमेश सत्ता में बने रहेंगे। उन्हें 6 महीने पहले की घटनाओं को याद रखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी सरकार कितनी ही कठोर तथा शक्ति शाली क्यों न हो, जनता उसे अपनी शक्ति से बदल सकती है।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : The framers of the Constitution never thought that the Constitution will be distorted to protect the interests of some few individuals. But whatever wrong they did, the people of the country have punished them for their sin.

The Constitution is a very sacred thing and it should not be changed. This is the land of Gandhi, Bose and Tagore where dictatorship can not flourish. Smt. Gandhi distorted constitution as and when she liked to keep herself in power, but she propagated that all this is being done for development and progress of the country.

In order to preserve the spirit and sanctity of the Constitution it should not be changed. It should be allowed to remain as it is.

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपतूर) : शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमने आपात स्थिति का समर्थन किया है, किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमारे दल ने मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने का कड़ा विरोध किया था और हमने कहा था कि मूलभूत अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

साथ ही हमने आपात स्थिति का पूरी तरह विरोध भी नहीं किया क्योंकि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी निकले हैं। गाड़ियाँ समय पर चल रही थीं। कार्यालयों में कामकाज सुचारु रूप से चल रहा था। जमाखोरों तथा तस्करों की गिरफ्तारियां हुई थीं। हमें इन उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए।

वर्तमान कानूनों में बहुत त्रुटियां हैं। जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं तथा करापवंचन कर रहे हैं, संविधान उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा है। संवैधानिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों तथा न्यायालयों में याचिकाएं दायर करने के कारण वे इन त्रुटियों का फायदा उठा रहे हैं। और इस तरह कानून की गिरफ्त से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। संविधान में कुछ संशोधन करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक खामियों के कारण कानून से बचने न पाये।

श्री एच० वी० कामत द्वारा पेश किए गए विधेयक का भी मैं समर्थन करता हूं। किसी भी व्यक्ति को यह बुराई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किसी भी लागत पर मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए। अतः संविधान में तदनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए।

Shri Durga Chand (Kangara) : The country has bitter experience of internal emergency. So far as external emergency is concerned, it can be declared, whenever there is any external aggression. But it is difficult to agree with the view that internal emergency can be declared in the country when there is an armed rebellion. I think there should not be an yprovision for declaring internal emergency. In the past 30 years there have been several occasions when there were violent movements in Bihar and Telengana and yet emergency was not declared and these violent movements were controlled by the ordinary law of the land. The provision of internal emergency will be a blot on our democracy. The people have the right to change any Government if that Government fails to run the administration smoothly. The political parties in our country resort to violent activities to solve the problems. Instead they should educate the people about the values of democracy.

Our friends sitting on the other side are feeling today that the fundamental rights should be protected. But I want to ask them what they were doing at that time when fundamental rights were being taken away, and Constitution was destroyed.

There are several other laws under which we can meet any situation. But if those laws are not sufficient, we can frame other laws, but there shuld be no provision for declaring internal emergency.

श्री पी० के० देव (कालाहान्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन) पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाये।"

सभापति महोदय प्रश्न यह है कि :—

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन) पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन विधेयक)

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 124)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारत के संविधान में उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है जबकि उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान में स्पष्ट प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कुछ मार्गदर्शी नियम होने चाहियें। ये नियम उन प्रथाओं के अनुरूप होने चाहियें जिनका अनुकरण किया गया है और जिन्हें देश में सहर्ष स्वीकार किया गया है।

यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई विश्लेषण करे तो पता चलेगा कि केवल दो बार ही प्रचलित प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया है। पहला अवसर वह था जबकि न्यायाधीश इमाम की वरिष्ठता की उपेक्षा करके न्यायाधीश गजेन्द्र गढ़कर को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था क्योंकि दुर्भाग्य से वह विकलांग थे। उस समय किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। दूसरा अवसर 25 अप्रैल, 1973 का है जबकि उच्चतम न्यायालय के तीन प्रसिद्ध न्यायाधीशों अर्थात् न्यायाधीश शेलाट, न्यायधीश हेगड़े तथा न्यायाधीश ग्रोवर की वरिष्ठता की उपेक्षा करके उनसे कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसकी समूचे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कुछ को छोड़कर प्रत्येक बार एसोसियेशन ने सरकार के इस निर्णय की निन्दा की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रश्न सिद्धान्त का है। क्या सरकार ने ऐसा निर्णय न्यायाधीशों के गुणों, योग्यता के आधार पर लिया जो कि इन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा की गयी। और क्या उन तीन न्यायाधीशों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कारण यह कीमत चुकानी पड़ी।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि विधि आयोग के अध्यक्ष श्री स्टालवड़ तथा तीन अन्य व्यक्तियों अर्थात् श्री छागला, श्री सिकरी तथा श्री पालखीवाला ने खुले रूप से अपने वक्तव्यों में सरकार के निर्णय की निन्दा की। उनका विचार था कि यदि सरकार ने प्रतिवेदन की सिफारिशों का अनुकरण किया होता तो उन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा नहीं की जाती।

न्यायाधीश शेलाट तथा न्यायाधीश हेगड़े नागरिकों के अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं। यदि वे उच्चतम न्यायालय के योग्य न्यायाधीश माने जाते थे तो क्या उन्हें वहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता था? विधि आयोग ने कहा है कि सबसे योग्य व्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह कार्यपालिका के विचार से हर बात में सहमत हो। न्यायाधीश शेलाट तथा न्यायाधीश हेगड़े ने क्रमश: गुजरात तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में विशिष्ट रूप से मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम कर रखा था। किन्तु भूतपूर्व सरकार तो वचनबद्ध न्यायपालिका में विश्वास करती थी और इसलिए वे ऐसा मुख्य न्यायाधीश चाहते थे जो कि सरकार की नीतियों का समर्थन करें।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 21 नवम्बर, 1977/30 कार्तिक, 1899 (शक) तक के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, November, 21, 1977/ . Kartik, 30, 1899 (Saka).

MGIPRRND—24 LSS/77—Sec. I—Day—2-2-78—200.